रजिस्ट्री सं. डी. एल. 33001/95

REGISTERED No. DL—33001/95

SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार नवम्बर 18, 1995 (कार्तिक 27, 1917)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 18, 1995 (KARTIKA 27, 1917)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

बम्बई, दिनांक 18 नवम्बर 1995

भारत के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं० एफ० (8) 70/बी०/52 और भारत के दिनांक 21 फरवरी 1990 के असाधारण राजपत्र सं० 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के नियम 18 के अनुसरण में अगस्त 1995 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गयी आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद हैं कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, बंबई को सूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गयी है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गयी हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गयी है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	नाम से जारी की गया	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार (रों) का/के नाम	जारी किये गये आदेश की संख्या तथा तारीख
	2	3	4	5	6
			तिरुवनन्तपुरम 9 प्रतिशत राहत	सर्किल बांड 1987	
1. टी० आर० 000337	2,00,000	पी० सी० थॉमस	19-1-1990	पी० सी० थॉमस	फाइल सं० एम० एल० 05-02-168 महा प्रबंधक का आदेश दि० 21-9-95

1	2	3	4	5	6
		मद्रास सर्किल			
		राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड 80 "ए" सीरिज			
(1) एम० एस० 034168	10 ग्राम	पी० कुप्पुसामी चिल्ली (मृत)	27-10-67	के ०रामी अम्माल	जे० एम० डी० बाय सं० 122 दिनांक 28-8-95
(2) एम० एस० 036767	80 ग्राम	—वही—			

सूची "ख"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ ग्राम	जिस नाम से जारी की गयी	ब्याज धारित किए जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/ तथा भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार (रों) का/के नाम	आदेश सं० एवं जारी करने की तारीख	लोक ऋण अधिनियम 1944 के अंतर्गत सूची के प्रकाशन की तारीख जिसमें प्रतिभूति पहली बार प्रकाशित की गयी थी
1	2	3	4	5	6	7
		स्वर्ण बांड (बंबई सर्किल)				
बी० बाई० आर० बी० एल० 000051	580 ग्राम	दीपक श्रीवास्तव और कमल किशन	(अवधि समाप्ति पर)	दीपक श्रीवास्तव और कमल किशन	मामला सं० 20-04-2008 दिनांक 10-7-1995 के महा प्रबंधक के आदेश तथा सी० ओ० डायरी सं० 21 दिनांक 12-7-1995	
बी० बाई० एस० बी० एल० 000002	499 ग्राम	संजय के० श्रीवास्तव और प्रकाश के० श्रीवास्तव	(अवधि समाप्ति पर)	संजय के० श्रीवास्तव और प्रकाश के० श्रीवास्तव	मामला सं० 20-04-1996 महाप्रबंधक के आदेश तथा सी० ओ० डायरी सं० 23, दिनांक 12-7-95	

डी० सी० पाडलकर,
कृते मुख्य महा प्रबंधक

शहरी बैंक विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 12 अक्तूबर 1995

सं० बी० आर० 129/16.26.00/95-96—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उपधारा (2क) के साथ पठित धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 29 मार्च 1985 की अपनी अधिसूचना शबैंवि० बी० आर० सं० 763/बी० /-84-85 का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि 14 अक्तूबर 1995 को और से, उक्त अधिनियम की धारा 24 के प्रयोजन के लिए, भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके बाद प्रतिभूतियां कहा गया है) का मूल्यांकन निम्नलिखित विधि से किया जाएगा, अर्थात :

(क) 31 मार्च 1995 के दिन धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, जब तक वे निरन्तर धारिता में रहेंगी तथा बैंक के संविभाग में बनी रहेंगी, तब तक उसी मूल्यांकन प्रणाली को अपनाते हुए किया जाएगा जो उस तारीख को तुलन-पत्र के लिए अपनाई गई हो । उक्त मूल्यांकन तुरन्त बाद के सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेगा । इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 1996 तक अभिगृहीत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, अंकित मूल्य अथवा अभिगृहण की तारीख के लागत मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, पर किया जाएगा । जब तक ये प्रतिभूतियां बैंक के संविभाग में बनी रहेंगी, तब तक अथवा 31 मार्च 1996 तक, इनमें से जो भी पहले हो, इन प्रतिभूतियों को उसी मूल्य पर दर्शाया जाएगा ।

(ख) उसके बाद प्रति वर्ष 31 मार्च के दिन धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, जब तक ये निरन्तर धारिता में रहेंगी तथा बैंक के संविभाग में बनी रहेंगी, तब तक उसी मूल्यांकन प्रणाली को अपनाते हुए किया जाएगा जो उस तारीख को तुलन-पत्र के लिए अपनाई गई हो । उक्त मूल्यांकन तुरन्त बाद के सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेगा । तथापि, आने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान अभिगृहीत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, अंकित मूल्य अथवा अभिगृहण की तारीख के लागत मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, पर किया जाएगा । जब तक ये प्रतिभूतियां बैंक के संविभाग में बनी रहेंगी, तब तक अथवा वित्तीय वर्ष के अन्त तक, इनमें से जो भी पहले हो, इन्हें उसी मूल्य पर दर्शाया जाएगा ।

एस० ए० हुसैन
कार्यपालक निदेशक

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई-400005, दिनांक 30 अक्तूबर 1995

सं० बी० सी० 127/12.01.001/95-96—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (1) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 11 अप्रैल 1989 के परिपत्र डी० बी० ओ० डी० सं० आर० ई० टी० बी सी० 108/सी० 96/(आर० ई० टी०/89 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि 28 अक्तूबर 1995 से शुरू होने वाले पखवाड़े से, 27 अक्तूबर 1995 के स्तर के ऊपर अनिवासी (बाह्य) रुपया (एन० आर० इ०) जमा खातों की देयताओं में हुई किसी वृद्धि को औसत नकदी प्रारक्षित अनुपात (सी० आर० आर०) के अनुरक्षण से छूट होगी। तथापि, बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे 27 अक्तूबर 1995 के स्तर तक एन० आर० ई० जमा राशियों के अन्तर्गत देयताओं के 15.0 प्रतिशत के औसत नकदी प्रारक्षित अनुपात को बनाये रखें।

2. ऊपर विनिर्दिष्ट छूट वाणिज्य बैंक द्वारा अनुरक्षित उसकी कुल शुद्ध मांग और मियादी देयताओं पर 3 प्रतिशत से अनधिक के प्रभावी नकदी प्रारक्षित अनुपात के अधीन होगी।

बी० के० पाल
कार्यपालक निदेशक

सं० बी० सी० 128/12.01.001/95-96—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (1) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 11 जनवरी 1995 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बी सी. 5/12.01.001/94-95 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि 28 अक्तूबर 1995 से शुरू होने वाले पखवाड़े से, 27 अक्तूबर 1995 के स्तर के ऊपर अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया (एन० आर० एन० आर०) जमा खातों की देयताओं में हुई किसी वृद्धि को औसत नकदी प्रारक्षित अनुपात (सी० आर० आर०) के अनुरक्षण से छूट होगी। तथापि, बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे 27 अक्तूबर 1995 के स्तर तक एन० आर० एन० आर० जमा राशियों के अन्तर्गत देयताओं के 7.5 प्रतिशत के औसत नकदी प्रारक्षित अनुपात को बनाये रखें।

2. ऊपर विनिर्दिष्ट छूट वाणिज्य बैंक द्वारा अनुरक्षित उसकी कुल शुद्ध मांग और मियादी देयताओं पर 3 प्रतिशत से अनधिक के प्रभावी नकदी प्रारक्षित अनुपात के अधीन होगी।

बी० के० पाल
कार्यपालक निदेशक

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय

कार्मिक विभाग

कलकत्ता-700001, दिनांक 30 अक्तूबर 1995

सं० अधिकारी लेखा विनियम 1/1995—बैंक का निदेशक मण्डल बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है।

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :

(i) इन विनियमों को यूको बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधित) विनियम कहा जा सकेगा।

(ii) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(iii) विद्यमान विनियम 49(ii) के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन किया जाय :

विद्यमान प्रावधान का पाठ	संशोधित विनियम का पाठ
कार्य ग्रहण अवधि में अधिकारी को नये अथवा पुराने पद की परिलब्धियां, जो भी कम हों प्राप्त करने की पात्रता होगी।	कार्य ग्रहण अवधि में अधिकारी को स्थानांन्तरण के स्थान पर लागू परिलब्धियां प्राप्त करने की पात्रता होगी।

बी० वकटरामन
महाप्रबन्धक
(कार्मिक)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

बम्बई, दिनांक 20 अक्तूबर 1995

सं० यू० टी०/डी० बी० डी० एम०/329-ए/एस० पी० डी० 71 आई०/95-96—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अन्तर्गत बनाए गए मासिक आय प्लान 95 (2) का पंशकश दस्तावेज, जिसे 16 अगस्त 1995 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

ए० जी० जोशी
व्यवस्थापक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मासिक आय प्लान 1995 (2)

पेशकश (आफर) दस्तावेज

7 अगस्त, 1995 से 28 अगस्त, 1995 तक पेशकश खुली रहेगी ।

मासिक आय प्लान 1995 (2) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा (1) (8) (सी) के अन्तर्गत बनाया गया है जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई यूनिट योजना, मासिक आय योजना 1995 (2) के सम्बन्ध में है ।

प्लान के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम,, 1993 के अनुसार तैयार किए गए हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है ।

प्लान का उद्देश्य

यह एक आयोन्मुख प्लान है । प्लान का उद्देश्य या तो मासिक आधार पर नियमित आय प्रदान कर अथवा 5 वर्षों की अवधि तक संचित की गई आय को उपलब्ध करा कर निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करना है ।

विशिष्टताएं

* एक पांच वर्ष का प्लान है ।

* निवासी वयस्क व्यक्तियों/मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/अवस्कों/हिन्दू अविभक्त परिवारों/न्यासों/समितियों/पंजीकृत सहकारी समितियों/अलाभकारी कम्पनियों सहित निगमित निकायों (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत) के लिए खुला है ।

* ट्रस्ट द्वारा उत्तर दिनांकित मासिक वारंटों के जरिए पहले वर्ष के लिए न्यूनतम लक्षित लाभांश 13.5% प्रति वर्ष की दर से अदा किया जाना प्रस्तावित है । उसके बाद के वर्षों के लिए लाभांश पूर्ववर्ती वर्षों के अन्त में घोषित किया जाएगा और मासिक आधार पर अदा किया जाएगा ।

* मार्च 1996 तक के लिए उत्तर दिनांकित मासिक लाभांश वारंट अग्रिम रूप से दिए जाएंगे ।

* मासिक लाभांश के स्थान पर आय को संचित करने का विकल्प भी है ।

* 1 सितम्बर 1996 से एन० ए० वी० आधारित पुनर्खरीद मूल्य पर पुनर्खरीद करने की अनुमति होगी ।

* निवेश का एक भाग इक्विटियों में होने से पूंजीवृद्धि की सम्भावना ।

* पूंजी वृद्धि से पूंजीगत अभिलाभ और लाभांश पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 एल एवं धारा 48 तथा 112 के अन्तर्गत कर लाभ ।

जोखिम के तत्व

* प्लान की यूनिटों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है और प्लान के शुद्ध आस्ति मूल्य (एन० ए० वी०) का ऊपर या नीचे जाना बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है ।

* यदि वास्तविक आय 13.5% प्र० वा० न्यूनतम लक्षित लाभ का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी तो सदस्यों को उस हद तक यूनिट पूंजी का घाटा उठाना पड़ सकता है ।

* ट्रस्ट की पहले की योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप में भावी परिणामों का द्योतक नहीं है । इस प्लान के लक्ष्यों की प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है ।

* मासिक आय प्लान 95 (2) केवल प्लान का नाम है और यह किसी भी प्रकार से प्लान की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है । निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस प्लान में निवेश करने से पहले पेशकश की शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें ।

प्रबंधन के विचार में जोखिम के तत्व

ट्रस्ट 30 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और हमने 4 करोड़ 88 लाख से अधिक निवेशकों से लगभग 61,000 करोड़ रुपये की निधियों के प्रबंधन में निपुणता हासिल की है।

ट्रस्ट के अब तक परिपक्व हुए तेरह मासिक आय प्लानों के कार्यनिष्पादन नीचे दी गई तालिका में दर्शाये गये हैं।

तालिका

क्रम सं० प्लान	वार्षिक लाभांश, मासिक रूप में अदा किया गया	परिपक्वता पर पूंजीवृद्धि (%)		बोनस (%)
		आश्वासित	वास्तविक	
1. एम० आई० एस–1	12% प्र० व०	—	6	—
2. एम० आई० एस–2	12% प्र० व०	—	7	—
3. एम० आई० एस–3	12% प्र० व०	—	8	—
4. एम० आई० एस–4	12% प्र० व०	—	8	—
5. एम० आई० एस–5	12% प्र० व०	—	10	—
6. एम० आई० एस–6	12% प्र० व०	2	5.5	1.5
7. एम० आई० एस–7	12% प्र० व०	2	6	1.5
8. एम० आई० एस–8	12% प्र० व०	2	7	1.5
9. एम० आई० एस–9	12% प्र० व०	2	9	1.75
10. एम० आई० एस–10	12% प्र० ग०	2	9	2.00
11. एम० आई० एस–11	12% प्र० व०	2	11	2.25
12. एम० आई० एस–12	12% प्र० व०	2	28	2.25
13. एम० आई० एस–13	12% प्र० व०	2	40	3.00

यू० टी० आई० की स्थापना

यू० टी० आई० अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण प्रबन्धन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होने वाली आया, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। इसने 1 जुलाई, 1964 से कार्य करना आरम्भ किया।

यू० टी० आई० का प्रबन्धन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबन्धन न्यासी मण्डल में निहित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है।

बोर्ड के अलावा एक सार्वाधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते हैं। यह समिति मण्डल की कार्यक्षमता के अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिये सक्षम है।

न्यासी मण्डल

1. डा० एस० ए० दबे	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2. श्री एस० एच० खान	अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
3. डा० अरविन्द वीरमणि	सलाहकार, नीति निर्धारण, भारत सरकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
4. श्री एन० एम० मेखसरिया	प्रबन्ध निदेशक, गुजरात अबुजा सीमेंट लि०
5. श्री पी० आर० खन्ना	सनदी लेखाकार
6. कु० आई० टी० वाज	कार्यपालक निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक
7. श्री जे० एस० सालुखे	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
8. श्री एन० वाघुल	अध्यक्ष, आई० सी० आई० सी० आई० लि०
9. श्री जे० वी० शेट्टी	अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, केनरा बैंक

मासिक आय योजना 1995 (2) का ब्यौरा

[एम० आई० एस० 95(2)]

1. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरम्भ :

(1) यह योजना मासिक आय योजना 1995 (2) [एम० आई० एस० 95 (2)] कही जाएगी।

(2) यह योजना पांच वर्ष अर्थात 1 सितम्बर 1995 से 31 अगस्त 2000 तक की अवधि के लिए होगी ।

(3) यूनिटों की बिक्री 7 अगस्त 1995 से 28 अगस्त 1995 तक 22 दिनों के लिए होगी ।

बशर्ते यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक आर्थिक कारणों से अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं ।

2. परिभाषाएं :

इस योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(ग) "वैकल्पिक आवेदक" का अर्थ नाबालिग के मामले में माता-पिता के अलावा उस माता-पिता से है जिन्होंने नाबालिग की ओर से आवेदन किया हो ।

(घ) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना और उसके अन्तर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र होगा, जो अवयस्क नहीं होगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित वैकल्पिक आवेदक सहित जब मानसिक विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिटों की बिक्री की गई हो और प्लान के खण्ड 3 के अन्तर्गत आवेदन करता हो ।

(ङ) "पात्र संस्था" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 में यथापरिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है ।

(च) योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में "सदस्य" के रूप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ और इस में शामिल उस आवेदक से है, जिसे इस योजना में यूनिट आवंटित किए गए हों ।

(छ) "मानसिक विकलांग व्यक्ति" का अर्थ वह व्यक्ति, जो ऐसी मानसिक अक्षमता से ग्रस्त हो, जो उसे जीवन के सामान्य कार्य करने से वंचित रखती हो और जो किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा उसी रूप में प्रमाणित हो ।

(ज) "आरंभी समझे जाने वाले यूनिटों की संख्या" का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की कुल संख्या है ।

(झ) "व्यक्ति" में ऊपर यथापरिभाषित पात्र संस्था शामिल है ।

(ञ) "मान्यताप्राप्त शेयर बाजार" का अर्थ वह शेयर बाजार है, जिसे फिलहाल प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है ।

(ट) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी सेवाएं ट्रस्ट द्वारा योजना के अन्तर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए ली जा सकें ।

(ठ) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है ।

(ड) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड ।

(ढ) "समिति" का अर्थ समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत स्थापित समिति या फिलहाल प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अन्तर्गत स्थापित अन्य कोई समिति है ।

(ण) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपये के आंशिक मूल्य का एक अविभक्त शेयर है ।

(त) यूनिट पूंजी का तात्पर्य फिलहाल यूनिट योजना के अन्तर्गत निर्गत और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है ।

(थ) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है ।

(द) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम विनियमावली में दिये गये हैं ।

(ध) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल हैं और सभी पुल्लिंग संदर्भों में स्त्रीलिंग तथा एक में दूसरे के विपर्यय शामिल हैं ।

इस योजना के अन्य उपबन्ध पृष्ठ सं० 9 से पृष्ठ 11 में दिए गए हैं । शीर्षक बनाए मासिक आय योजना 1995 (2) [एम० आई० एस० 95 (2)] के अन्तर्गत बनाये गए मासिक आय प्लान 1995 (2) [एम० आई० पी० 95 (2)] के ब्यौरे यहां नीचे दिए जाते हैं ।

1. परिभाषाएं :

शब्द (जो) प्लान में परिभाषित नहीं किये गये हैं तथा योजना और अधिनियम/विनियमों में परिभाषित किए गए हैं उनके अपने-अपने अर्थ योजना/अधिनियम/विनियमों में दिए गए अर्थ हैं ।

2. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

इस योजना के अन्तर्गत जारी प्रत्येक यूनिट का मूल्य दस रुपये होगा ।

3. यूनिटों के लिए आवेदन :

(1) यूनिटों के लिए आवेदन केवल निवासियों द्वारा किये जा सकते हैं, जैसे

(क) व्यक्ति, एकल या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में/उत्तरजीवी आधार पर ।

(ख) नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक । बालिग और नाबालिग संयुक्त रूप से आवेदन नहीं कर सकता ।

(ग) योजना में यथापरिभाषित पात्र संस्था, जिसमें अप्रति-संहरणीय और लिखत द्वारा निर्मित निधी न्यास शामिल हैं ।

(घ) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए कोई व्यक्ति ।

(ङ.) योजना में यथापरिभाषित कोई समिति ।

(च) पंजीकृत सहकारी समिति ।

(छ) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत निर्मित अलाभकारी कम्पनी सहित अन्य निगमित निकाय लेकिन बैंक और कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत अन्य कम्पनियां शामिल नहीं हैं ।

(ज) हिन्दू अविभक्त परिवार ।

(2) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित कार्य में किये जाएंगे ।

4. न्यूनतम निवेश राशि :

दोनों विकल्पों मासिक और संचयी के अन्तर्गत आवेदन न्यूनतम 200 यूनिटों के लिए और उसके बाद 100 यूनिटों के गुणकों में किया जाएगा । कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

आवेदक को जितनी यूनिटें चाहिए उन सब के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । एकल अथवा संयुक्त नामों से किए गए दो या अधिक आवेदन पत्रों को गुणक आवेदन माना जाएगा यदि उनमें एकमात्र अथवा प्रथम आवेदक समान है । ऐसे गुणक आवेदन पत्रों में से किसी को अथवा सभी को अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार पूर्णतया उसके स्वनिर्णय में सुरक्षित है ।

रु० 50,000/- और उससे अधिक निवेश के मामले में, निवेशक को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पी० ए० एम०/जी० आई० आर० संख्या है तो वह उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करें ।

5. एकत्र की जाने वाली न्यूनतम लक्ष्य राशि :

योजना के अन्तर्गत एकत्र की जाने वाली लक्ष्य राशि 100 करोड़ रुपये होगी । अत्यधिदान, यदि कोई हो तो उसे ट्रस्ट द्वारा रखा जाएगा ।

यदि लक्ष्य राशि के 60 प्रतिशत का अभिदान नहीं हो तो, ट्रस्ट को आदाता के खाता चैक/प्रत्यर्पण आदेश द्वारा योजना के अन्तर्गत पूरी राशि को यूनिटों की बिक्री समाप्ति तिथि से छः हफ्तों या उसके पहले वापस करना होगा ।

उक्त अनुबद्ध अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में बिक्री बन्द होने की तिथि से 6 सप्ताहों की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदक को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा ।

6. खर्चों पर सीमा :

योजना के अन्तर्गत एकत्र निधि का निर्गम पूर्व व्यय 6% से अधिक नहीं होगा । योजना के प्रारम्भिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :

व्यय	%
मुद्रण और डाक	1.50
प्रचार और मार्केटिंग	1.50
एजेंटों को कमीशन	1.25
प्रशासनिक व्यय	0.50
रजिस्ट्रारों का प्रभार	0.50
विविध	0.75
योग	6.00

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपये में से कम से कम 94 पैसे का इस योजना में निवेश किया जाएगा ।

आरम्भिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% से अधिक नहीं होगा । अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार हैं :

व्यय	%
प्रशासनिक व्यय	1.00
अभिरक्षण शुल्क	0.50
विकास प्रारक्षित निधि	0.10
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
लेखा शुल्क	0.20
रजिस्ट्रारों के लिए शुल्क	0.50
अन्य व्यय	0.60
योग	3.00

उपरोक्त व्यय अनुभानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं। फिर भी, संघी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1993 के अनुसार कुल आरम्भिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि की 6% की सीमा के भीतर तथा आवर्ती व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% की सीमा के भीतर ही होगा। इसके अलावा प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान तथा कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान लेखा वर्ष के दौरान प्लान के साप्ताहिक औसत एन० ए० वी० के 1.25% से अधिक नहीं होगा।

7. भुगतान विधि :

(1) (1) किसी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद, चैक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।

यदि आवेदन यूटीआई के कार्यालयों में जमा किये जाएं, तो चैक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किए जाएं, जिस शहर में स्थित शाखा कार्यालय में आवेदन किया जाए।

लेकिन जहां आवेदक ट्रस्ट के शाखा कार्यालय/संग्रहण केन्द्र/अधिकृत कार्यालय वाले स्थान से भिन्न स्थान से आवेदन करना चाहे तो आवंटित यूनिटों के लिये आवेदन पत्र के साथ देय चैक ड्राफ्ट के लिए देय बैंक प्रभार घटाकर बैंक ड्राफ्ट ट्रस्ट के शाखा कार्यालय को भेज सकता है।

(2) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चेक प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चेक की वसूली हो।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो। लेकिन आवेदन ट्रस्ट द्वारा उपयुक्त समझे गए समय के भीतर ट्रस्ट या संग्रहण केन्द्र को प्राप्त हो जाए। यदि आवंटित यूनिट के लिए भुगतान की गई राशि आवंटित यूनिटों के लिए देय राशि से कम हो, तो आवेदक को उतनी ही कम संख्या में यूनिट जारी किए जाएंगे, जितने इस योजना के अन्तर्गत किए जा सकेंगे। उसके देय शेष राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से उसके खर्च पर उसे वापस कर दी जाएगी।

(2) (क) आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार :

ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक से योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में यूनिट जारी करने के लिए आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके। योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में आवेदन करने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा।

(ख) अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत किये जा सकते हैं

आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर, अस्वीकृत कर दिया जाएगा और राशि अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने पर वापस की जाएगी। बिना किसी ब्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी।

(3) यूनिट जारी होने के पहले आवेदक को योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान से सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा :

योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को सन्तुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं जैसे न्यासों से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में ट्रस्ट विलेख, प्रबन्ध समिति का यूनिट खरीदने संबंधी संकल्प, नाबालिग की ओर से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में जन्म प्रमाण पत्र, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में चिकित्सक से प्रमाणपत्र आदि जो निवेशक की श्रेणी पर निर्भर करेगा। ऐसी अपेक्षाएं पूरी करने या नहीं करने के प्रति ट्रस्ट की संतुष्टि उसके अपने विवेक पर निर्भर होगी।

गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाले व्यक्ति अपनी सदस्यता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम सदस्यों की पंजी से काट दिया जाएगा।

ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% बट्टे के तौर पर घटाने के बाद सममूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिट की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किये गये आय वितरण की वसूली पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापस करे।

पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिये राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

8. यूनिटों की बिक्री :

पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटों का बिक्री मूल्य सममूल्य पर होगा। ट्रस्ट द्वारा यूनिट की बिक्री संविदा, स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी। बिक्री संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र आवेदक को सदस्यता सूचना जारी करेगा। यह इस बात का साक्ष्य होगा कि उसे योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था और निगमित निकाय को जारी सदस्यता सूचना पात्र संस्था/निगमित निकाय के नाम में होगी। प्रेषित सदस्यता सूचना के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा।

ट्रस्ट प्लान के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से 10 हफ्तों के भीतर सदस्यता सूचना भेजने का प्रयास करेगा।

9. यूनिट की पुनर्खरीद :

(1) अवरुद्ध अवधि एक वर्ष अगस्त 1996 तक की होगी। योजना और उसके अन्तर्गत बनाए प्लान के अन्तर्गत पहले वर्ष के दौरान कोई पुनर्खरीद नहीं की जाएगी। यूनिटों के एन० ए० वी०

पर आधारित पुनर्खरीद मूल्य (पूर्ववर्ती आधार पर) पहले वर्ष के दौरान प्रारम्भ में प्रत्येक 3 महीनों में एक बार घोषित किया जाएगा (दावों के निपटान के लिए)। अवरुद्ध अवधि समाप्त होने के बाद अर्थात 31-8-1996 को, एन० ए० वी० पर आधारित पुनर्खरीद मूल्य प्रत्येक माह 1-9-96 से आरम्भ करते हुए प्रत्येक माह घोषित किया जाएगा।

(2) मासिक आय विकल्प : ट्रस्ट प्लान के अन्तर्गत यूनिट धारण के दूसरे वर्ष से पुनर्खरीद के लिए यूनिटों की पेशकश करेगा। पुनर्खरीद पूर्ववर्ती एन० ए० वी० आधारित मूल्य पर की जाएगी। पुनर्खरीद मूल्य परिकल्पित करते समय ट्रस्ट को प्रशासकीय व्यय और अन्य प्रभार, जो प्रति यूनिट एन० ए० वी० के 5% से अधिक न हो, की कटौती करने की स्वतन्त्रता होगी। पुनर्खरीद सभी धारकों द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरी और अन्य व्यक्ति, जिसका नाम, पेशा और पता दिया जाए, के लक्ष्य के साथ सादे कागज पर अनुरोध पत्र के साथ सदस्यता सूचना प्राप्त होने पर प्रभावी होगी। सूचना में अंकित सभी यूनिट पुनर्खरीद के लिये पेश किए जाने चाहिये।

यूनिट की आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पुनर्खरीद के लिये आवेदन करते समय सदस्य को पुनर्खरीद माह तक के बचे हुए शेष अदत्त आय वितरण वारंट ट्रस्ट को सौंपने होंगे।

ट्रस्ट पुनर्खरीद के अनुरोध पत्र सहित सदस्यता सूचना प्राप्त होने पर भावी महीने के लिये यूनिट पर आय वितरण का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा और न ही पुनर्खरीद की प्राप्तियों पर कोई ब्याज देय होगा।

प्राप्त सभी दस्तावेज और अदत्त आय वितरण वारंट, यदि हों, निरस्तीकरण के लिये ट्रस्ट द्वारा रख लिये जाएंगे

(3) पूर्ववर्ती उप-खण्डों में अन्तर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिट की पुनर्खरीद करते समय, सदस्य द्वारा उस समय तक बकाया आय वितरण वारंटों को अभ्यर्पित नहीं करने की स्थिति में ट्रस्ट ऐसे आय वितरण वारंटों की भविष्य में देय राशि पुनर्खरीद मूल्य में घटाकर सदस्य को शेष राशि का भुगतान करने के लिये स्वतन्त्र होगा। ट्रस्ट को सदस्यता सूचना और पुनर्खरीद का अनुरोध पत्र प्राप्त हो जाने के बाद सदस्य को स्वीकृति माह के आय वितरण सहित भावी आय वितरण प्राप्त करने का अधिकार नहीं रह जायेगा और ऐसे बकाया आय वितरण की राशि का दावेदार ट्रस्ट होगा।

(4) मासिक आधार पर प्रदत्त पूरे वर्ष के आय वितरण के हकदार बनने के लिए सदस्य को यूनिट पूरे वर्ष तक रखने होंगे। वर्ष के किसी भाग के लिये यूनिट रखनेवाला सदस्य केवल धारण अवधि के लिये, जो हमेशा पूर्ण अंगरेजी कैलेण्डर मास की होगी, आनुपातिक आय वितरण प्राप्त करने का हकदार होगा और माह के भाग को, चाहे वह कितने भी दिन का क्यों न हो, हमेशा छोड़ दिया जाएगा।

(5) सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में वैध प्रतिनिधि या नामित द्वारा सदस्यता सूचना, पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र और बकाया अदत्त आय वितरण वारन्ट ट्रस्ट को सौंपे जाने के बाद वह (ट्रस्ट) दावे की मान्यता संबंधी निर्धारित आवश्यकता पूरी होने पर अपने नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार इसमें ऊपर उपखण्ड (2) और (3) में यथावर्णित रूप में यूनिट की पुनर्खरीद करेगा और दावे की निपटान तिथि तक के बकाया मासिक आय का आनुपातिक भुगतान करेगा।

(6) ट्रस्ट द्वारा कटौती यदि हो, करने के बाद पुनर्खरीदे गए यूनिटों के लिये भुगतान स्वीकृति तिथि के बाद यथाशीघ्र आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में यथोल्लिखित रीति से किया जायेगा। आवेदक को देय राशि पर किसी भी कारण से कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा ट्रस्ट द्वारा प्रेषित चेक या ड्राफ्ट का प्रेषण (डाक खर्च सहित) या वसूली खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।

(7) संचयी विकल्प :

संचयी विकल्प के अंतर्गत जारी यूनिटों के मामले में ट्रस्ट और योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के अंतर्गत यूनिट धारण के दूसरे वर्ष से यूनिटों के पुनर्खरीद की पेशकश करेगा। पुनर्खरीद मूल्य पूर्ववर्ती एन.ए.वी. आधार पर होगा। पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट प्रति यूनिट एन. ए. वी. के 5% तक प्रशासकीय व्यय और अन्य प्रभार काटने के लिए स्वतंत्र होगा।

आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(8) पुनर्खरीद किए गए यूनिटों को पुनः जारी नहीं किया जाएगा।

(9) पुनर्खरीद मूल्य के परिकल्लन का आधार यथासमय सेबी द्वारा निर्धारित विनियम, दिशा-निर्देश के अधीन होगा।

10. यूनिट की पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिट की पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा :—

(1) ऐसे दिन, जो कार्य दिवस नहीं हों; और

(2) ऐसी अवधि में जब बही और लेखे की वार्षिक बन्दी (ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित) के संबंध में सदस्यों की पंजी बन्द हो।

स्पष्टीकरण :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो :—

(1) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो और न ही

(2) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का कार्यालय बन्द रहेगा ।

11. पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन :

पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद ट्रस्ट यथाशीघ्र इसे प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा ।

12. सदस्यता सूचना :

योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में जारी यूनिटों की सदस्यता के संबंध में किसी सदस्य को यूनिट/सदस्यता/प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा । उनको सदस्यता सूचना दी जाएगी, जो योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में सदस्य के रूप में स्वीकृति का साक्ष्य होगा ।

13. सदस्यता सूचना तैयार करने की रीति :

सदस्यता सूचना ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा निर्धारित रूप के अनुसार होगी ।

14. सदस्यता सूचना का विनिमय और कट-फट जाने, विरूपित हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में प्रक्रिया :

योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में सदस्य उक्त प्रयोजनार्थ ऐसे नियमों/दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करेंगे और ऐसे दस्तावेजों का निष्पादन करेंगे, जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा बनाए जाएंगे/अपेक्षित होंगे ।

15. सदस्य की पंजी :

सदस्यों के पंजीकरण के सम्बंध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :—

(1) ट्रस्ट द्वारा सदस्यों की पंजी रखी जाएगी और अन्य बातों के साथ-साथ पंजी में निम्नलिखित दर्ज किए जाएंगे :—

(क) सदस्यों के नाम और पते;

(ख) सदस्यता सूचना की संख्या और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या; और

(ग) जिस तिथि को ऐसा व्यक्ति अपने नाम के यूनिटों का धारक हो गया ।

(2) सदस्य की ओर से उसके नाम और पते के परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जाएगी । ट्रस्ट ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और यथापेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन करेगा । किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग हो, के लाभ के लिए यूनिटों हेतु आवेदन करने वाले आवेदक की मृत्यु के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन की प्रविष्टि पंजी में तदनुसार की जाएगी।

(3) केवल पंजी बंदी को छोड़कर, इसमें इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्य-समय के दौरान (ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित समुचित परिसीमाओं के साथ प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घण्टे के लिए पंजी के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी) सदस्य के निःशुल्क निरीक्षण के लिए पंजी खुली रहेगी ।

(4) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित समय और अवधि के लिए पंजी बन्द रहेगी, लेकिन एक वर्ष में 45 दिन से अधिक समय के लिए बन्द नहीं रहेगी । ट्रस्ट समाचार पत्रों में या अन्य माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऐसी बन्दी की सूचना देगा ।

(5) किसी यूनिट से संबंधित कोई स्पष्ट निहित और रचनात्मक सूचना पंजी में दर्ज नहीं की जाएगी ।

16. पात्र संस्थाओं, नाबालिगों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति आदि के लाभ के लिए किसी आवेदक का आवेदन और पंजीकरण :

(1) पात्र संस्थाएं निगमित निकाय और समितियों (सहकारी समितियों के साथ) सदस्य के रूप में पंजीकृत की जाएंगी ।

(2) कोई भी वयस्क, जो किसी नाबालिग का माता-पिता हो, सौतेला माता-पिता हो या विधिक अभिभावक हो, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2ग) के अनुसार और उपबंधित सीमा तक यूनिट रख सकता है और क्रय-विक्रय कर सकता है । अपेक्षानुसार ऐसा वयस्क ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नाबालिग की उम्र और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने तथा क्रय-विक्रय करने की क्षमता का प्रमाणपत्र ट्रस्ट के समक्ष पेश करेगा । आवेदन में ऐसे वयस्क द्वारा किए गए कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के ट्रस्ट को कार्य करने का अधिकार होगा ।

(3) जहां किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाए, वहां ट्रस्ट प्रस्तुत कथन और प्रमाणपत्रों के आधार पर कार्य करेगा और ऐसा करने में यह समझा जाएगा कि ट्रस्ट सदभावपूर्वक कार्य कर रहा है । ट्रस्ट को हक होगा कि वह केवल आवेदक के साथ व्यवहार करे और उसकी मृत्यु की स्थिति में सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करे तथा उक्त आवेदक या वैकल्पिक आवेदक को ट्रस्ट द्वारा यूनिट के संबंध में किया गया भुगतान ट्रस्ट के लिए सही उन्मोचन माना जाएगा ।

(4) पात्र संस्थाओं, निगमित निकायों या समितियों से जब कभी अपेक्षा की जाएगी, उन्हें यूनिट में निवेश करने की आवेदक की क्षमता से संबंधित सभी संबंधित दस्तावेज, जैसे संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम न्यास-विधियां आदि, प्रबंध निकाय द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित प्रति और अपेक्षित मुख्तारनामा की प्रति ट्रस्ट के समक्ष पेश करनी होगी ।

17. ट्रस्ट के उन्मोचन करने के लिए सदस्य द्वारा रसीद :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के यूनिटों के संबंध में सदस्य को प्रदत्त राशि के लिए उसके द्वारा दी गई रसीद ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा ।

18. सदस्यों द्वारा नामांकन :

(1) सदस्य विनियमों में उपबंधित सीमा तक नामांकन करने या निरस्त करने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं ।

(2) सदस्यों को, जो नाबालिग की ओर से माता-पिता हों या विधिक अभिभावक हों तथा पात्र संस्था, समिति, निगमित निकाय और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिट हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा ।

रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एन आर आई नामित किए जा सकते हैं ।

19. सदस्य की मृत्यु :

(1) यूनिट की संयुक्त सदस्यों में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट द्वारा जीवित व्यक्ति को ही योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के यूनिटों के हकदार होने या उनके हिताधिकारी होने की मान्यता दी जाएगी ।

लेकिन इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात उक्त यूनिटों के संदर्भ में ऐसे जीवित व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।

(2) किसी एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में नामिती का यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि के हकदार व्यक्ति के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जाएगी ।

(3) किसी एकल सदस्य द्वारा वैध नामांकन नहीं किए जाने की स्थिति में मृत व्यक्ति का निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के अंतर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही वह व्यक्ति होगा, जिसे यूनिटों के हकदार के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जा सकती है ।

(4) किसी सदस्य की मृत्यु के परिणामस्वरूप यूनिट के हकदार हो जाने वाले व्यक्ति को, ट्रस्ट द्वारा उसके हक के लिए पर्याप्त समझे गए साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के बाद तथा दावेदार द्वारा दावा संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा ।

(5) यदि एकमात्र नामिती यूनिट रखने का पात्र है तो उक्त नामिती को उसकी इच्छा के अनुसार मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य प्राप्त करने के बदले उसको सदस्य के रूप में यूनिट रखने और पंजीकृत सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाएगी तथा जितने यूनिट वह रखना चाहेगा, न्यूनतम यूनिट रखने की शर्तों पर उतने यूनिटों का उल्लेख करते हुए उसके नाम से सदस्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

(6) जिस आवेदक ने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिटों हेतु आवेदन किया है, उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करेगा, मानो वही आवेदक हो । इसके अलावा आवेदक या वैकल्पिक आवेदक की मृत्यु की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, मौजूदा आवेदक अपने वैकल्पिक आवेदक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा ।

(7) अपरुद्ध अवधि में एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ट्रस्ट आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दावे का निपटान करेगा और संबंधित खण्ड में दिए गए ब्यौरे के अनुसार या ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत अन्य रीति से कानूनी वारिस/नामिती को भुगतान करेगा ।

20. आय वितरण :

(1) सदस्य को मासिक आय विकल्प या संचयी विकल्प में भाग लेने के विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार होगा । यह योजना में निवेश के समय किया जाएगा और एक बार किया गया विकल्प अंतिम होगा । आवेदक द्वारा प्रयोग किए गए किसी निर्दिष्ट विकल्प के अभाव के दौरान उसे मासिक आय विकल्प समझा जाएगा ।

मासिक आय विकल्प :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के संदर्भ में वर्ष के दौरान अर्जित किए गए लाभ के 90% से अधिक लाभांश के रूप में वितरित किए जाएंगे । लाभांश घोषित करने से पहले ट्रस्ट निवेशों पर मूल्यह्रास लगाएगा और अपने लेखा परीक्षक की संतुष्टि करते हुए संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान भी करेगा और लेखों की टिप्पणियों में मूल्यह्रास की पद्धति भी सूचित करेगा । ट्रस्ट न्यूनतम 13.5% प्रति वर्ष की दर से लक्षित लाभांश पहले वर्ष के लिए उत्तर दिनांकित मासिक वारन्टों द्वारा अदा करने का प्रस्ताव करता है ।

निवेश उद्देश्यों और प्लान की प्रचलित नीतियों तथा नियमों से अनुमानित लाभ, जिनमें योजना की निविदाओं का निवेश किया जाएगा, के आधार पर योजना को पहले वर्ष में निवेशकों को 13.5% प्रति वर्ष की दर से न्यूनतम लक्षित लाभांश अदा करने के लिए पर्याप्त माना गया है । इस न्यूनतम लक्षित प्रतिलाभ को नियत आय वाले निवेशों के लिए प्रचलित दरों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है जिनमें प्लान को अंतर्गत किए गए निवेशों का अधिकांश भाग लगाया जाएगा अर्थात् :—

सरकारी प्रतिभूतियां—14

कार्पोरेट डिबेंचर—16-16.5%

प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के लिए लाभांश दर योजना की आय और संबंधित घटकों पर निर्भर करेगी और पिछले वर्ष की समाप्ति पर घोषित की जाएगी और मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा । लाभांश दर घोषित किए जाने की तिथि से 42 दिनों के भीतर ट्रस्ट आय वितरण वारन्ट प्रेषित करने का प्रयास करेगा।

(2) प्रत्येक माह की लिये आय वितरण अगले महीने के प्रारंभ में देय होगा और पूर्वभुगतान व्यवस्था के अंतर्गत ट्रस्ट द्वारा भुगतान ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक की शाखाओं पर सम्मूल्य पर देय आय वितरण वारन्ट या किसी लिखित के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे यूनिट जिनकी बिक्री किसी महीने की 15 तारीख को या इसके पहले ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत आवेदन के अंतर्गत की जा चुकी है, पूरे महीने के आय वितरण के पात्र होंगे और जो यूनिट महीने की 15 तारीख के बाद बेचे गए हों वे उस आधे महीने के आय वितरण के पात्र होंगे ।

लाभांश की हकदारी निम्न रूप से होगी :

07-08-1995 से 15-08-1995—पूरे महीने का लाभांश

16-08-1995 से 28-08-1995—आधे महीने का लाभांश

(3) 31 दिसंबर 1995 को समाप्त अवधि के लिए आय वितरण दिनांक 1 अक्तूबर 1995 के एक आय वितरण वारन्ट के द्वारा किया जाएगा और सदस्य को उसके साथ दि. 31 मार्च 1996 तक के लिए 3 उत्तर दिनांकित आय वितरण वारन्ट भेज जाएंगे ।

अप्रैल, 96 से अगस्त, 96 तक की अवधि के लिए वारंट कर कानूनों में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखने के बाद अलग से अप्रैल, 96 में भेजे जायेंगे ।

लेकिन ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित रीति से और अवधि के लिये ऐसे सदस्यों के लिये, जिनपर लागू होगा, उत्तर दिनांकित आय वितरण वारंट भेजने का ट्रस्ट का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

(4) उप खण्ड (3) के उपबंध के अधीन मासिक आधार पर आय वितरण के भुगतान के लिए वारन्ट सदस्य को अग्रिम रूप से भेजे जाएंगे ।

वारण्ट को इस प्रकार दिनांकित किया जाएगा कि सदस्य भुगतान के लिए परिपक्व होने पर प्रत्येक वारन्ट को भुना सके । हरेक वारंट तीन महीने के लिए वैध रहेगा ।

वैध अवधि पूरी होने के पहले सदस्य के पास कोई वारंट नहीं पहुंचने या उनके पुराने हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट ब्याज का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा ।

(5) पुनर्खरीदी की स्थिति में, जो हमेशा पूर्णता में होगी, अदत्त वारंट की सुपुर्दगी नहीं करने पर सदस्य अगले महीने देय और परिपक्वता तिथि को सदस्य की अभिरक्षा में शेष वारंटों को भुनाने का हकदार होगा और ऐसे आय वितरण वारंट की राशि पुनर्खरीद की राशि से काट ली जाएगी ।

(6) सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, यदि एकमात्र नामिती यूनिट रखने का पात्र है और आगे भी यूनिट रखना चाहता है, तो ऐसा एकमात्र नामिती आवश्यक सुधार के लिए भावी महीनों के अनभुनाए सभी वारन्ट वापस करने के लिए बाध्य होगा । लेकिन आगे यूनिट रखने के इच्छुक नामिति मृत सदस्य के पक्ष में पहले से जारी वारन्ट को सुधार करके नये प्रविष्ट सदस्य के पक्ष में करने में लगने वाले समय को लिए कोई ब्याज या मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(7) किसी आवेदक की मृत्यु की स्थिति में, जहां मानसिक रूप से विकलांग किसी व्यक्ति के लाभ के लिये आवेदक द्वारा आवेदा किया जाए, वहां वैकल्पिक आवेदक को आवश्यक सुधार के लिये भावी महीनों के अनभुनाए सभी आय वितरण वारंट वापस करने होंगे । लेकिन ऐसा वैकल्पिक आवेदक मृत आवेदक के पक्ष में पहले से जारी वारंट को सुधार करके नये प्रविष्ट आवेदक के पक्ष में करने में लगने वाले समय के लिये कोई ब्याज या और मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(8) पूर्ववर्ती उपखण्ड में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद यथास्थिति, तिमाही, छःमाही या वार्षिक आधार पर आय वितरण करने का, चाहे व्यय औचित्य, सदस्यों के हित या अन्य परिस्थितियों के कारण ट्रस्ट के लिये ऐसा करना आवश्यक हो जाए, ट्रस्ट का अधिकार सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में ट्रस्ट अंग्रेजी भाषा के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा सदस्यों को सूचित करेगा । ट्रस्ट द्वारा ऐसी सूचना देने के बाद किसी भी सदस्य को मासिक आधार पर आय वितरण का दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।

संचयी विकल्प :

यदि आवेदक संचयी विकल्प का चयन करता है तो दि. 1-10-95 का एक समेकित वारंट 31 अगस्त 1995 तक की अवधि के लिए जारी किया जाएगा । योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति तक इस विकल्प के अंतर्गत कोई अन्य आय वितरण नहीं किया जाएगा । अर्जित आय का पुनः निवेश किया जाएगा और उसे शुद्ध आस्ति मूल्य में दर्शाया जाएगा ।

आय वितरण वारंटों के खो जाने/गलत स्थान पर पहुंचने के कारण उनके संभावित कपटपूर्ण नकदीकरण के विरुद्ध सावधानी के तौर पर आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे रिकार्ड के लिए आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर तथा पावती रसीद वाले भाग पर अपने बैंक खाते का पूरा विवरण (अर्थात् खाते का प्रकार एवं खाता संख्या, बैंक का नाम) दें । तब आय वितरण वारंट इस प्रकार से निर्दिष्ट किए गए उनके खाते में जमा करने के लिए बैंक के पक्ष में तैयार कर उन्हें भेजे जाएंगे । सदस्य कथित बैंक में अपने खाते में जमा (क्रेडिट) करने हेतु उस आय वितरण वारंट को प्रस्तुत कर सकते हैं । यदि बैंक संबंधी पूरा विवरण नहीं दिया जाता है तो आय वितरण वारंट सदस्य के नाम से जारी किया जाएगा ।

मासिक आय योजना 1995 (2) [एमआईएस, 95 (2)] का संघ ब्यौरा

3. इस योजना से संबंधित आस्तियां तथा मूल्यांकन :

(क) मूल्यांकन की तारीख को बम्बई स्टाक एक्सचेंज के अंतिम मूल्यों पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया जाएगा । जो प्रतिभूतियां बम्बई स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होंगी उनका मूल्यांकन उनके प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों के अंतिम मूल्यों पर किया जाएगा । यदि मूल्यांकन की तारीख से पूर्व तीन माह से अधिक अवधि तक प्रतिभूतियों का व्यापार नहीं किया गया हो तो ऐसे प्रतिभूति के मूल्यांकन की विधि, ट्रस्ट जैसा उचित प्रतीत हो, तय की जाएगी ताकि बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन की विधि के अनुसार इसका सही प्राप्य मूल्य दर्शाया जा सके ।

(ख) मुद्रा बाजार लिखत तथा डिबेंचर सहित अन्य नियत आय वाली लिखतों का मूल्यांकन वर्तमान आय और समतुल्य लिखतों के परिपक्वता मूल्य के आधार पर अथवा ट्रस्ट जैसा उचित समझे उस तरीके से किया जाएगा ।

(ग) अन्य सभी आस्तियां जिनका मूल्यांकन पूर्वोक्तानुसार न किया जा सके, उनका मूल्यांकन बही मूल्य पर किया जाएगा और यदि वह उपलब्ध न हो तो ट्रस्ट द्वारा उचित समझी गई विधि से किया जाएगा ।

(घ) जो प्रतिभूतियां सूचीबद्ध न हों उनका सही मूल्यांकन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई नीतियों के अनुसार किया जाएगा । आस्तियों का मूल्यांकन सेबी द्वारा यथासमय निर्धारित दिशानिर्देशों और विनियमों के अधीन होगा ।

4. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का निर्धारण :

योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों का शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन, योजना के उपचयों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा । प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा। इस एनएवी को (पूर्ववर्ती आधार पर) आरंभ में पहले वर्ष के दौरान कम-से-कम 2 दैनिक समाचार पत्रों में प्रत्येक 3 महीने में एक बार प्रकाशित किया जाएगा । शुद्ध आस्ति मूल्य की अवरुद्ध अवधि समाप्त होने अर्थात् 31-08-1996 के बाद

01-09-1996 से प्रत्येक माह या सेबी द्वारा अनुमोदित अंतराल में प्रकाशित किया जाएगा । शुद्ध आस्ति मूल्य का मूल्यांकन सेबी द्वारा यथासमय निर्धारित विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन होगा ।

5. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना

(1) जो व्यक्ति सदस्य के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से सदस्यता सूचना जारी की गई है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सदस्य के रूप में मान्य होगा और चूंकि ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिये ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इस योजना से संबंधित यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता देने के लिए यहां स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान या किसी सक्षम प्राधिकार वाले न्यायालय के आदेश को छोड़ कर किसी विपरीत नोटिस या किसी न्यास के निष्पादन पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

(2) जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिए आवेदन करता है और ट्रस्ट द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है तो यह नहीं माना जाएगा कि ट्रस्ट ने किसी विश्वास को ध्यान में रखा है । ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के अंतर्गत सभी प्रयोजनों के लिये नामिती या आवेदक की मृत्यु होने पर आवेदन पत्र में वैकल्पिक नामिती के रूप में उल्लिखित व्यक्ति के साथ व्यवहार करेगा ।

6. यूनिटों का अंतरण

इस योजना के अंतर्गत जारी यूनिट अंतरणीय/बिक्री योग्य अंतरणीय/समनुदेशनीय नहीं है ।

7. निवेश उद्देश्य और नीतियां

योजना के अंतर्गत संग्रहीत निधियों का सभी प्रारंभिक परि- को नियमित मासिक आय उपलब्ध कराना तथा योजना की परिपक्वता पर ग्राहक की पूंजी में वृद्धि के लिए प्रयत्न करना भी है ।

योजना के अंतर्गत संग्रहीत निधियों का सभी प्रारंभिक परिचालन पूर्व और परिचालनगत खर्चों का प्रावधान करने के बाद योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामान्यतः निम्न रूप में निवेश किया जाएगा ।

(1) निधियों का कम से कम 80% नियत आय/प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा ।

(2) निधियों का 20% इक्विटी, इक्विटी संबंधी लिखतों और मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश किया जाएगा ।

पूर्वोक्त के बावजूद मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश का अनुपात इस संबंध में सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है ।

(3) सभी ऋण लिखत जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाना है उनके निवेश दर्जे का निर्धारण सी. आर. आई. एस. आई. एल./आई. सी. आर. ए./ सी. ए.आर. ई. या समय-समय पर मान्यता प्राप्त किसी अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा किया जाएगा बशर्ते यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा ।

(4) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिये जाएंगे ।

(5) निजी रूप से नियोजित डिबेंचरों, प्रतिभूत ऋणों और अन्य अनुद्धृत ऋण लिखतों के जरिए किया गया निवेश योजना की कुल आस्तियों के 40% से अधिक नहीं होगा ।

(6) यह योजना अपने निकाय का 5% से अधिक किसी एक कंपनी के शेयरों में निवेश नहीं करेगी ।

(7) इस योजना सहित सभी योजनाओं की निधियों का 10% से अधिक किसी एक कंपनी के शेयरों डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया जाएगा ।

(8) इस योजना की निधियों सहित सभी योजनाओं की निधियों का 15% से अधिक किसी एक उद्योग के शेयरों अथवा डिबेंचरों में निवेश नहीं किया जाएगा ।

बशर्ते यह प्रावधान उस योजना को लागू नहीं होगा जो एक अथवा अधिक विशिष्ट उद्योगों में निवेश के लिए जारी की गई हो और इस आशय की घोषणा योजना पत्र में की गई है ।

(9) इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब——

(क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पाट आधार पर किए गए हों ।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिसमें ऐसे अंतरण किए जाते जाते हैं ।

(ग) सूचीबद्ध या उद्धृत न किए गए निवेशों का अंतरण यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा ।

(10) यह योजना यू टी आई की किसी अन्य योजना/प्लान में निवेश नहीं करेगी अथवा उसे उधार नहीं देगी ।

(11) यह योजना अपने निवेशों के वित्त पोषण के लिए निधियां उधार नहीं लेगी ।

8. विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा । डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा ।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे दूसरे से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले

व्ययों को पूरा कर सके । इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट के छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों, के लिए भी किया जा सकता है ।

9. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा । ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं ।

10. लेखों का प्रकाशन :

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों को प्रकाशित करेगा, जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि का योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के कार्यों का विवरण होगा । ट्रस्ट सेबी को विधिवत् रूप से परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और लाभ हानि लेखा, अपरीक्षित अर्ध वार्षिक लेखों और एनएवी में हुए उतार चढ़ाव का एक तिमाही विवरण और पिछली अवधि में हुए परिवर्तनों सहित तिमाही पोर्टफोलियो विवरण भेजेगा । ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में हो और जिसका सूचित किया जाना आवश्यक हो । ट्रस्ट, सदस्य से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर, उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा ।

11. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्तन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किए गये परिवर्धन/संशोधन की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में की जाएगी । किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा ।

12. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति :

(क) प्लान पूर्ण रूप से 31-08-2000 को समाप्त किया जाएगा । सदस्यों के बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी और सदस्यों को उनके यूनिटों के मूल्य की अदायगी उक्त अवधि के दौरान अंतिम पुनर्खरीद के लिए निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी ।

निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के अलावा बाद की किसी अवधि के लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या लाभांश के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा । फिर भी ट्रस्ट, सेबी की पूर्व अनुमति से इस योजना को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ऐसी स्थिति में सदस्यों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे यूनिटों को वापस ट्रस्ट को बेच दें अथवा इस योजना में बने रहें । ट्रस्ट द्वारा निवेशक को यह विकल्प भी दिया जा सकता है कि वह पुनर्खरीद की राशि को आरंभ की गई अथवा उस समय परिचालन में रहने वाली किसी भी योजना में परिवर्तित कर सके ।

(ख) ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :

(1) प्लान के पांच वर्ष पूरा होने पर अर्थात् 31 अगस्त 2000 को अथवा 5 वर्ष के आगे ऐसी तारीख की समाप्ति पर जो ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित हो ।

(2) कोई ऐसी घटना घटित होने पर जिससे ट्रस्ट की राय में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति आवश्यक हो, या

(3) योजना के 75% सदस्यों द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर, या

(4) सदस्यों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निर्देश दे ।

(ग) जहां उपर्युक्त खण्ड (ख) के अनुसरण में योजना की समाप्ति की जाती है, तो ट्रस्ट को योजना को समाप्त करने वाले कारणों की सूचना, समापन के कम से कम एक सप्ताह पहले सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और बम्बई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देनी होगी ।

(घ) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट :—

(1) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा ।

(2) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को जारी करना और रद्द करना बंद करेगा ।

(3) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा ।

(ङ) न्यासी मंडल सदस्यों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।

(च) (1) न्यासी मंडल योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के यूनिट धारकों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा ।

(2) ऊपर दिए गए खण्ड (च) (1) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हो और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय ली गई तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(छ) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और यूनिट धारकों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियों जिनके कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए की गई योजना का व्यय, यूनिटधारकों को वितरण के लिए

उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के विवरण और योजना के लेखा परीक्षक से प्राप्त एक प्रमाण पत्र भेजेगा ।

(ज) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, सेबी [म्यूचुअल फंड] विनियमन 1993 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे।

(झ) खण्ड 12 (छ) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाती है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी ।

(ञ) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र के साथ सदस्यता सूचना प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिसमापन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर यथाशीघ्र पुनर्खरीद राशि का भुगतान किया जाएगा । सदस्यता सूचना पुनर्खरीद के लिए प्राप्त अनुरोध पत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रख लिए जाएंगे ।

13. उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा ।

इसके अंतर्गत बने योजना के प्रावधान और प्लान के प्रावधान, जैसे योजना में कहा गया है, एक दूसरे के साथ पढ़े जाएं ।

14. उपबंधों में ढील

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के निर्बाध और सहज संचालन के लिये योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में सेबी को सूचित करते हुए ढील दे सकता है, बशर्ते किसी सदस्य या सदस्य वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो । पेशकश दस्तावेज में कोई परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा ।

15. योजना और उसके अंतर्गत बना प्लान सदस्यों के लिये बाध्यकारी होगा

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान की शर्तों के साथ समय-समय पर इनमें किये गये संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक सदस्य और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिये इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह इसके लिए सहमत हो कि योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिये बाध्य हो ।

16. सदस्यों के लाभ

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति के समय एजेंटों, प्रारंभिक निधि और अधिक राशि के संबंध में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में शामिल सभी लाभ केवल उन्हीं सदस्यों को प्राप्त होंगे जो योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिये यूनिट के धारक रहे हों ।

स्रोत पर कर की कटौती

वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार धारा 194 के अधीन ट्रस्ट द्वारा इस प्लान के अंतर्गत 1-7-1995 के पश्चात् व्यक्ति सदस्यों को देय आय पर 15% की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी । बशर्ते वित्तीय वर्ष के दौरान यह आय रु. 10,000/- से अधिक हो ।

इसी प्रकार हिंदू अविभक्त परिवारों (एच. यू. एफ.) को देय आय में स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी यदि यह आय वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 10,000/- से अधिक हो ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 अथवा 12 अथवा 10(22) अथवा 10(22ए) अथवा 10(23) अथवा 10(23एए) अथवा 10(23सी) के अंतर्गत आने वाली पात्र संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रारूप में घोषणा किए जाने के आधार पर उनसे स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी ।

व्यक्ति, एच. यू. एफ. और उपरोक्त के अलावा अन्य पात्र संस्थाएं जो स्रोत पर कर की कटौती के बिना आय चाहती हैं उन्हें ट्रस्ट को धारा 197ए के अंतर्गत लिखित रूप से निर्धारित फार्म पर दो प्रतियों में घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए और उसे इस आशय की निर्धारित रीति से सत्यापित किया जाना चाहिए कि उसकी गत वर्ष की अनुमानित कुल आय पर कर "शून्य" होगा ।

स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने संबंधी निर्धारित फार्म निर्धारित फार्म सं. 15 (एच.) में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत की गई हो कि संबंधित वर्ष के लिए निवेशक की अनुमानित कुल आय पर कर शून्य होगा ।

स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने संबंधी निर्धारित फार्म आय वितरण वारंटों के भेजे जाने के कम से कम तीन माह पूर्व प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

कर में रियायत

प्लान के अंतर्गत आय और पूंजी वृद्धि पर कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा । वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार "एमआईपी-95 (2)" सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं के अंतर्गत यूनिटों से प्राप्त आय पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एल के अंतर्गत रु. 13,000/- तक की कुल सीमा तक आय से कटौती उपलब्ध होगी ।

इस प्लान के अंतर्गत होने वाला कोई भी दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निर्देशों के अधीन होगा ।

इस प्लान के अंतर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य धन-कर से मुक्त है ।

न्यास ट्रस्टों के लिए

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2)(बी) के अंतर्गत अनुमोदित स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं । अतः यूनिटों में निवेश कर सकने वाले ट्रस्ट आयकर अधिनियम की धारा 11 और 13 के अंतर्गत आय और निधि के लिए आवश्यक कर छूट के योग्य होंगे ।

सदस्यों के अधिकार

1. प्लान के अधीन सदस्यों को प्लान की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा प्लान द्वारा घोषित लाभांशों में समानुपातिक अधिकार है ।

2. सदस्यों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो तथा सदस्यों को ऐसी जानकारी देने के लिए बाध्य होंगे।

3. लाभांश की घोषणा किए जाने के 42 दिनों के भीतर सदस्य लाभांश वारण्ट के प्रेषित किए जाने के हकदार होंगे।

4. सदस्यों को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, सी विंग, नरीमन पाइंट, बम्बई-400021 में स्थित है।

अभिरक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वे ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत सभी योजनाओं/निधियों/प्लानों से संबंधित संपत्तियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अभिरक्षा खाते में धारित करें जो अभिरक्षकों तथा उनके अन्य ग्राहकों की आस्तियों से अलग हों।

अभिरक्षकों का यह प्रयास होगा कि वे योजनाओं/निधियों/प्लानों की सम्पत्तियों को ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत करें तथा वे उनकी सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करें। जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा। अभिरक्षक सभी सूचनाएं रिपोर्टें अथवा ट्रस्ट की योजना/निधियों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएगा।

लेखा परीक्षक

मैसर्स एस. के. मित्तल एण्ड क. ई/29, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2, नई दिल्ली-110049 और मैसर्स एस. के. कपूर एण्ड क. 16/98, एलआईसी बिल्डिंग, दी माल, कानपुर-208001 को आईडीबीआई द्वारा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

निवेशकों की शिकायतें

ट्रस्ट की विभिन्न 59 योजनाओं में 4.8 करोड़ से भी अधिक निवेशक हैं। जुलाई 1994 से मार्च 1995 तक की अवधि के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या और जिनका निवारण किया गया उनकी योजनावार संख्या नीचे दी गयी है :

	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन शिकायतें	निवारणाधीन शिकायतों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
सतत खुली योजनायें				
सी० सी० सी० एफ०	511	455	56	10.96
सी० जी० जी० एफ०	10621	9611	1010	9.51
सी० जी० एस०	775	566	209	26.97
सी० आर० टी० एस०	130	42	88	67.69
गृह लक्ष्मी यूनिट				
प्लान 94	1163	808	355	30.52
एच० यू० एस०	263	136	127	48.29
आर० बी० पी० 95	84	1	83	98.81
राज लक्ष्मी यूनिट				
योजना	2501	1812	689	27.55
एम० सी० यू० पी०	326	233	93	8.53
यूलिप	7533	5394	2139	28.40
यू०एस० 64	113576	102440	11136	9.80
कुल	137483	121498	15985	11.63

1	2	3	4	5
नियतकालीन योजनाएं				
सी० जी० यू० एस० 91	13474	13314	160	1.19
डी० आई० यू० पी० 93	4155	3794	361	8.89
डी० आई० यू० एस० 90	3203	3142	61	1.90
डी० आई० यू० एस० 91	2778	2708	70	2.52
डी० आई० यू० एस० 92	1448	1388	60	4.14
जी० सी० जी० आई०	2143	1157	986	46.01
जी० आई० यू० एस० पूल	1494	1200	294	19.68
जी० एम० आई० एस० 91	7053	6787	266	3.77
जी० एम० आई० एस० 92	3094	2950	144	4.65
जी० एम० आई० एस० 92 (II)	4546	4053	493	10.84
जी० एम० आई० एस० बी० 92	2700	2504	196	7.26
जी० एम० आई० एस० बी० 92 (II)	5315	5188	127	2.39
जी० एम० आई० एस० बी० 92	2700	2504	196	7.26
जी० एम० आई० एस० बी० 92 (II)	5315	5188	127	2.39
ग्रैंड मास्टर	6825	6197	628	9.20
आई० यू० एस 82	29	15	14	48.28
आई० यू० एस 85	11	9	2	18.18
मास्टर ग्रोथ	26957	25265	1692	6.28
एम० ई० पी 91	9272	8462	810	8.74
एम० ई० पी० 92	26809	25868	941	3.51
एम० ई० पी० 93	5371	4900	471	8.77
एम० ई० पी० 94	8636	7805	831	8.50
एम० ई० पी० 95	17	13	4	23.53
मास्टर गैन 92	114271	95823	18448	16.14
एम० आई० पी० 93	5774	5178	596	10.32
एम० आई० पी० 94	4435	4058	377	8.50
एम० आई० पी० 94 (II)	3150	2749	401	12.73
एम० आई० पी० 94 (III)	720	694	26	3.81
एम० आई० एस० पूल	2801	1874	927	33.10
एम० आई० एस० जी० 90(I)	1664	1080	584	35.10
एम० आई० एस० जी० 90(II)	22261	20945	1316	5.91
एम० आई० एस० बी 93	3825	3577	248	6.48
एम० आई० एस० सी० 91	17839	16969	870	4.88
मास्टर प्लस 91	32818	28844	3974	12.11
मास्टर शेयर 86	23312	1105	22207	95.26
यू० जी० एस 2000	18650	11401	7249	38.87
यू० जी० एस० 5000	6276	4671	1605	25.57
यू० एस० 92	7546	7385	161	2.13
विविध	1530	1119	411	26.86
योग	402202	334191	68011	16.91
कुल योग	538155	454570	83585	15.53

शिकायतों के निवारणाधीन रहने के कारण :

(1) संग्रहण कर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना ।

(2) आवेदन पत्र में निदेशक फोलियो, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण ।

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन का सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना ।

(4) मार्ग में ही खो जाना ।

(5) डाक सेवा में विलंब ।

(6) अंतरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना ।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा ।

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलंब से प्राप्त होना ।

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना ।

शिकायतों/आपत्तियों के प्रकार पर निर्भर रहते हुए ट्रस्ट निवेशक/बैंक/रजिस्ट्रार को उक्त का निवारण करने हेतु लिखता है । सभी निवेशक निवेश का पूर्ण ब्यौरा देते हुए अपनी शिकायतें निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

श्री पी. पी. शास्त्री

महाप्रबंधक

केन्द्रीय निवेशक सम्पर्क कक्ष

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय

द्वारा नं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग,

बम्बई-400020,

दूरभाष : 2003860/2003853

फैक्स : (022) 2003865

रजिस्ट्रार

यूटीआई निवेशक सेवा लि. प्लाट सं. 34, मरोल मरोशी रोड, मरोल मरोशी बस डिपो के समीप, विजय नगर, अंधेरी (पूर्व), बम्बई-400069, टेलिफोन : 8380395 को रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है ।

यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग करने, प्रमाणपत्रों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशक की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त क्षमता है । आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सेवाएं रजिस्ट्रार की चार मुख्य शाखाओं द्वारा प्रदान की जाएंगी :

पश्चिम अंचल : प्लाट नं. 369, मरोल मरोशी रोड, मरोल मरोशी बस डिपो के समीप, विजय नगर, अंधेरी (पूर्व), बम्बई-400069 ।

पूर्व अंचल : 2 फेयरली प्लेस, पहली मंजिल, पोस्ट बैग नं. 60, कलकत्ता-700001 ।

दक्षिण अंचल : जस्टिस बशीर अहमद सईद बिल्डिंग, 45, संकेण्ड लाईन बीच, मद्रास-600001 ।

उत्तर अंचल : तेज बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, 8 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 ।

निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज ।

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केन्द्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वारा नं. 1, सर विट्ठल ठाकरसी मार्ग, बम्बई-400020 में उपलब्ध रहेंगे ।

*यूटीआई अधिनियम

*सामान्य विनियम

*अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और संग्रहणकर्ता बैंकों के साथ किए गए करार

सामान्य

सेबी (म्यूचुअल फण्ड) विनियम, 1993 के अनुसार म्यूचुअल फण्डों की सभी निगत कालीन योजनाएं सूचीबद्ध होनी चाहिए। हमारी इस योजना की विशेष प्रकृति और प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए हमने सेबी को आवेदन किया है कि वह एमआईपी 95(2) को सूचीबद्ध होने से छूट प्रदान करें । यदि हमारा अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है तो इस योजना को एनएसई और ओटीसीईआई में सूचीबद्ध करवाया जाएगा और यूटीआई विपणन योग्य लाट में प्रमाण पत्र जारी करेगा जो हस्तान्तरणीय होंगे । हालांकि, निवेशकों को एक वर्ष के बाद पुनर्खरीद सुविधा उपलब्ध कराया जाना जारी रहेगा, भले ही योजना सूचीबद्ध हो या न हो ।

यू० टी० आई के पिछले पांच मासिक आय प्लानों का विवरण

प्लान	एमआईपी 93	एमआईपी 94	एमआईपी 94(II)	एमआईपी94(III)	एमआईपी 95
आरम्भ होने की तिथि	01–11–93	01–03–94	01–07–94	01–01–95	01–07–95
समाप्ति की तिथि	31–10–98	28–02–98	30–06–98	31–12–99	20–06–2002
मासिक लाभांश	13.5% प्र०व०	पहले दो वर्षों के लिये 13% प्र० व०	पहले दो वर्षों के लिये 13% प्र० व०	पहले वर्षों के लिये 12% प्र० व०	पहले वर्षों के लिये 13% प्र० व०
संचयी विकल्प	रु० 2000/– संचित होकर रु० 4000/- हो जाते हैं।	रु० 2000/– 2 वर्षों में रु० 2590/- हो जाते हैं	रु० 2000/- 2 वर्षों में रु० 2590/- हो जाते हैं	—	—
संग्रह की गई राशि	रु०628 करोड़	रु० 453 करोड़	रु० 493 करोड़	रु० 701 करोड़	रु० 541.77 करोड़
आवेदन पत्रों की संख्या	203358	143404	134492	183000	178294

*30–06–95 तक अनंतिम आंकड़े

पूर्ववर्ती आंकड़े—

पूर्ववर्ती आंकड़े	1992–93					1993–94				
	एम आई एस पूल	एम आई एस जी 90 पूल	जीएमआईएस पूल	जीएमआईएम बी 92 पूल	एमआईएसबी 93 पूल	एमआईएस पूल	एमआईएसजी 90 पूल	जीएमआईएस पूल	जीएमआईएम बी 92 पूल	एमआईएसबी 93 पूल
(क) सकल आय	21976.66	52603.65	30851.93	7045.47	559.20	27496.13	51887.56	40810.07	13301.68	13991.33
(ख) व्यय (संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान सहित)	571.08	1135.13	1041.91	628.53	173.32	486.12	1274.92	979.94	434.66	957.44
(ग) शुद्ध आय	21405.58	51468.52	29810.02	6416.94	385.88	27010.01	50612.64	39830.13	12867.02	13033.89
(घ) लाभांश	14652.52	43199.99	19278.95	5757.82	0.00	9562.46	47043.45	20441.40	8247.96	11822.55
(ङ) न्यू०आ०मू० (प्रति यूनिट)*										
वर्ष के आरम्भ में	10.71	10.59	11.19	—	—	11.55	10.65	11.06	10.16	10.12
वर्ष के अंत में	11.55	10.65	11.06	10.16	10.12	14.73	11.35	12.99	11.71	10.96
(च) औसत मासिक शुद्ध आस्तियों का व्यय (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(छ) पोर्टफोलियो स्विचआर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ज) बाजार मूल्य										
उच्चतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
न्यूनतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(झ) पुनर्खरीद मूल्य										
उच्चतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
न्यूनतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ञ) बिक्री मूल्य										
उच्चतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
न्यूनतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ट) अवधि की समाप्ति पर ओ/एस यूनिटों की संख्या (रु०' 000 में)**	184969.69	347161.23	209470.04	82323.85	43104.70	50706.67	354292.41	208431.38	82286.03	133731.35

*न्यू०आ०मू० की गणना आरक्षित पूंजी और पूल में निवेश की कुल अप्राप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए की गई है।

**यूनिटों का अंकित मूल्य (अंक लाख में) दिया गया है हालांकि सभी पूलों के अंतर्गत प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य 10/- है और इस प्रकार तदनुसार यूनिटों की संख्या की गणना की जा सकती है।

प्रत्याशू वर्ष के लिए लाभांशों की गणना की जाती है और उस सीमा तक प्रावधान किये जाते हैं।

मासिक आय योजनाएं

					1994-95				
एम आई पी 94	एम आई पी (II)	एम आई एसजी पूल	जी एमआईएस पूल	जीएमआईएस बी92 पूल	एमआईएस बी 93 पूल	एमआई पी 94	एमआईपी 94 (II)	एमआईपी 94 (III)	एमआईपी 95
2443.14	198.33	50382.00	36865.00	15196.00	18030.00	5853.00	7227.00	3978.00	—
256.01	175.07	1550.00	1000.00	500.00	980.00	2583.00	2976.00	2057.00	13.00
2187.13	23.26	1117.00	5234.00	2642.00	1820.00	2548.00	3890.00	2779.00	13.00
		+	+	+	+	+	+	+	+
2106.70	0.00	47715.00	30361.00	12054.00	18870.00	5818.00	8141.00	4700.00	0.00
—	—	11.35	12.99	11.71	10.90	10.06	10.10	—	—
10.06	10.10	10.92	12.50	11.12	10.02	9.45	9.37	9.49	9.94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44552.46	38233.01	381368.00	205931.00	82116.00	133068.00	44552.46	61861.00	73500.00	16589.00

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग (न्यू मरीन लाईन्स)

बम्बई-400 020, दूरध्वनि : 2068468
आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : केन्द्र-1, 28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, बम्बई-400005, दूरध्वनि : 2181099/2181254 पूर्वी अंचल : 2 फेयरली प्लेस, दूसरी मंजिल, कलकत्ता-700001 दूरध्वनि : 2209391/2205322 दक्षिणी अंचल : यू टी आई हाउस 29, राजाजी सालै, मद्रास-600001, दूरध्वनि : 517101 उत्तरी अंचल : जीवन भारती, 13वीं मंजिल, टावर 2, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 दूरध्वनि : 3329860/3329858.

पश्चिमी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

बम्बई मुख्य शाखा

केन्द्र-1, 29वीं मंजिल, कफ परेड, कोलाबा,
बम्बई-400 005

दूरध्वनि : 2181600/2181099

शाखाएं जहां फार्म भेजे जाएं

अहमदाबाद : यू टी आई हाउस, मिथाकाली रेलवे पूल के पास, आश्रम रोड के समीप, अहमदाबाद-380 009, दूरध्वनि : 403864 बड़ौदा : मेघधनुष, चौथी और पांचवी मंजिल, ट्रान्सेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390 015, दूरध्वनि : 332481 भोपाल : पहली मंजिल गंगा जमुना कमर्सिअल काम्प्लेक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर अंचल 1, स्कीम 13, हबीब गंज, भोपाल-462 001, दूरध्वनि : 558308 बम्बई (1) : यूनिट सं. 2, ब्लाक "बी" जे वी पी डी शापिंग सेन्टर, गुलमोहर क्रास रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), बम्बई-400 049, दूरध्वनि : 6201995 बम्बई (2) : पर्सेपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आंध्रा बैंक के उपर, सेक्टर 17, वाशी, नई बम्बई-400 703, दूरध्वनि : 7672607 बम्बई (3) लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लमेन्शन, बम्बई-400020, दूरध्वनि : 2850821/822 बम्बई (4) : श्रद्धा शापिंग आर्केड, पहली मंजिल, एस वी रोड, बोरीवली (पश्चिम), बम्बई-400 092, दूरध्वनि 8020521 बम्बई (5) सागर बोनांजा, पहली मंजिल, खोत लेन, घाटकोपार (पश्चिम), बम्बई-400 086, दूरध्वनि : 5162256, इन्दौर : सिटी सेन्टर : दूसरी मंजिल, 570 एम. जी. रोड, इन्दौर-452 001, दूरध्वनि : 22796, कोल्हापुर : अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511, के एच-1/2, 'ई' वार्ड, दाबोलकर कोरनर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416 001, दूरध्वनि : 657315, नागपुर : श्री मोहिनी काम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, (किंग्स्वे), नागपुर-440 001, दूरध्वनि : 536893 नासिक : सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम. जी. रोड, नासिक-422 001, दूरध्वनि : 72166 पंजिम : ई. डी. सी. हाउस, भूतल, डा. ए. बी. मार्ग, पंजिम, गोवा-403 001, दूरध्वनि : 222472 पुणे : सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183 'ए' फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411 005, दूरध्वनि : 325954 राजकोट : लल्लूभाई सेन्टर, चौथी मंजिल, लखाजी राज रोड, राजकोट-360 001, दूरध्वनि : 35112 सूरत : भूतल, सैफी बिल्डिंग, डच रोड, ननपुरा, सूरत-395 001, दूरध्वनि : 34550.

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

आग्रा : सी ब्लाक, भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आग्रा-282 002 दूरध्वनि : 350552 इलाहाबाद : यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लिडर रोड, इलाहाबाद-211 003 दूरध्वनि : 50521, अमृतसर : श्री द्वारका धिशजी काम्प्लेक्स क्विन्स रोड, अमृतसर-143 001, दूरध्वनि : 210367, चण्डीगढ़ : जीवन प्रकाश, एल आई सी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160 017 दूरध्वनि : 543683, देहरादून : दूसरी मंजिल, 59/3, राजपुर रोड, देहरादून-248 001, दूरध्वनि : 26720, जयपुर : आनंद भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर-302 001, दूरध्वनि : 232501, कानपुर : 16/79 इ, सिविल लाईन्स, कानपुर-208 001, दूरध्वनि : 317278, लखनऊ : रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ-226 001, दूरध्वनि : 232501, लुधियाना : सोहन पैलेस, 455, वि माल, लुधियाना-141 001, दूरध्वनि : 400373, नई दिल्ली : गुलाब भवन (पिछला ब्लाक), दूसरी मंजिल, 6 बहादूरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरध्वनि : 3318638/3319786, शिमला : 3, माल, पहली मंजिल, (आनकीदास एण्ड कम्पनी डिपार्टमेन्ट स्टोर के उपर), शिमला-171 002, दूरध्वनि : 4203, वाराणसी : पहली मंजिल, डी/58/2ए-1, भवानी मार्केट, रथयात्रा, वाराणसी-221001, दूरध्वनि : 54306/54262/54272.

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : विश्व व्यापार केन्द्र, चेम्बर आफ कामर्स, कोम्पे-गोवडा रोड, बंगलोर-560 009, दूरध्वनि : 2253739 कोचीन : जीवन प्रकाश, पांचवी मंजिल, एम. जी. रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682 001, दूरध्वनि : 362354, कोयम्बतूर : 82, चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, राजकीय आर्टस कालेज, कोयम्बतूर-641 018, दूरध्वनि : 214973, हैदराबाद : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद-500 001, दूरध्वनि 511095 मद्रास : यू. टी. आई. हाउस, 29, राजाजी सलाई, मद्रास-600 001, दूरध्वनि : 517101 मदुराई : तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परनकुन्दम रोड मदुराई-625 001, दूरध्वनि : 381186, मंगलोर : सिद्धार्थ बिल्डिंग, बालमाता रोड, मंगलोर-575 001, दूरध्वनि : 426290, तिरुअनंतपुरम : स्वस्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम. जी. रोड, तिरुअनंत-पुरम-695 001, दूरध्वनि : 331415 त्रिची : 104, सलाय रोड वोरेयूर, तिरुचिरापल्ली-620003, दूरध्वनि : 27060, त्रिचूर : 28/876/77, वेस्ट पल्लिथानाम बिल्डिंग, करुणाकरण नंबियार रोड, राउण्ड नार्थ, त्रिचूर-680020, दूरध्वनि : 331259, विजयवाड़ा : 27-37-156,

बंदर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा-520002, दूरध्वनि : 74434 विशाखापट्टनम : रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47-15-6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर विशाखापट्टनम-530016, दूरध्वनि : 548121.

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : पहली और दूसरी मंजिल, उड़ीसा को-आ. हौसिं. कारपोरेशन, लिमिटेड, बिल्डिंग 24, जनपथ, राम मंदिर के बाजू, भुवनेश्वर-751 001, दूरध्वनि : 410 995 कलकत्ता : 2 और 4, फेयरली प्लेस, कलकत्ता-700 001, दूरध्वनि : 2209391/2208322 दुर्गापुर : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर-713 216, दूरध्वनि : 4831 गुवाहाटी : हिंदुस्थान बिल्डिंग, मोतीलाल नेहरू रोड, पानबाजार, गुवाहाटी-781 001, दूरध्वनि : 543131 जमशेदपुर : 1-ए, राम मंदिर परीसर, भूतल और दूसरी मंजिल, बिलासपुर, जमशेदपुर-831 001, दूरध्वनि : 425508 पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, एक्जीबीशन : रोड पटना-800 001, दूरध्वनि : 235001 सिलीगुड़ी : जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सारनी, सिलीगुड़ी-734401, दूरध्वनि : 23275.

सं. यू टी/डी बी डी एम/329-बी/एस पी डी 72 डी/95-96—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनाए गए डेफर्ड आय प्लान 1995 का पेशकश दस्तावेज, जिसे 16 अगस्त, 1995 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है ।

ए. पी. जोशी
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

डेफर्ड आय प्लान 1995

पेशकश (आफर) दस्तावेज

1 सितम्बर, 1995 से 25 सितम्बर, 1995 तक पेशकश खुली रहेगी ।

डेफर्ड आय प्लान 1995 भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाया गया है जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई यूनिट योजना, डेफर्ड आय योजना 1995 के संबंध में है ।

प्लान के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फन्ड) विनियम, 1993 के अनुसार तैयार किए गए हैं और जन-साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है ।

प्लान का उद्देश्य

यह एक आयोन्मुख प्लान है । प्लान का उद्देश्य या तो बाद की तारीख में तिमाही आधार पर उच्च आय प्रदान कर अथवा 5 वर्षों की अवधि तक संचित की गई आय को उपलब्ध करा कर निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करना है ।

विशिष्टताएं

* यह एक पांच वर्ष का प्लान है ।

* प्लान निवासी वयस्क व्यक्तियों/एकल या अन्य किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त/या उत्तरजीवी आधार पर/अविभक्त परिवारों/न्यासों/समितियों/पंजीकृत सहकारी समितियों/अलाभकारी कम्पनियों सहित निगमित निकायों (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत) के लिए खुला है ।

* ट्रस्ट द्वारा तीसरे वर्ष से प्रत्येक तिमाही के शुरू में न्यूनतम लक्षित लाभांश 26% प्रति वर्ष की दर से अदा किया जाना प्रस्तावित है । चौथे और पांचवें वर्षों के लिए लाभांश पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में घोषित किया जाएगा और तिमाही आधार पर अदा किया जाएगा ।

* संचयी विकल्प के अंतर्गत कोई आय वितरण नहीं होगा । उत्पन्न आय का प्लान में ही निवेश कर दिया जाएगा और यह शुद्ध आस्ति मूल्य में परावर्तित होगा ।

* पहले वर्ष के बाद दोनों विकल्पों के अंतर्गत पुनर्खरीद एनएवी आधारित पुनर्खरीद मूल्य पर लागत को घटाकर किया जाएगा । लागत प्रति यूनिट एनएवी के 5% से अधिक नहीं होगी ।

* निवेश का एक भाग इक्विटियों में होने से पूंजी-वृद्धि की संभावना ।

* लाभांश और पूंजी वृद्धि से पूंजीगत लाभ पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 एल और धारा 48 तथा 112 के अंतर्गत कर लाभ ।

जोखिम के तत्व

* प्लान के यूनिटों में निवेश पर बाजार का जोखिम होता है और प्लान की शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का ऊपर या नीचे आना बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है ।

* यदि वास्तविक आय 26% प्र. व. न्यूनतम लक्षित लाभ का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी तो सदस्यों को उस तीसरे वर्ष में हद तक यूनिट पूंजी का घाटा उठाना पड़ सकता है ।

* ट्रस्ट की पहले की योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है। इस प्लान के लक्ष्यों की प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है ।

* डेफर्ड आय प्लान 1995 केवल प्लान का नाम है और यह किसी भी प्रकार से प्लान की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है । निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस प्लान में निवेश करने से पहले पेशकश की शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें ।

प्रबंधन के विचार से जोखिम के तत्व

* ट्रस्ट 30 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 48 मिलियन से अधिक निवेशकों से लगभग 61,000 करोड़ रुपये की निधियों के प्रबंधन में निपुणता हासिल की है ।

ट्रस्ट के अब तक शुरू किये गये चार डेफर्ड आय योजनाओं/प्लान के कार्यनिष्पादन नीचे दी गई तालिका में दर्शाये गए हैं :

यू० टी० आई० की स्थापना

यू० टी० आई० अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत भारतीय ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबन्धन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होने वाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। ट्रस्ट ने जुलाई 1964 से काम करना आरम्भ किया था।

यू० टी० आई० का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मण्डल में निहित है जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। बोर्ड के अलावा एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी शामिल हैं। यह समिति मण्डल की कार्यक्षमता के अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले पर विचार करने के लिये सक्षम है।

न्यासी मण्डल

1. डा० एस० ए० दवे	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2. श्री एस० एच० खान	अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
3. डा० अरविन्द वीरमणि	सलाहकार, नीति निर्धारण, भारत सरकार आर्थिक कार्य, विभाग वित्त मंत्रालय
4. श्री एम० एस० सेखसरिया	प्रबन्ध निदेशक, गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि०
5. श्री पी० आर० खन्ना	सनदी लेखाकार
6. कु० आई० टी० वाज	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक
7. श्री जे० एस० सालुखे	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
8. श्री एन० बाघुल	अध्यक्ष, आई० सी० आई० सी० आई० लि०
9. श्री जे० वी० शेट्टी	अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, कैनरा बैंक

क्रम सं० योजना/प्लान	डेफर्ड आय		विकल्प के अन्तर्गत तिमाही लाभांश			बोनस लाभांश (परपक्वता परिदेय)	लाभ
	3रे वर्ष	4 थेवें वर्ष	5वें वर्ष	6ठे वर्ष	7वें वर्ष		
(1) डी आई यू एस' 90							
5 वर्षीय विकल्प	18%	24%	30%	—	—	5%*(+30% परिपक्वता पर पूंजी वृद्धि)	17.25%
7 वर्षीय विकल्प	—	24%	24%	30%	30%	7.5%	14.25%
(2) डी आई यू एस' 91							
डेफर्ड विकल्प	18%	24%	30%	—	--	5%* & 6%**	15.37%
संचयी विकल्प						2.5%* & 3%**	15.50%
(3) डी० आई यू एस' 92	28%	28%	28%	—	—	—	15.70%
(4) डी आई यू पी' 93	28%	28%	28%	—	—	—	15.19%

*योजना में प्रावधान न रहते हुए भी 9-8-93 को अंतरिम बोनस लाभांश घोषित

**बोनस लाभांश घोषित करने के लिये योजना के प्रावधान के अनुसार तीसरे वर्ष की समाप्ति पर बोनस लाभांश 16-08-94 को घोषित।

डेफर्ड आय योजना 1995 का ब्यौरा (डीआईएस, 95)

1. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरम्भ :

(1) यह योजना डेफर्ड आय योजना 1995 (डीआईएस, 95) कहाी जाएगी।

(2) यह योजना और इसके अंतर्गत बना प्लान पांच वर्षों के लिए अर्थात् 1 अक्तूबर 1995 से 30 सितम्बर 2000 तक की अवधि के लिए होगी।

(3) यूनिटों की बिक्री 1 सितम्बर 1995 से 25 सितंबर 1995 तक 25 दिनों के लिए होगी।

बशर्तें यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक आर्थिक कारण होने पर अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं।

2. परिभाषाएं :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो : —

(क) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन-पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(ग) "वैकल्पिक आवेदक" का अर्थ नाबालिग के मामले में माता-पिता के अलावा उस माता-पिता से है जिन्होंने नाबालिग की ओर से आवेदन किया हो।

(घ) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र होगा, जो अवयस्क नहीं होगा और प्लान के खण्ड 3 के अंतर्गत आवेदन करता हो।

(ङ) "पात्र संस्था" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट विनियमावली 1964 में यथापरिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है।

(च) योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में "सदस्य" के रूप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ और इसमें शामिल उस आवेदक से है जिसे इस योजना में यूनिट आबंटित किए गए हों।

(छ) "जारी समझे जाने वाले यूनिटों की संख्या" का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की कुल संख्या है।

(ज) "व्यक्ति" में ऊपर यथापरिभाषित पात्र संस्था शामिल है।

(झ) "मान्यताप्राप्त शेयर बाजार" का अर्थ वह शेयर बाजार है, जिसे फिलहाल प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

(ञ) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी सेवाएं ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए ली जा सकें।

(ट) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अंतर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है।

(ठ) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड।

(ड) "समिति" का अर्थ समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्थापित समिति या फिलहाल प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अन्तर्गत स्थापित अन्य कोई समिति है।

(ढ) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है।

(ण) यूनिट पंजी का तात्पर्य फिलहाल यूनिट योजना के अंतर्गत निर्गत और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है।

(त) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है।

(थ) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम विनियमावली में दिये गये हैं।

(द) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल हैं और सभी पुल्लिंग संदर्भों में स्त्रीलिंग तथा एक में दूसरे के विपर्यय शामिल हैं।

योजना के अन्य उपबंध पृष्ठ सं. 12 से पृष्ठ सं. 16 तक दिए गए हैं।

डेफर्ड आय योजना 1995 (डीआईपी' 95) के अंतर्गत बनाये गए डेफर्ड आय प्लान 1995 (डीआईपी' 95))के उपबंध यहां नीचे दिए जाते हैं।

1. परिभाषाएं :

शब्द (जो) प्लान में परिभाषित नहीं किये गये हैं तथा योजना और अधिनियम/विनियमों में परिभाषित नहीं किए गए हैं उनके अपने-अपने अर्थ योजना/अधिनियम/विनियमों में दिए गए अर्थ हैं।

2. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

इस योजना के अंतर्गत जारी प्रत्येक यूनिट का मूल्य दस रुपये होगा।

3. यूनिटों के लिए आवेदन

(1) यूनिटों के लिए आवेदन केवल निवासियों द्वारा किये जा सकते हैं, जैसे

(क) व्यक्ति, एकल या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में/उत्तरजीवी आधार पर ।

(ख) नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक । बालिग और नाबालिग संयुक्त रूप से आवेदन नहीं कर सकता ।

(ग) योजना में यथापरिभाषित पात्र संस्था, जिसमें अप्रति-संहरणीय और लिखत द्वारा निर्मित निजी न्यास शामिल है) ।

(घ) योजना में यथापरिभाषित कोई समिति ।

(ङ) पंजीकृत सहकारी समिति ।

(च) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत निर्मित अलाभकारी कम्पनी सहित अन्य निगमित निकाय लेकिन बैंक और कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत अन्य कम्पनियां शामिल नहीं हैं ।

(छ) हिन्दू अविभक्त परिवार ।

(2) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित फार्म में किये जायेंगे ।

4. न्यूनतम निवेश राशि :

दोनों विकल्पों डेफर्ड और संचयी के अंतर्गत आवेदन न्यूनतम 200 यूनिटों के लिए और उसके बाद 100 यूनिटों के गुणकों में किया जाएगा । कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

आवेदक को जितनी यूनिटें चाहिए उन सब के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । एकल अथवा संयुक्त नामों से किए गए दो या अधिक आवेदन पत्रों को गुणक आवेदन माना जाएगा यदि उनमें एकमात्र अथवा प्रथम आवेदक समान है। ऐसे गुणक आवेदन पत्रों में से किसी को अथवा सभी को अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार पूर्णतया उसके स्वनिर्णय में सुरक्षित है ।

रु. 50,000/- और उससे अधिक निवेश के मामले में, निवेशक को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पीएएन/जीआईआर संख्या है तो वह उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करें ।

5. एकत्र की जाने वाली न्यूनतम लक्ष्य राशि

प्लान के अंतर्गत एकत्र की जाने वाली लक्ष्य राशि 50 करोड़ रुपए होगी । अत्यधिदान, यदि कोई हो तो उसे ट्रस्ट द्वारा रखा जाएगा ।

यदि लक्ष्य राशि के 60 प्रतिशत का अभिदान नहीं हो तो, ट्रस्ट को आदाता के खाता चैक/प्रत्यर्पण आदेश द्वारा प्लान के अंतर्गत संग्रहीत पूरी राशि को यूनिटों की बिक्री समाप्ति तिथि से छः हफ्तों या उसके पहले वापस करना होगा ।

उक्त अनुबद्ध अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में बिक्री अवधि में बिक्री बंद होने की तिथि से 6 सप्ताहों की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदक को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेवार होगा ।

6. खर्चों पर सीमा

निर्गम के आरम्भिक खर्चे प्लान के अंतर्गत एकत्र निधि के 6% से अधिक नहीं होंगे । प्लान के प्रारम्भिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :

व्यय	%
मुद्रण और डाक	1.50
प्रचार और मार्केटिंग	1.50
एजेंटों को कमीशन	1.25
प्रशासनिक व्यय	0.50
रजिस्ट्रारों को प्रभार	0.50
विविध	0.75
योग	6.00

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपए का कम से कम 94 पैसे का इस प्लान में निवेश किया जाएगा ।

आरम्भिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर प्लान का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% से अधिक नहीं होगा । अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार है :

व्यय	%
प्रशासनिक व्यय	1.00
अभिरक्षण शुल्क	0.50
विकास प्रारक्षित निधि	0.10
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
लेखा शुल्क	0.20
रजिस्टरों के लिए शुल्क	0.50
अन्य व्यय	0.60
योग	3.00

उपरोक्त व्यय अनुमानित है और वास्तविक रूप से दिए गए व्ययों में परस्पर परिवर्तित किए जाने के अधीन है । फिर भी, सेबी (म्युचुअल फन्ड) विनियम, 1993 के अनुसार कुल आरम्भिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि की 6% की सीमा के भीतर तथा आवर्ती व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% की सीमा के भीतर ही होगा । इसके अलावा, प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि और कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान लेखा वर्ष के दौरान प्लान के साप्ताहिक औसत एनएवी के 1.25% से अधिक नहीं होगा ।

7. भुगतान विधि :

(1) (1) किसी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा ।

जहां आवेदन ट्रस्ट के शाखा कार्यालयों में जमा किये जाए, वहां चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किये जाएं, जिस शहर में स्थित कार्यालय में आवेदन किए जाएं ।

लेकिन जहां आवेदक ट्रस्ट के क्षेत्रीय/संग्रहण केन्द्र/विशेष अधिकृत कार्यालय वाले स्थान से भिन्न स्थान से आवेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिटों के लिये आवेदन पत्र के साथ देय बैंक ड्राफ्ट के लिये देय बैंक प्रभार घटाकर बैंक ड्राफ्ट भेजते हुए ऐसा कर सकता है। किन्तु जहां आवेदक ट्रस्ट के कार्यालय/संग्रहण केन्द्र/विशेष अधिकृत कार्यालय वाले स्थान से आवेदन करना चाहे हो, बैंक ड्राफ्ट कमीशन निदेशक को ही भरना होगा ।

(2) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट की शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चेक प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चेक की वसूली हो ।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो । लेकिन आवेदन ट्रस्ट द्वारा उपयुक्त समझे गए समय के भीतर ट्रस्ट या संग्रहण केन्द्र को प्राप्त हो जाएं । यदि आवेदित यूनिट के लिए भुगतान की गई राशि आवेदित यूनिटों के लिए देय राशि से कम हो, तो आवेदक को उतनी ही कम संख्या में यूनिट जारी किए जाएंगे, जितने इस योजना के अंतर्गत किए जा सकेंगे । उसको देय शेष राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से उसके जोखिम पर उसे वापस कर दी जाएगी ।

(2) आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार ट्रस्ट का होगा :

ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक से योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिट जारी करने के लिए आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके । योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा ।

अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत किये जा सकते हैं

आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर, अस्वीकृत कर दिया जाएगा और अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने पर बिना किसी ब्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी ।

(3) यूनिट जारी होने के पहले आवेदक के लिये योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा ।

योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में यूनिट के लिए आवेदन करनेवाले व्यक्तियों को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं जैसे न्यासों से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में ट्रस्ट विलेख प्रबंध समिति का यूनिट खरीदने संबंधी संकल्प नाबालिग की ओर से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में जन्म प्रमाणपत्र, आदि जो निवेशक की श्रेणी पर निर्भर करेगा । ऐसी अपेक्षाएं पूरी करने या नहीं करने के प्रति ट्रस्ट की संतुष्टि उसके अपने विवेक पर निर्भर होगी ।

गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाला व्यक्ति अपनी सदस्यता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम सदस्यों की पंजी से काट दिया जाएगा । ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% दण्ड के तौर पर घटाने के बाद सममूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिट की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किये गये आय वितरण की वसूली पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापस करे । पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिये राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

8. यूनिटों की बिक्री :

पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटों का बिक्री मूल्य सममूल्य पर होगा । ट्रस्ट द्वारा यूनिट की बिक्री संविदा, स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी । बिक्री संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र आवेदक को सदस्यता सूचना जारी करेगा । यह इस बात का साक्ष्य होगा कि उसे योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है । ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था और निगमित निकाय को जारी सदस्यता सूचना पत्र तथा/निगमित निकाय के नाम में होगी ।

प्रेषित सदस्यता सूचना के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा ।

ट्रस्ट प्लान के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से 10 हफ्तों के भीतर सदस्यता सूचना भेजने का प्रयास करेगा ।

9. यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) अवरुद्ध अवधि एक वर्ष अर्थात् 30 सितम्बर 1996 तक की होगी । प्लान के अंतर्गत पहले वर्ष के दौरान कोई पुनर्खरीद नहीं की जाएगी । यूनिटों के एनएवी पर आधारित

पुनर्खरीद मूल्य (पूर्ववर्ती आधार पर) पहले वर्ष के दौरान प्रारंभ में प्रत्येक 3 महीनों में एक बार घोषित किया जाएगा । अवरुद्ध अवधि समाप्त होने के बाद अर्थात् 30-9-1996 को, एनएवी पर आधारित पुनर्खरीद मूल्य प्रत्येक माह 1-10-96 से प्रारंभ करते हुए प्रति यूनिट एनएवी के 5% तक की लागत को घटाने के बाद घोषित किया जाएगा ।

(2) **डेफर्ड आय विकल्प** : ट्रस्ट प्लान के अंतर्गत यूनिट धारण के दूसरे वर्ष से पुनर्खरीद के लिए यूनिटों की पेशकश करेगा । पुनर्खरीद मूल्य पूर्ववर्ती एनएवी पर आधारित होगा। पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट को प्रशासकीय व्यय और अन्य प्रभार, जो प्रति यूनिट एनएवी के 5% से अधिक न हों, की कटौती करने का अधिकार होगा । सादे कागज पर एक अनुरोध पत्र के साथ सदस्यता सूचना प्राप्त होने पर पुनर्खरीद की जाएगी किन्तु अनुरोध पत्र सभी धारकों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और अन्य व्यक्ति द्वारा सत्यापित होना चाहिए तथा सत्यापन करनेवाले व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय दिया जाना चाहिए । सूचना में अंकित सभी यूनिट पुनर्खरीद के लिये पेश किए जाने चाहिये । यूनिटों की आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी । पुनर्खरीद के लिये आवेदन करते समय सदस्य को पुनर्खरीद तिमाही तक के बचे हुए सभी अदत्त आय वितरण वारंट ट्रस्ट को सौंपने होंगे ।

ट्रस्ट पुनर्खरीद के अनुरोध पत्र सहित सदस्यता सूचना प्राप्त होने पर स्वीकृति वाली तिमाही या भावी तिमाही के लिये यूनिटों पर आय वितरण का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा और न ही पुनर्खरीद की प्राप्तियों पर कोई ब्याज देय होगा ।

प्राप्त सभी दस्तावेज और अदत्त आय वितरण वारंट, यदि हों, निरस्तीकरण के लिये ट्रस्ट द्वारा रख लिए जाएंगे ।

(3) पूर्ववर्ती उप-खण्डों में अन्तर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिट की पुनर्खरीद करते समय, सदस्य द्वारा उस समय तक बकाया आय वितरण वारंटों को अभ्यर्पित नहीं करने की स्थिति में ट्रस्ट ऐसे आय वितरण वारंटों की भविष्य में देय राशि पुनर्खरीद मूल्य में घटाकर सदस्य को शेष राशि का भुगतान करने के लिये स्वतंत्र होगा । ट्रस्ट को सदस्यता सूचना और पुनर्खरीद का अनुरोध पत्र प्राप्त हो जाने के बाद सदस्य को स्वीकृति तिमाही के आय वितरण सहित भावी आय वितरण प्राप्त करने का अधिकार नहीं रह जायेगा और ऐसे बकाया आय वितरण की राशि का दावेदार ट्रस्ट होगा ।

(4) तिमाही आधार पर प्रदत्त पूरे वर्ष के आय वितरण के हकदार सदस्य को यूनिट पूरे वर्ष तक रखने होंगे । वर्ष के किसी भाग के लिये यूनिट रखनेवाला सदस्य केवल धारण अवधि के लिये, जो हमेशा धारण की पूरी तिमाहियों की होगी, आनुपातिक आय वितरण प्राप्त करने का हकदार होगा और तिमाही के भाग को, चाहे उसकी अवधि कितनी भी क्यों न हो, हमेशा छोड़ दिया जाएगा ।

(5) सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में वैध प्रतिनिधि या नामित द्वारा सदस्यता सूचना, पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र और बकाया अदत्त आय वितरण वारन्ट-ट्रस्ट को सौंप जाने के बाद वह (ट्रस्ट) दावे की मान्यता संबंधी निर्धारित औपचारिकता पूरी होने पर अपने नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार इसमें ऊपर उपखण्ड (2) और (3) में यथावर्णित रूप में यूनिट की पुनर्खरीद करेगा और दावे की निपटान तिथि तक के बकाया तिमाही आय वितरण का आनुपातिक भुगतान करेगा और ऐसा भुगतान पूरी तिमाहियों की अवधि के लिए होगा ।

(6) ट्रस्ट द्वारा कटौती, यदि कोई हो, करने के बाद पुनर्खरीद गए यूनिटों के लिये भुगतान स्वीकृति तिथि के बाद यथाशीघ्र आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में यथालिखित रीति से किया जायेगा। आवेदक को देय राशि पर किसी भी कारण से कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा ट्रस्ट द्वारा प्रेषित चैक या ड्राफ्ट का प्रेषण (डाक खर्च सहित) या वसूली खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।

(7) **संचयी विकल्प** :

संचयी विकल्प के अन्तर्गत जारी यूनिटों के मामले में ट्रस्ट प्लान के अंतर्गत यूनिट धारण के दूसरे वर्ष से यूनिटों के पुनर्खरीद की पेशकश करेगा। पुनर्खरीद मूल्य पूर्ववर्ती एनएवी आधार पर होगा । पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट प्रति यूनिट एनएवी के 5% तक प्रशासकीय व्यय और अन्य प्रभार काटने के लिए स्वतंत्र होगा।

आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(8) पुनर्खरीद किए गए यूनिटों को पुनः जारी नहीं किया जाएगा।

(9) पुनर्खरीद मूल्य के परिकलन का आधार यथासमय सेबी द्वारा निर्धारित विनियम, दिशा-निर्देशों के अधीन होगा।

10. **यूनिटों की पुनर्खरीद पर प्रतिबंध** :

प्लान के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा :

(1) ऐसे दिन, जो कार्य दिवस नहीं हों; और

(2) ऐसी अवधि में जब बही और लेखे की वार्षिक बन्दी (ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित) के संबंध में सदस्यों की पंजी बन्दी हो।

स्पष्टीकरण :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो

(1) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे राज्यों में, जहां ट्रस्ट को कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो और न ही

(2) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट व कार्यालय बन्द रहेंगे ।

11. **पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन** :

पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद ट्रस्ट यथाशीघ्र इसे दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा ।

12. **सदस्यता सूचना** :

योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में जारी यूनिटों की सदस्यता के संबंध में किसी सदस्य को यूनिट/सदस्यता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उनको सदस्यता सूचना दी

जाएगी, जो योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में सदस्य के रूप में स्वीकृति का साक्ष्य होगा।

13. **सदस्यता सूचना तैयार करने की रीति :**

सदस्यता सूचना ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित रूप के अनुसार होगी ।

14. **सदस्यता सूचना का विनिमय और उसके फट-फट जाने, विरूपित हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में प्रक्रिया :**

प्लान के अंतर्गत सदस्य उक्त प्रयोजनार्थ ऐसे नियमों/दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करेंगे और ऐसे दस्तावेजों का निष्पादन करेंगे, जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा बनाये जाएंगे/अपेक्षित होंगे।

15. **सदस्यों की पंजी :**

सदस्यों के पंजीकरण के सम्बंध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :

(1) ट्रस्ट द्वारा सदस्यों की पंजी रखी जाएगी और अन्य बातों के साथ-साथ पंजी में निम्नलिखित दर्ज किए जाएंगे;

(क) सदस्यों के नाम और पते;

(ख) सदस्यता सूचना की संख्या और हरेक ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या; और

(ग) जिस तिथि को ऐसा व्यक्ति अपने नाम के यूनिटों का धारक हो गया।

(2) सदस्य की ओर से उसके नाम और पते में परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जाएगी। ट्रस्ट ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और यथापेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन करेगा ।

(3) केवल पंजी 'बंदी' को छोड़कर, इसमें इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्य-समय के दौरान (ट्रस्ट द्वारा अधिनियत समुचित प्रतिबंधों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिये पंजी के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी) सदस्य के निःशुल्क निरीक्षण के लिए पंजी खुली रहेगी।

(4) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित समय और अवधि के लिये पंजी बंद रहेगी, लेकिन एक वर्ष में 45 दिन से अधिक समय के लिये बन्द नहीं रहेगी। ट्रस्ट समाचार पत्रों में या अन्य माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऐसी बन्दी की सूचना देगा ।

(5) किसी यूनिट से संबंधित कोई स्पष्ट निहित और रूपात्मक सूचना पंजी में दर्ज नहीं की जाएगी ।

16. **पात्र संस्थाओं, निगमित निकाय आदि द्वारा आवेदन और पंजीकरण :**

(1) पात्र संस्थाएं, निगमित निकाय और समितियां (सहकारी समितियों सहित) सदस्य के रूप में पंजीकृत की जाएंगी ।

(2) कोई भी वयस्क, जो किसी नाबालिग का माता-पिता हो, सौतेला माता-पिता हो या विधिक अभिभावक हो, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2ए) के अनुसार और उपबंधित सीमा तक यूनिट रख सकता है और क्रय-विक्रय कर सकता है। अनुज्ञानुसार ऐसा वयस्क ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नाबालिग की उम्र और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने तथा क्रय-विक्रय करने की क्षमता का प्रमाणपत्र ट्रस्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगा । ट्रस्ट आवेदन में ऐसे वयस्क द्वारा किये गये कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणपत्र के ट्रस्ट को कार्य करने का अधिकार होगा।

(3) पात्रसंस्थाओं, निगमित निकाय या समितियों से जब कभी अपेक्षा की जाएगी, उन्हें यूनिट में निवेश करने की आवेदक की क्षमता से संबंधित सभी दस्तावेज, जैसे संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम उप-विधियां आदि, प्रबंध निकाय द्वारा पारित संकल्प की प्राधिकृत प्रति और अपेक्षित मुख्तारनामा की प्रति ट्रस्ट को पेश करनी होगी।

17. **ट्रस्ट के उन्मोचन करने के लिये सदस्य द्वारा रसीद :**

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के यूनिटों के संबंध में सदस्य को प्रदत्त राशि के लिये उसके द्वारा दी गई रसीद ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा ।

18. **सदस्यों द्वारा नामांकन :**

(1) सदस्य विनियमों में उपबंधित सीमा तक नामांकन करने या निरस्त करने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं ।

(2) सदस्यों जो किसी नाबालिग के माता-पिता हों या विधिक अभिभावक हों तथा संस्था, समिति, निगमित निकायों और हिंदू अविभक्त परिवार हो, को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा।

आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एनआरआई नामित किए जा सकते हैं।

19. **सदस्य की मृत्यु :**

(1) यूनिट के संयुक्त सदस्यों में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट द्वारा जीवित व्यक्ति को ही योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के यूनिटों के हकदार होने या उनके हिताधिकारी होने की मान्यता दी जाएगी।

लेकिन इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात उक्त यूनिटों के संदर्भ में ऐसे जीवित व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।

(2) किसी एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में नामिति को यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि के हकदार व्यक्ति के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जाएगी।

(3) किसी एकल सदस्य द्वारा वैध नामांकन नहीं किये जाने की स्थिति में मृत व्यक्ति का निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के भाग 10

के अंतर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक हो वह व्यक्ति होगा, जिसे यूनिटों के हकदार के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जा सकती है।

(4) किसी सदस्य की मृत्यु के परिणामस्वरूप यूनिट के हकदार हो जानेवाले व्यक्ति का, ट्रस्ट द्वारा उसका हक के लिये पर्याप्त समझे गये साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के बाद तथा दावेदार द्वारा दावा संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

(5) यदि एकमात्र नामिती यूनिट रखने का पात्र है तो उक्त नामिती अपनी इच्छा के अनुसार मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य प्राप्त करने के बदले उसका सदस्य के रूप में यूनिट रखने और पंजीकृत सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाएगी तथा जितने यूनिट वह रखना चाहेगा, न्यूनतम यूनिट रखने की शर्तों पर उतने यूनिटों का उल्लेख करते हुए उसके नाम से सदस्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(6) अवरूद्ध अवधि में एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ट्रस्ट आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दावे का निपटान करेगा और संबंधित खंड में दिये गये ब्यौरे के अनुसार या ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत अन्य रीति से कानूनी वारिस/नामिती को भुगतान करेगा।

20. **आय वितरण :**

(1) सदस्य को डेफर्ड आय विकल्प या संचयी विकल्प में भाग लेने के विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार होगा। यह प्लान में निवेश के समय किया जाएगा और एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। आवेदक द्वारा प्रयोग किए गए किसी निर्दिष्ट विकल्प के अभाव के दौरान उसे डेफर्ड आय विकल्प समझा जाएगा।

(2) **डेफर्ड आय विकल्प**

प्लान के अंतर्गत ट्रस्ट पहले दो वर्षों के दौरान लाभांश घोषित नहीं करेगा। ट्रस्ट का तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के आरंभ में 26% प्र. व. की दर से न्यूनतम लक्षित लाभांश का भुगतान करने का प्रस्ताव है। लाभांश घोषित करने से पहले ट्रस्ट निवेशों पर मूल्यह्रास लगाएगा और अपने लेखा परीक्षकों को संतुष्ट करते हुए संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान भी करेगा और लेखों की टिप्पणियों में मूल्यह्रास की पद्धति भी सूचित करेगा।

निवेश उद्देश्यों और प्लान की प्रचलित नीतियों तथा लिखतों से अनुमानित लाभ, जिसमें प्लान की निधियों का निवेश किया जाएगा, के आधार पर प्लान को तीसरे वर्ष में तिमाही आधार पर निवेशकों के लिए 26% प्रति वर्ष की दर से न्यूनतम लक्षित लाभांश अदा करने के लिए पर्याप्त आय प्राप्त हो सकेगी। नियत आय प्रतिभूतियों से वर्तमान में लाभ 16% से 16.5% के बीच है और परिपक्वता पर लाभ 18% से 19% के बीच है। इक्विटियों से कम से कम 20% प्र. व. लाभ होने की उम्मीद है। इस तरह ट्रस्ट के लिए यह संभव हो सकेगा कि वह निवेशकों को तीसरे वर्ष में तिमाही आधार पर देय 20% प्र. व. का न्यूनतम लक्षित लाभ अदा कर सके। प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के लिए लाभांश दर योजना की आय और संबंधित घटकों पर निर्भर करेगी और पहले वर्ष की समाप्ति पर घोषित की जाएगी और तिमाही आधार पर अदा किया जाएगा। निवेशकों को 3रे, 4थे और 5वें वर्ष के लिए उत्तरदिनांकित आय वितरण वारन्ट पहले ही भेज दिए जाएंगे। लाभांश दर घोषित किए जाने की तिथि से 42 दिनों के भीतर ट्रस्ट आय वितरण वारंट प्रेषित करने का प्रयास करेगा।

(3) प्रत्येक तिमाही के लिये आय वितरण तिमाही के प्रारंभ में देय होगा और पूर्व भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत ट्रस्ट द्वारा भुगतान ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक की शाखाओं पर सममूल्य पर देय आय वितरण वारंट या किसी लिखत के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित रीति से और अवधि के लिए ऐसे सदस्यों के लिए, जिनपर लागू होगा, उत्तर दिनांकित आय वितरण वारंट भेजने का ट्रस्ट का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(4) उप खण्ड (3) के उपबंध के अधीन तिमाही आधार पर आय वितरण के भुगतान के लिए वारन्ट सदस्य को भेजे जाएंगे। वारन्ट को इस प्रकार दिनांकित किया जाएगा कि सदस्य भुगतान के लिए परिपक्व होने पर प्रत्येक वारन्ट को भुना सके। हरेक वारंट तीन महीने के लिए वैध रहेगा।

वैध अवधि पूरी होने के पहले सदस्य के पास कोई वारंट नहीं पहुंचने या उनके पुराने हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट ब्याज का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा।

5 सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, यदि नामिती यूनिट रखने का पात्र है और आगे भी यूनिट रखना चाहता है, तो ऐसा नामिती आवश्यक सुधार के लिए भावी महीनों के अनभुनाए सभी वारन्ट वापस करने के लिए बाध्य होगा।

लेकिन आगे यूनिट रखने के इच्छुक नामिति मृत सदस्य के पक्ष में पहले से जारी वारन्ट को सुधार करके नये प्रविष्ट सदस्य के पक्ष में करने में लगने वाले समय के लिए कोई ब्याज या मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(6) पूर्ववर्ती उपखण्ड में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद यथास्थिति, तिमाही, छःमाही या वार्षिक आधार पर आय वितरण करने, चाहे व्यय औचित्य, सदस्यों के हित या अन्य परिस्थितियों के कारण ट्रस्ट के लिए ऐसा करना आवश्यक हो जाए, का ट्रस्ट का अधिकार सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में ट्रस्ट अंग्रेजी भाषा के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा सदस्यों की सूचित करेगा। ट्रस्ट द्वारा ऐसी सूचना देने के बाद किसी भी सदस्य को तिमाही आधार पर आय वितरण का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

(7) **संचयी विकल्प :**

संचयी विकल्प के अंतर्गत कोई आय वितरण नहीं किया जाएगा। अर्जित आय का पुनः निवेश किया जाएगा और शुद्ध आस्ति मूल्य में दर्शाया जाएगा।

प्रत्येक 1000/- रु. के निवेश का तीसरे वर्ष की चौथी तिमाही के आरंभ में सांकेतिक मूल्य 1260/- रुपये होगा।

(8) **परिपक्वता बोनस लाभांश :**

प्लान के अंतर्गत परिपक्वता पर, आरंभिक निवेश पर कोई बोनस लाभांश घोषित करने पर, संचयी विकल्प के लिए बोनस लाभांश डेफर्ड आय विकल्प से 2% अधिक होगा।

डेफर्ड आय विकल्प के अंतर्गत तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष में उत्तरदिनांकित आय वितरण वारंट भेजे जाते हैं। संचयी विकल्प के अंतर्गत ऐसे वारंटों को भेजने की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए स्टेशनरी, मुद्रण, डाक खर्च, बैंक प्रभार, रजिस्ट्री प्रभार, प्रशासनिक प्रभार आदि पर कम खर्च किया जाता है। इन्हीं कम खर्चों के कारण ट्रस्ट डेफर्ड आय की तुलना में संचयी विकल्प के अंतर्गत 2% अधिक बोनस लाभांश का भुगतान करने में सक्षम होगा।

आय वितरण वारण्टों के खो जाने/गलत स्थान पर पहुंचने के कारण उनके संभावित कपटपूर्ण नकदीकरण के विरुद्ध सावधानी के तौर पर आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे रिकार्ड के लिए आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर तथा पासबुक वाले भाग पर अपने बैंक खाते का पूरा विवरण (अर्थात् खाते का प्रकार एवं खाता संख्या, बैंक का नाम) दें। तब आय वितरण वारंट इस प्रकार से निर्दिष्ट किए गए उनके खाते में जमा करने के लिए बैंक के पक्ष में तैयार कर उन्हें भेजे जाएंगे। सदस्य कथित बैंक में अपने खाते में जमा करने हेतु उस आय वितरण वारण्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि बैंक संबंधी पूरा विवरण नहीं दिया जाता तो आय वितरण वारण्ट सदस्य के नाम से जारी किया जाएगा।

डेफर्ड आय योजना 1995 (डीआईएस' 95) का शेष ब्यौरा

3. इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन :

(क) मूल्यांकन की तारीख को बम्बई स्टाक एक्सचेंज के अंतिम मूल्यों पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया जाएगा। जो प्रतिभूतियां बम्बई स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होंगी उनका मूल्यांकन उनके प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों के अंतिम मूल्यों पर किया जाएगा। यदि मूल्यांकन की तारीख से पूर्व तीन माह से अधिक अवधि तक प्रतिभूतियों का व्यवसाय नहीं किया गया हो तो ऐसी प्रतिभूति के मूल्यांकन की विधि ट्रस्ट को जैसा उचित प्रतीत हो, तय की जाएगी ताकि बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन की विधि के अनुसार इसका सही प्राप्य मूल्य दर्शाया जा सके।

(ख) मुद्रा बाजार लिखत तथा डिबेंचर सहित अन्य नियत आय वाली लिखतों का मूल्यांकन वर्तमान आय और समतल्य लिखतों के परिपक्वता मूल्य के आधार पर अथवा ट्रस्ट जैसा उचित समझे उस तरीके से किया जाएगा।

(ग) अन्य सभी आस्तियों जिनका मूल्यांकन पूर्वोक्तानुसार न किया जा सके, उनका मूल्यांकन बही मूल्य पर किया जाएगा और यदि वह उपलब्ध न हो तो ट्रस्ट द्वारा उचित समझी गई विधि से किया जाएगा।

(घ) जो प्रतिभूतियां सूचीबद्ध न हों उनका सही मूल्यांकन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

आस्तियों का मूल्यांकन सेबी द्वारा यथास्थाय निर्धारित दिशा-निर्देशों और विनियमन के अधीन होगा।

4. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का निर्धारण :

योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के अंतर्गत जारी यूनिटों का शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन, योजना के उपचयों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा। इस एनएवी को (पूर्ववर्ती आधार पर) आरम्भ में पहले वर्ष के दौरान कम से कम 2 दैनिक समाचार पत्रों में प्रत्येक 3 महीने में एक बार प्रकाशित किया जाएगा। अवरुद्ध अवधि समाप्त होने अर्थात् 30-9-96 के बाद 1-10-96 से प्रत्येक माह या सेबी द्वारा अनुमोदित अंतराल से प्रकाशित किया जाएगा। शुद्ध आस्ति मूल्य का मूल्यांकन सेबी द्वारा यथासमय निर्धारित विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

5. योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना।

जो व्यक्ति सदस्य के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से सदस्यता सूचना जारी की गई है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सदस्य के रूप में मान्य होगा और चूंकि ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिए ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इस योजना से संबंधित यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या ईक्विटी या अन्य हित को मान्यता देने के लिए यहां स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान या किसी सक्षम प्राधिकार वाले न्यायालय के आदेश को छोड़कर किसी विपरीत नोटिस या किसी न्यास के निष्पादन पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

6. यूनिटों का अंतरण/गिरवी/समनुदेशन

इस योजना के अंतर्गत जारी यूनिट अंतरणीय/गिरवी रखने योग्य/समनुदेशनीय नहीं है।

7. निवेश उद्देश्य और नीतियां :

योजना का निवेश उद्देश्य और इसकी नीतियां मुख्यतया ग्राहक को नियमित तिमाही आय उपलब्ध कराना तथा योजना की परिपक्वता पर ग्राहक को पूंजी में वृद्धि के लिए प्रयत्न करना भी है। योजना के अंतर्गत संग्रहीत निधियों का सभी प्रारम्भिक कार्य पूर्व और परिचालनगत खर्चों का प्रावधान करने के बाद निम्न रूप में निवेश किया जाएगा।

(1) निधियों का कम से कम 80% सावधि आय सिक्यूरिटियों और निवेशों में निवेश किया जाएगा।

(2) निधियों का 20% इक्विटी, इक्विटी संबंधी लिखतों और मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश किया जाएगा। पूर्वोक्त के बावजूद मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश का अनुपात इस संबंध में सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।

(3) सभी ऋण लिखत, जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाना है उनके निवेश दर्जे का निर्धारण सीआरआईएसआईएल/आईसीआरए/सीएआरई या समय-समय पर मान्यताप्राप्त किसी अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। परन्तु यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट को न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा।

(4) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिया जाएगा।

(5) निजी रूप से नियोजित डिबेंचरों, प्रतिभूत ऋणों और अन्य अनुवर्धित ऋण लिखतों के जरिए किया गया निवेश योजना की कुल आस्तियों के 40% से अधिक नहीं होगा।

(6) यह योजना अपने निकाय का 5% से अधिक किसी एक कम्पनी शेयरों में निवेश नहीं करेगी

(7) इस योजना सहित सभी योजनाओं की निधियों का 10% से अधिक किसी एक कम्पनी के शेयरों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया जाएगा।

(8) इस योजना की निधियों सहित सभी योजनाओं की निधियों का 15% से अधिक किसी एक उद्योग के शेयरों अथवा डिबेंचरों में निवेश नहीं किया जाएगा ।

परन्तु यह प्रावधान उस योजना को लागू नहीं होगा जो एक अथवा अधिक विशिष्ट उद्योगों में निवेश के लिए जारी की गई है और उस आशय की घोषणा पेशकश पत्र में की गई है ।

(9) इस योजना से दूसरे योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब—

(क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण तात्कालिक आधार पर किए गए हों ।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनसे ऐसे अंतरण किए जाते हैं ।

(ग) सूचीबद्ध या उधृत न किए गए निवेशों का अंतरण यू टी आई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा ।

(10) यह योजना यूटीआई को किसी अन्य योजना/प्लान में निवेश नहीं करेगी अथवा उसे उधार नहीं देगी ।

(11) यह योजना अपने निवेशों के वित्त पोषण के लिए निधियां उधार नहीं लेगी ।

8. विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा ।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके । इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट की छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों, के लिए भी किया जा सकता है ।

9. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा । ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं ।

10. लेखों का प्रकाशन ;

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों को प्रकाशित करेगा, जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि की योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के कार्य का विवरण होगा । ट्रस्ट सेबी को विधिवत् रूप से परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और लाभ हानि लेखा; अपरीक्षित अर्ध वार्षिक लेखों और एनएवी में हुए उतार चढ़ाव का एक तिमाही विवरण और पिछली अवधि में हुए परिवर्तनों सहित तिमाही पोर्टफोलियो विवरण भेजेगा । ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में हो और जिसका सूचित किया जाना आवश्यक हो । ट्रस्ट, सदस्य से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर, उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा ।

11. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन और संशोधन

बोर्ड समय-समय पर इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किए गए परिवर्धन/संशोधन की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में की जाएगी । किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा ।

12. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति :

(क) योजना और इसके अंतर्गत बना प्लान पूर्ण रूप से 30-9-2000 को समाप्त किया जाएगा । सदस्यों को बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी और सदस्यों को उनके यूनिटों के मूल्यों की अदायगी उक्त अवधि के दौरान अंतिम पुनर्खरीद के लिए निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी । निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के अलावा बाद की किसी अवधि के लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या लाभांश के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपलब्ध नहीं होगा । फिर भी, ट्रस्ट सेबी की पूर्व अनुमति से इस योजना को 5 वर्ष से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ऐसी स्थिति में सदस्यों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे यूनिटों को समस्त ट्रस्ट को लेने दें अथवा इस योजना में बने रहें । ट्रस्ट सदस्य निवेशक को यह विकल्प भी दिया जा सकता है कि वह पुनर्खरीद की राशि को आरम्भ की गई अथवा इस समय परिचालन में रहने वाली किसी भी योजना में परिवर्तित कर सकते हैं ।

(ख) ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :

(1) प्लान के पांच वर्ष पूरा होने पर अर्थात् 30 सितम्बर 2000 को अथवा 5 वर्ष के आगे ऐसी तारीख की समाप्ति पर जो ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित हो ।

(2) कोई ऐसी घटना घटित होने पर जिससे ट्रस्ट की राय में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति आवश्यक हो, या

(3) यदि योजना के 75% सदस्यों द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर, या

(4) यदि सदस्यों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निदेश दे ।

(ग) जहां उपर्युक्त खण्ड (ख) के अधीन योजना की समाप्ति की जाती है, तो ट्रस्ट को उसकी सूचना सेबी को देनी होगी और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और बम्बई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देनी होगी ।

(घ) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट ।

(1) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा ।

(2) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को उत्पन्न और रद्द करना बंद करेगा ।

(3) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा ।

(ङ) न्यासी मंडल सदस्यों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।

(च) (1) न्यासी मंडल योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के यूनिट धारकों के हित में निपटाएगा ।

(2) ऊपर दिए गए खण्ड (च) (1) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त में योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय ली गई तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(छ) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और यूनिट धारकों को समाप्ति पर एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियों जिनके कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व निधि की आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए की गई निधियों का व्यय, यूनिटधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के विवरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र शामिल होगा ।

(ज) इसमें ऊपर दिए गए किसी भी बात के बावजूद, सेबी (म्यूच्यूअल फण्ड) विनियमन 1993 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे ।

(झ) खण्ड 7 (छ) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी ।

ञ) ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र विधिवत रूप से भरे हुए पुनर्खरीद फार्म के साथ सदस्यता सूचना प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा । पुनर्खरीद के लिए प्राप्त सदस्यता सूचना और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे ।

8. उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाला या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा ।

इसके अंतर्गत बने योजना के प्रावधान के और प्लान के प्रावधान, जैसे योजना में कहा गया है, एक दूसरे के साथ पढ़े जाएं ।

14. उपबंधों में ढील :

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के निर्बाध और सहज संचालन के लिये योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में ढील दे सकता है, परिवर्तित या संशोधन कर सकता है, बशर्ते किसी सदस्य या सदस्य वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो । प्रावधान में परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा ।

15 **योजना और उसके अंतर्गत बना प्लान सदस्यों के लिये बाध्यकारी होगा :**

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान की शर्तों के साथ समय-समय पर इनमें किये गये संशोधन और परिवर्तन सदस्य और उसके माध्यम से दावा करनेवाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिए बाध्य हो ।

16. **सदस्यों को लाभ**

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति के समय पूंजी, प्रारक्षित निधि और अधिक राशि के संबंध में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में उपचित सभी लाभ केवल उन्हीं सदस्यों को प्राप्त होंगे जो योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिए यूनिट के धारक रहे हों ।

स्रोत पर कर की कटौती :

वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार धारा 194के. के अनुसार ट्रस्ट द्वारा इस प्लान के अंतर्गत 01/07/1995 के पश्चात व्यक्ति सदस्यों को देय आय पर 15% की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी । बशर्ते वित्तीय वर्ष के दौरान यह आय रु. 10,000/- से अधिक हो ।

इसी प्रकार हिन्दू अविभक्त परिवारों (एचयूएफ) को देय आय से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी यदि यह आय वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 10,000/- से अधिक हो ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 अथवा 12 अथवा 10(22) अथवा 10(22ए) अथवा 10(23) अथवा 10(23एए) अथवा 10(23सी) के अंतर्गत आनेवाली धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रारूप में घोषणा किए जाने के आधार पर उनसे स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी ।

स्रोत पर कर की कटौती वहां नहीं की जाएगी जहां निर्धारित फार्म सं. 15 (एच) में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत की गई

हो कि संबंधित वर्ष के लिए नियोजक की अनुमानित कुल आय पर कर शून्य होगा ।

स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने संबंधी निर्धारित फार्म आय वितरण वारंटों के भेजे जाने के कम से कम तीन माह पूर्व प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

कर में रियायत

प्लान के अंतर्गत आय और पूंजी वृद्धि पर कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा । वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार "डीआईपी-95" सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं के अंतर्गत यूनिटों से प्राप्त आय पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एल के अंतर्गत रु. 13,000/- तक की कुल सीमा तक आय से कटौती उपलब्ध होगी ।

इस प्लान के अंतर्गत होनेवाला कोई भी दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निर्देशों के अधीन होगा । इस प्लान के अंतर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य धनकर से मुक्त है ।

पात्र ट्रस्टों के लिए :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) (बी) के अंतर्गत यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं । अत: यूनिटों में निवेश कर रहे पात्र ट्रस्ट आयकर अधिनियम की धारा 11 और 12 के अंतर्गत आय और निधि के लिए आवश्यक कर छूट के योग्य होंगे ।

सदस्यों के अधिकार

1. प्लान के अधीन सदस्यों को प्लान की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा प्लान द्वारा घोषित लाभांशों में समानुपातिक अधिकार है ।

2. सदस्यों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा सदस्यों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे ।

3. लाभांश की घोषणा किए जाने के 42 दिनों के भीतर सदस्य लाभांश वारंट के प्रेषित किए जाने के हकदार होंगे ।

4. सदस्यों को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है ।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन प्वाइंट, बम्बई-400021 में स्थित है ।

अभिरक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत सभी योजनाओं/निधियों/प्लानों से संबंधित संपत्तियों की सुपुर्दगी लें और अभिरक्षा खाते में धारित करें जो अभिरक्षकों तथा उनके अन्य ग्राहकों की आस्तियों से अलग हो ।

अभिरक्षकों का यह प्रयास होगा कि वे योजनाओं/निधियों/प्लानों की आस्तियों को ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत करें तथा वे उनकी सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करें । जबतक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसको धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक कार्यों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा । अभिरक्षक सभी सम्बन्धित रिपोर्ट अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/निधियों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेंगे ।

लेखा परीक्षक

मैसर्स एम के मित्तल एण्ड कं., ई/29, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2, नई दिल्ली-110049 और मैसर्स एम के न्यार एण्ड कं., 16/98, एलआईसी बिल्डिंग, दी माल, कानपुर-208001 को आईडीबीआई द्वारा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है ।

निवेशकों की शिकायतें

ट्रस्ट की विभिन्न 59 योजनाओं में 48 मिलियन से भी अधिक निवेशक हैं । जुलाई 1994 से मार्च 1995 तक की अवधि के दौरान प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या और जिनका निवारण किया गया उनकी योजनावार संख्या नीचे दी गई है :—

	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	लम्बित शिकायतें	लम्बित शिकायतों का प्रतिशत
	1	2	3	4
सतत खुली योजनाएं				
सी० सी० सी० एफ०	511	455	56	10.96
सी० जी० जी० एफ०	10621	9611	1010	9.51
सी० जी० एस०	775	566	209	26.97
सी० आर० टी० एस०	130	42	88	67.69
गृह लक्ष्मी यूनिट प्लान 94	1163	808	355	30.52

1	2	3	4	5
एच० यू० एस०	263	136	127	48.29
आर० बी० पी० 95	84	1	83	96.81
राज लक्ष्मी यूनिट				
योजना	2501	1812	689	27.55
एस० सी० यू० पी०	326	233	93	28.53
यूलिप	7533	5394	2139	28.40
यू० एस० 64	113576	102440	11136	9.80
कुल	137483	121498	15985	11.63
नियतकालीन योजनायें				
सी० जी० यू० एस० 91	13474	13314	160	1.19
डी० आई० यू० पी० 93	4155	3794	361	8.89
डी० आई० यू० एस० 90	3203	3142	61	1.90
डी० आई० यू० एस० 91	277	2703	70	2.52
डी० आई० यू० एस० 92	1448	1388	60	4.14
जी० सी० जी० आई०	2143	1157	986	46.01
जी० आई० यू० एस० पूल	1494	1200	294	19.68
जी० एम० आई० एस० 91	7053	6787	266	3.77
जी० एम० आई० एस० 92	3094	2950	144	4.65
जी० एम० आई० एस० 92 (II)	4546	4053	493	10.84
जी० एम० आई० एस० बी 92	2700	2504	196	7.26
जी० एम० आई० एस० बी 92 (II)	5315	5188	127	2.39
जी० एम० आई० एस० बी 92	2700	2504	196	7.26
जी०एम० आई० एस० बी० 92 (II)	5315	5188	127	2.39
ग्रोथ मास्टर	6825	6197	628	9.20
आई० यू० एस० 82	29	15	14	48.28
आई० यू० एस० 85	11	9	2	18.18
मास्टर ग्रोथ	26957	25265	1692	6 28
एम० ई० पी० 91	9272	8462	810	8.74
एम० ई० पी० 92	26809	25868	941	3.51
एम० ई० पी० 93	5371	4900	471	8.77
एम० ई० पी० 94	8636	7805	831	8.50
एम० ई० पी० 95	17	13	4	23.53
मास्टर गैन 92	114271	95823	18448	16.14
एम आई० पी० 93	5774	5178	596	10.32
एम० आई० पी० 94	4435	4058	377	8.50
एम० आई० पी० 94 (II)	3150	2749	401	12.73
एम० आई० पी० 94 (III)	720	694	26	3.81
एम० आई० एस० पूल	2801	1874	927	33.10
एम० आई० एस० जी० 90(I)	1664	1080	584	35.10
एम० आई० एस० जी० 90(II)	22261	20945	1316	5.91
एम० आई० एस० बी० 93	3825	3577	248	6.48
एम० आई० एस० जी० 91	17839	16969	8 0	4.88
मास्टर प्लस 91	32818	28844	3974	12.11

1	2	3	4	5
मास्टर गेयर 86	23312	1105	22207	95.26
यू० जी० एस० 2000	18650	11401	7249	38.87
यू० जी० एस० 5000	6276	4671	1605	25.57
यू० एस० 92	7546	7385	161	2.13
विविध	1530	1119	411	26.86
योग	402202	334191	68011	16.91
कुल योग	538155	454570	83585	15.53

शिकायत लम्बित रहने के कारण

(1) संग्रहण कर्ता बैंकों में आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना।

(2) आवेदन पत्र में निवेशक पता, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना।

(4) मार्ग में ही खो जाना।

(5) डाक सेवा में विलंब।

(6) अंतरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा।

(8) कमीशन प्राप्त न हो जाना/विलंब से प्राप्त होना।

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना।

शिकायतों/आपत्तियों के प्रकार पर निर्भर ट्रस्ट निवेशक/बैंक/रजिस्ट्रार को उनका निवारण करने हेतु लिखता है। सभी निवेशक निवेश का पूर्ण ब्यौरा देते हुए अपनी शिकायतें निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं।

श्री पी पी शास्त्री
महाप्रबंधक
केन्द्रीय निवेशक सम्पर्क कक्ष
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय बेसमेंट
दुआर क. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग,
बम्बई-400020,
दूरभाष : 2003860/2003853
फैक्स : (022) 2003865

रजिस्ट्रार

यूटीआई निवेशक सेवा लि. प्लाट सं. 34, मरोल मरोशी रोड, मरोल मरोशी बस डिपो के समीप, विजय नगर, अंधेरी (पूर्व), बम्बई-400069, टेलिफोन : 8380395 को रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग करने, प्रमाणपत्रों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशक की शिकायतों को दूर करने के जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।

आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सेवायें रजिस्ट्रार की चार मुख्य शाखाओं द्वारा प्रदान की जाएगी।

पश्चिमी अंचल : प्लाट सं. 369, मरोल मरोशी रोड, मरोल मरोशी बस डिपो के समीप, विजय नगर, अंधेरी (पूर्व), बंबई-400069

पूर्वी अंचल : 2, फैअरली प्लेस, पहली मंजिल, पोस्ट बैग नं. 60, कलकत्ता-700001

दक्षिणी अंचल : जस्टीस बशीर अहमद रोड बिल्डिंग, 45, वां लाइन बीच, मद्रास-600001

उत्तरी अंचल : राजा बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, 8 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केन्द्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट, दुआर सं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, बम्बई-4000020 में उपलब्ध रहेगा

*यूटीआई अधिनियम

*सामान्य विनियम

*अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और संग्रहणकर्ता बैंकों के साथ किए गए करार

सामान्य

सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1993 की विनियम 30 के अनुसार म्यूचुअल फंडों की सभी नियत कालीन योजनाएं सूचीबद्ध होनी चाहिए। हमारी इस योजना की विशेष प्रकृति और प्रयोजन को मद्देनजर रखते हुए हमने सेबी को आवेदन किया है कि वह डीआईपी 95 सूचीबद्ध होने से छूट प्रदान करें। यदि हमारा अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है तो इस योजना को एनएसई और ओटीसीईआई में सूचीबद्ध करवाया जाएगा और यूटीआई विपणन योग्य लाट में प्रमाण पत्र जारी करेगा जो हस्तांतरणीय होंगे। हालांकि निवेशकों का एक वर्ष के बाद पुनर्खरीद सुविधा उपलब्ध करायी जाना जारी रहेगा भले ही योजना सूचीबद्ध हो या न हो।

पिछले चार डेफर्ड आय योजनाओं का विवरण

योजना/प्लान का नाम	डी०आई० यू०एस० 90 (5 वर्षीय)	डी आई०यू०एस० 90 (7 वर्षीय)	डी०आई०यू०एस० 91	डी०आई०यू०एस० 92	डी० आई० यू० एस० 93
आरम्भ होने की तिथि	16-08-90	16-08-90	01-08-91	10-08-92	01-10-93
समाप्ति की तिथि	15-08-95 01-09-95 01-10-95	16-08-97 01-09-97 01-10-97	01-09-96	31-08-97	30-09-98
लाभांश	पहले 2 वर्षों के लिये कोई लाभांश नहीं। 3रे, 4थे, और 5वें वर्षों में क्रमशः तिमाही आधार पर 18%, 24% 24 % और 30 % प्र० व०	पहले 3 वर्षों के लिये कोई लाभांश नहीं। 24%प्र०व० तिमाही आधार पर 4थे, और 5 वें वर्ष में और 6ठे एवं 7वें वर्ष में 30%	पहले दो वर्षों के लिये कोई लाभांश नहीं। 18% 24%और 30 प्र० व० तिमाही आधार पर क्रमशः 3रे, 4 थे और 5 वें वर्षों में	पहले 2 वर्षों के लिये कोई लाभांश नहीं। 3रे, 4थे, और 5वें वर्ष में 28%, प्र० व० तिमाही आधार पर	पहले 2 वर्षों के लिये कोई लाभांश नहीं। 3रे, 4थे और 5वें वर्ष मे 28%प० व० तिमाही आधार पर
संचयी विकल्प	लागू नहीं	लागू नहीं	5 वर्षों की समाप्ति पर यूनिटों की पुनर्खरीद मूल्य पर किया जाएगा जो प्रति यूनिट 20/- रु० से कम नहीं होगा।	5 वर्षों की समाप्ति पर यूनिटों की पुनर्खरीद मूल्य पर किया जाएगा जो प्रति यूनिट 21/- रु० से कम नहीं होगा।	2000/-- रु० 4015/-- रु० बन जायेंगे
संग्रह की गई राशि	105.31*		205.23	128.70	376.56
आवेदन पत्रों की संख्या	46,904		1,89,465	95,930	2,46,830

*इसमें 7 वर्षीय विकल्प के अन्तर्गत एकत्र की गई राशि/आवेदन पत्र भी शामिल है।

डी० आई० यू० एस० शृंखला पूर्ववर्ती आंकड़े

डी० आई० यू० एस० 90

(रुपये लाख में)

विवरण	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (अनितम)
1	2	3	4	5	6
क. शुद्ध आस्ति मूल्य (अंकित मूल्य रु० 10/-)	11.10	15.33	17.81	18.75	16.63
ख. (i) निवेशों के अन्तरण/बिक्री पर लाभ के अलावा कुल आय	977.00	1754.14	3222.14	2716.63	834.00
(ii) निवेशों के अन्तरण/अन्तर योजना बिक्री पर लाभ से प्राप्त कुल आय	शून्य	2674.65	12.39	222.52	शून्य
(iii) तृतीय पक्षकार को बेचे/प्रतिदान किये गये निवेशों पर लाभ से प्राप्त कुल आय	शून्य	226.75	शून्य	0.91	शून्य

1	2	3	4	5	6
(iv) पिछले वर्षों के प्रारक्षित से राजस्व लेखा का अन्तरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v) मूल्यह्रास प्रावधान का पुनरांकन किया गया, चूंकि अब आवश्यक नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख. =(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)	977.00	4655.55	3234.51	2940.06	834.00
ग. व्यय (संदिग्ध आस्तियों के प्रावधान सहित)	69.75	61.45	54.92	56.87	120.00
घ. शुद्ध आय—(ख)—(ग)	907.25	4594.10	3179.59	2883.19	714.00
ङ. हिसाब न रखे गये निवेशों के मूल्य पर अप्राप्त मूल्य वृद्धि	149.43	111.55	150.83	411.98	234.00
च. हिसाब न रखे गये निवेशों पर मूल्यह्रास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छ. पुनर्खरीद मूल्य@					
————उच्चतम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
————न्यूनतम					
पुनः बिक्री मूल्य@	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
————उच्चतम					
————न्यूनतम					
ट. मूल्य कमाई अनुपात	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट

@चूंकि इस योजना के अन्तर्गत पुनर्खरीद/पुनः बिक्री नहीं की जा सकती न ही इन्हें शेयर बाजारों में सूची बद्ध किया गया है, इसलिये कोई मूल्य कमाई अनुपात नहीं है।

डी० आई० यू० एस० शृंखला पूर्ववर्ती आंकड़े

डी० आई० यू० एस०'91

(रुपये लाख में)

विवरण	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95 (अन्तिम)
1	2	3	4	5
क. शुद्ध आस्ति मूल्य				
(अंकित मूल्य—रु० 10/–)	13.17	14.75	18.47	19.63
ख. (i) निवेशों के अंतरण/बिक्री पर लाभ के अलावा कुल आय	2565.84	5555.43	5047.24	4710.00
(ii) निवेशों के अंतरण/अंतर योजना बिक्री पर लाभ से प्राप्त कुल आय	2123.94	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) तृतीय पक्षकार को बेचे प्रतिदान किए गए निवेशों पर लाभ से प्राप्त कुल आय	82.86	शून्य	321.80	शून्य
(iv) पिछले वर्षों के प्रारक्षित से राजस्व लेखा का अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
(v) मूल्यह्रास प्रावधान का पुनरांकन किया गया चूंकि अब आवश्यक नहीं	शून्य	शून्य	140 83	शून्य
ख=(i) +(ii)+(iii)+(iv)+(v)	4772.64	5555 43	5509.87	4710.00
ग. व्यय (संविदग्ध आस्तियो के प्रावधान सहित)	157.17	291.75*	128.68*	200.00
घ. शुद्ध आय (ख) –(ग)	4615.47	5263.68	5381.19	4510.00
ङ. हिसाब न रखे गये निवेशों के मूल्य पर अप्राप्त मूल्य वृद्धि	1869.20	शून्य	2365.56	751.00
च. हिसाब न रखे गये निवेशों पर मूल्यह्रास	शून्य	140.83	शून्य	शून्य
छ. पुनर्खरीद मूल्य@				
——— उच्चतम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही
———न्यूनतम				
पुनः बिक्री मूल्य@	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नही	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नही
———उच्चतम				
———न्यूनतम				
ज. मूल्य कमाई अनुपात	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट

@चूंकि इस योजना के अंतर्गत पुनर्खरीद/पुनः बिक्री नहीं की जा सकती न ही इन्हे शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए कोई मूल्य कमाई अनुपात नहीं है ।

		1992–93	1993–94
	*व्यय	150.92	128.68
ङ	संदिग्ध आस्तक के लिए प्रावधान	140.83	—
		291.75	128.68

डी० आई० यू० एस० श्रृंखला पूर्ववर्ती आंकड़े

(रुपये लाख में)

विवरण	डी० आई० यू० एस०/92 1992–93	1993–94	1994–95 (अन्तिम)
1	2	3	4
क. शुद्ध आस्ति मूल्य (अंकित मूल्य –सं० 10/–)	10.28	14 81	14.77
ख. (i) निवेशों के अंतरण/ बिक्री पर लाभ के अलावा कुल आय	1276.49	1635.04	2241.06
(ii) निवेशों के अंतर अंन्तरण योजना बिक्री पर लाभ से प्राप्त कुल आय	50.56	1488.76	शून्य

1	2	3	4
(iii) तृतीय पक्षकार को बेचे प्रतिदान किए गए निवेशों पर लाभ से प्राप्त कुल आय	शून्य	शून्य	45.94
(iv) पिछले वर्षों के प्रारक्षित से राजस्व लेखा का अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य
(v) मूल्यह्रास प्रावधान का पुनर्संएकांन किया गया चूंकि अब आवश्यक नहीं	शून्य	422.25	शून्य
ख. =(i)+(ii)+(iii)+ (iv)+(v)	1327.05	3546.05	3287.00
ग. व्यय (संदिग्ध आस्तियों के प्रावधान सहित)	557.39*	79.24*	175.00
घ. शुद्ध आय (ख)—(ग)	769.66	3466.81	2112.00
ङ. हिसाब न रखे गये निवेशों के मूल्य पर अप्राप्त मूल्य वृद्धि	शून्य	1967.61	696.00
च. हिसाब न रखे गये निवेशों पर मूल्यह्रास	422.25	शून्य	शून्य
छ. पुनर्खरीद मूल्य@			
——उच्चतम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
——न्यूनतम			
पुनः बिक्री मूल्य@	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
——उच्चतम			
——न्यूनतम			
ट. मूल्य कमाई अनुपात	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट

@चूंकि इस योजना के अंतर्गत पुनर्खरीद/पुनः बिक्री नहीं की जा सकती न ही इन्हें शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया गया है, इस लिए कोई मूल्य कमाई अनुपात नहीं है।

	1992.93	1993—94
*व्यय	135.14	79.24
संदिग्ध आस्तक के लिए प्रावधान	422.25	—
	557.19	79.24

डी० आई० यू० एस० श्रृंखला पूर्ववर्ती आंकड़े

डी० आई० यू० एस० '93

(रु० लाख में)

विवरण	1993-94	1994-95 (अनन्तिम)
क. शुद्ध आस्ति मूल्य		
(अंकित मूल्य—रु० 10/-)	11.84	12.42
(i) निवेशों के अंतरण/बिक्री पर लाभ के अलावा कुल आय	3410.66	5306.04
(ii) निवेशों के अन्तरण/ अन्तर योजना बिक्री पर लाभ से प्राप्त कुल आय	शून्य	359.46
(iii) तृतीय पक्षकार को बेचे/प्रतिदिन किये गये निवेशों पर लाभ से प्राप्त कुल आय	5.76	48.50
(iv) पिछले वर्षों के प्रारक्षित से राजस्व लेखा का अन्तरण	शून्य	शून्य
(v) मूल्य ह्रास प्रावधान का पुनरांकन किया गया, चूंकि अब आवश्यक नहीं	शून्य	शून्य
ख—(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)	3416.42	5774.00
ग. व्यय (संदिग्ध आस्तियों के प्रावधान सहित)	386.11	250.00
घ. शुद्ध आय (ख)—(ग)	3030.31	5524.00
ङ. हिसाब न रखे गये निवेशों के मूल्य पर अप्राप्त मूल्य वृद्धि	3877.30	551.00
च. हिसाब न रखे गये निवेशों पर मूल्य ह्रास	शून्य	शून्य
छ. पुनर्खरीद मूल्य		
———उच्चतम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
———न्यूनतम		
पुन: बिक्री मूल्य@		
———उच्चतम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
———न्यूनतम		
ट. मूल्य कमाई अनुपात	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट

@चूंकि इस योजना के अन्तर्गत पुनर्खरीद/पुन : बिक्री नहीं की जा सकती न ही इन्हें शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए कोई मूल्य कमाई अनुपात नहीं है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठल दास ठाकरसी मार्ग (न्यू मरीन लाइन्स),

बम्बई-400020, दूरध्वनि : 2068468

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : केन्द्र-1, 28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, बम्बई-400005, दूरध्वनि : 2181600 पूर्वी अंचल : 2 फेयरली प्लेस, 1ली मंजिल, कलकत्ता 700001 दूरध्वनि : 2209391/2205322 दक्षिणी अंचल : यूटीआई हाउस 29, राजाजी सालै, मद्रास-600001, दूरध्वनि : 517101 उत्तरी अंचल : जीवन भारती (केन्द्र कोर) 13 वीं मंजिल, टावर 2, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, दूरध्वनि : 3329860/3329858.

पश्चिमी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

अहमदाबाद : यूटीआई हाउस, हिमालय ... के पास, आश्रम रोड के समीप, अहमदाबाद-380009 दूरध्वनि : 400864 बड़ौदा : ... चौथी और पांचवीं मंजिल, ... सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390015, दूरध्वनि : 3332481 भोपाल : 1ली मंजिल, ... कम्प्लेक्स, प्लाट नं. 202, ... 1 सकील 13, हमीदिया गंज, भोपाल-46200, दूरध्वनि : 558308 बम्बई (1) : ... सं. 2 ब्लाक 'सी' ... शापिंग सेन्टर, ... रोड नं. 9 ... (पश्चिम) बम्बई-400049, दूरध्वनि : 6201995 बम्बई (2) : ... बिल्डिंग तीसरी मंजिल, सेक्टर 17, वाशी नई बम्बई-400703, दूरध्वनि : 7672607 बम्बई (3) : ... बिल्डिंग, 196 ... रोड ... बम्बई-400020, दूरध्वनि : 2850921/920/923 बम्बई (4) : ... आर्केड, पहली मंजिल, एस वी रोड ... (पश्चिम) बम्बई-400092 दूरध्वनि 8020521 बम्बई (5) सागर संगीत, पहली मंजिल, ... लेन ... (पश्चिम), बम्बई-400086, दूरध्वनि : 5162256 कोल्हापुर : अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511, के एच-1/2 "ई" वार्ड, दाभोलकर कोरनर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416001, दूरध्वनि : 657315, इन्दौर : सिटी सेंटर, ... मंजिल, 570, एम जी रोड, इन्दौर-452001, दूरध्वनि : 22796, नागपुर : श्री मोहिनी कम्पलेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, (किंग्सवे), नागपुर-440001, दूरध्वनि : 536893 नासिक : दूसरी मंजिल, शारदा ..., एम. जी. रोड, नासिक-422001, दूरध्वनि : 70166 पणजी : ई. डी. सी. हाउस, भूतल डा. ... मार्ग, पणजी, गोवा-403001, दूरध्वनि : 222472 पुणे : सदाशिव ..., तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411005, दूरध्वनि : 325954 राजकोट : चौथी मंजिल, ... सेन्टर, ... रोड, राजकोट-360001 दूरध्वनि : 25119 सूरत : ... बिल्डिंग, ... रोड नानपुरा, सूरत-395001, दूरध्वनि : 34550 ।

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, सी ब्लाक, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा-282002 दूरध्वनि : 350552 इलाहाबाद : यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद-211003 दूरध्वनि : 50521, अमृतसर : श्री द्वारका धीशजी काम्पलेक्स, क्वीन्स रोड, अमृतसर-143001 दूरध्वनि : 64463, चंडीगढ़ : जीवन प्रकाश, एलआईसी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चण्डीगढ़-160017 दूरध्वनि : 543683, देहरादून दूसरी मंजिल, 59/3, राजपुर रोड, देहरादून-248001, दूरध्वनि : 26720, जयपुर : आनन्द भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर 302001, दूरध्वनि : 365212, कानपुर : 16/79ई, सिविल लाईन्स, कानपुर 208001, दूरध्वनि : 317278, लखनऊ : रिजेंसी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ 226001, दूरध्वनि : 232501, लुधियाना : सोहन पैलेस, 455, दि माल, लुधियाना 141001, दूरध्वनि : 400373, नई दिल्ली : गुलाब भवन (पिछला ब्लाक), दूसरी मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002, दूरध्वनि : 3318638/3319786 शिमला : 3, माल, पहली मंजिल, (आनन्दीलाल एण्ड कं. डिपार्टमेन्ट स्टोर के ऊपर), शिमला 171001, दूरध्वनि : 4203. वाराणसी : पहली मंजिल, डी/58/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी 221001, दूरध्वनि : 54306/54262/54272 ।

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : विश्व व्यापार केन्द्र, चेंबर आफ कामर्स, केम्पेगोडा रोड, बंगलोर 560009, दूरध्वनि : 2253739 कोचीन : जीवन प्रकाश, पांचवी मंजिल, एम जी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन 682011, दूरध्वनि : 362354, कोयम्बतूर : चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, राजकीय आर्ट्स कालेज रोड, कोयम्बतूर 641018, दूरध्वनि : 214973, हुबली : कालबुर्गी मेंशन, 4 थी मंजिल, लेमिंगटन रोड, हुबली 580020, दूरध्वनि : 363963, हैदराबाद : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद 500001, दूरध्वनि : 511095 मद्रास : यू.टी.आई. हाउस, 29, राजाजी सलाई, मद्रास-600001, दूरध्वनि : 517101 मदुरै : तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108 तिरुप्परनकुन्द्रम रोड, मदुरै 625001, दूरध्वनि 38186. मंगलोर : सिद्धार्थ बिल्डिंग, 1ली मंजिल, बालमत्ता रोड, मंगलोर-575001, दूरध्वनि : 426290, तिरुअनंतपुरम : स्क्रिप्स सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम. जी. रोड, तिरुअनंतपुरम 695001, दूरध्वनि : 331415 त्रिची : 104, सलाई रोड, थोरेयूर, तिरुचिरापल्ली 620003, दूरध्वनि : 27060, त्रिचूर : 28/876/77, ... बिल्डिंग ... रोड, ... नार्थ त्रिचूर 680020, दूरध्वनि : 331059, विजयवाडा : 27-37-156, बन्दर रोड ... के पास, विजयवाडा 520002, दूरध्वनि 74434 विशाखापट्टनम : रत्ना आर्केड तीसरी मंजिल, 47-15-6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापट्टनम 530016, दूरध्वनि : 548121 ।

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : ... निवास, लेविस रोड, भुवनेश्वर-751014 दूरध्वनि : 56141 कलकत्ता : 2 और 4, फेयरली प्लेस, कलकत्ता 700001, दूरध्वनि : 2209391/2208-322 दुर्गापुर : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ...

मंज़िल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेंटर, दुर्गापुर 713216, दूरध्वनि : 4831 गुवाहाटी : हिन्दुस्तान बिल्डिंग, एम एल, नेहरीलाल रोड, पानबाजार, गुवाहाटी 781001, दूरध्वनि : 543131 जमशेदपुर : 1-ए, राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंजिल, बिस्तूपुर, जमशेदपुर 831001, दूरध्वनि : 425508 पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, एक्ज़ीबिशन रोड, पटना 800001, दूरध्वनि : 235001 सिलीगुड़ी : जीवन दीप, भूतल, गुरू नानक सारनी, सिलीगुड़ी-734 401, दूरध्वनि 23275.

बम्बई, दिनांक 20 अक्तूबर 1995

सं. यू टी/डी बी डी एम/329-सी/एस पी डी 89/95-96—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनाए गए संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1995 का पेशकश दस्तावेज, जिसे 16 अगस्त, 1995 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

ए. जी. जोशी
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

संस्थागत निवेशक विशेष निधि

यूनिट योजना 1995 (आई आई एस एफ यू एस 1995)

पेशकश दस्तावेज

पेशकश 21 अगस्त 1995 से 30 सितम्बर 1995 तक

खुली रहेगी

यह यूनिट योजना यू टी आई के न्यासी मंडल द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अनुसरण में बनायी गयी है।

प्लान के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युच्युअल फण्ड) विनियम 1993 के अनुसार तैयार किए गए हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है।

योजना का उद्देश्य

यह एक पांच वर्षीय नियत कालीन आयोन्मुख योजना है, जिसमें एन ए वी आधारित मूल्य पर योजना से आहरण किया जा सकता है। यह योजना संस्थागत निवेशकों के लिए है जिन्हें कि विशिष्ट योजना में प्रचुर धन का निवेश करना है।

विशिष्टताएं

*न्यूनतम निवेश 1 लाख यूनिटें और इसके बाद 50,000 यूनिटों के गुणकों में किया जा सकता है। यूनिटों का अंकित मूल्य रुपए 10/- होगा।

*यह धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों पात्र न्यास, समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत समितियां, अन्य किन्हीं निकायों जो धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए राज्य या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या नियंत्रित हों, सेना/वायुसेना/नौसेना/अर्ध सैनिक फण्ड और अन्य किसी संस्था/निगमित निकाय (कम्पनियों को छोड़कर) सहित पात्र न्यासों के लिए खुला है।

*ट्रस्ट द्वारा पहले वर्ष के लिए लाभ न्यूनतम 15% प्र. व. की लक्षित दर से अदा किया जाना प्रस्तावित है। यह समानुपातिक आधार पर जुलाई 1996 में अदा किया जाएगा। उसके बाद के वर्षों के लिए लाभांश पूर्ववर्ती वर्षों के अंत में घोषित किया जाएगा और प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई में अर्ध वार्षिक आधार पर अदा किया जाएगा।

*लाभांश का पुनर्निवेश करने का विकल्प उपलब्ध है।

*योजना आरम्भ होने की तिथि से एक वर्ष के बाद एन ए वी आधारित मूल्य पर पुनर्खरीद की अनुमति दी जाएगी।

जोखिम के तत्व

*योजना के यूनिटों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है और योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य (एन ए वी) का ऊपर या नीचे जाना पूंजी बाजार को प्रभावित करने वाले घटकों और शक्तियों पर निर्भर करता है।

*यदि वास्तविक आय 15% प्रति वर्ष न्यूनतम लक्षित लाभ का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी तो यूनिट धारकों को उस हद तक यूनिट पूंजी का घाटा उठाना पड़ सकता है।

*ट्रस्ट के पहले की योजनाओं/प्लानों का कार्य निष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है। इस योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।

*संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1995 केवल योजना का नाम है और यह किसी भी प्रकार से योजना की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है। निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस योजना में निवेश करने से पहले पेशकश की शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें।

प्रबंधन के विचार से जोखिम के तत्व

*ट्रस्ट 30 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 48 मिलियन से अधिक निवेशकों से लगभग 61,000 करोड़ रुपये की निधियों के प्रबंध में निपुणता हासिल की है।

यू टी आई की स्थापना

यू टी आई अधिनियम 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होने वाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। इसने 1 जुलाई 1964 से कार्य करना आरम्भ किया था।

यू टी आई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबन्धन न्यासी मण्डल में निहित है जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है।

बोर्ड के अलावा एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते हैं। यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर विचार करने के लिए सक्षम है।

न्यासी मंडल

1.	डॉ० एस० ए० दवे	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट
2.	श्री एस० एच० खान	अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
3.	डॉ० अरविंद विरमानी	सलाहकार, नीति निर्धारण, भारत सरकार आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
4.	श्री एन० एस० सेकसरिया	प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेंट लि०
5.	श्री पी० आर० खन्ना	सनदी लेखाकार
6.	कु० ए० ई० टी० बाज	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक
7.	श्री जे० एस० सालुंखे	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
8.	श्री एन० वाघुल	अध्यक्ष, आई० सी० आई० सी० आई० लि०
9.	श्री जे० वी० शेट्टी	अध्यक्ष, और प्रबंध निदेशक, केनरा बैंक

योजना की विशेषताओं का विवरण नीचे दिया गया है :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरम्भ

(1) यह योजना संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1995 (आई आई एस एफ यू एस 1995) कही जाएगी।

(2) यह माह अगस्त 1995 के 21वें दिन से आरम्भ होगी।

(3) यह योजना पांच वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 1 अक्तूबर, 1995 से 30 सितम्बर, 2000 तक होगी।

(4) यूनिटों की बिक्री 21 अगस्त, 1995 से 30 सितम्बर, 1995 तक 41 दिनों के लिए होगी।

बशर्ते कि यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर स्टाक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक आर्थिक कारण होने पर अखबारों में 7 दिनों का नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति में जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं।

2. परिभाषाएं

इस योजना में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब यूनिट ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(2) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(3) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा और योजना के खण्ड 4 के अंतर्गत आवेदन करता हो।

(4) "पात्र ट्रस्ट" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य नियमावली 1964 में यथापरिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है।

(5) "जारी यूनिटों की संख्या" का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की संख्या है।

(6) "व्यक्ति" में ऊपर यथापरिभाषित पात्र ट्रस्ट शामिल है।

(7) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अंतर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है।

(8) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड।

(9) इस योजना से संबंधित "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपए के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है।

(10) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है।

(11) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियमावली में दिये गए हैं।

3. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य

प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये होगा।

4. यूनिटों के लिए आवेदन

(1) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है :—

(1) धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट सहित सभी पात्र ट्रस्ट।

(2) समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत समितियां।

(3) अन्य कोई निकाय जो धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए राज्य या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा नियंत्रित या स्थापित या उसके अधीन हो।

(4) सेना/वायुसेना/नौसेना/अर्ध सैनिक फंड।

(5) अन्य कोई संस्था/निगमित निकाय (कंपनियों को छोड़कर) जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चित किया जाएगा।

(2) आवेदन ऐसे फार्म में किया जाएगा जैसा ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(3) पात्र संस्थाएं, निगमित निकाय या समितियां यथा-अपेक्षा ट्रस्ट को वे भी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगी जिनसे आवेदक की यूनिटों में निवेश करने की सक्षमता का पता चलता है, जैसे संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम, उपनियम आदि, यूनिटों में निवेश के अधिकार देने के प्रबंधन निकाय के संकल्प की प्राधिकृत प्रति आदि और समुचित मुख्तारनामे की प्रति ।

5. निवेश की न्यूनतम राशि

योजना के अंतर्गत न्यूनतम निवेश 1 लाख यूनिटों और इसके बाद 50 हजार यूनिटों के गुणकों में किया जा सकता है, कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

आवेदक को जितने यूनिट चाहिए उन सब के लिए केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। यदि आवेदक एक ही हो तो उनसे दो या अधिक आवेदन पत्रों को बहुलित आवेदन पत्र माना जाएगा । ट्रस्ट ऐसे बहु आवेदनों को अपने पूर्ण विवेक से रद्द करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है ।

निवेशकों को सलाह दी जाती है कि यदि उनका आय कर पीएएन/जीआईआर नंबर हो तो उसे तथा संबंधित आय कर सर्किल के पते का उल्लेख करें ।

6. भुगतान विधि

(1) आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए आवेदन पत्र के साथ चैक या ड्राफ्ट द्वारा (बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक द्वारा ही वहन किया जाएगा) भुगतान किया जाएगा, चैक या ड्राफ्ट वसूल करने की लागत भी इसमें शामिल होगा । चैक या ड्राफ्ट उसी शहर के बैंकों की शाखाओं पर आहरित होने चाहिए जहां ट्रस्ट के शाखा कार्यालय हैं और उस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

(2) यदि भुगतान चैक द्वारा किया गया है तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट द्वारा चैक प्राप्त करने की तिथि होगी, बशर्ते कि चैक की राशि की वसूली हो जाए । यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो, तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट जारी करने की तारीख होगी, बशर्ते कि ऐसे ड्राफ्ट की राशि की वसूली हो जाए, परन्तु ट्रस्ट को आवेदन पत्र ऐसे समय के भीतर प्राप्त हो जाए जो ट्रस्ट द्वारा उचित समझा जाए । यदि आवेदित यूनिटों के भुगतान के लिए अदा की गयी राशि आवेदित यूनिटों के लिए दी राशि और अन्य देय प्रभार से कम हो तो आवेदक को उतने ही यूनिट जारी किए जाएंगे जो 50,000 यूनिटों के गुणकों में हों (न्यूनतम 1 लाख यूनिटों तक) और आवेदित संख्या के आसपास हों । तथा शेष राशि यदि कोई हो, उसको उसके खर्च पर वापस की जाएगी ।

(3) आवेदन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने का ट्रस्ट का अधिकार योजना के अंतर्गत यूनिट जारी करने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करने और/या अस्वीकार करने का एकमात्र स्वविवेकाधिकार ट्रस्ट का होगा । योजना के अंतर्गत आवेदन करने की किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के संबंध में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा ।

(4) अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्तीकरण के भागी होंगे।

यदि आवेदन पत्र अपूर्ण पाया जाए तो उसे रद्द किया जा सकेगा और ट्रस्ट यथाशीघ्र बिना किसी देयता के चाहे वह ब्याज के लिए हो या अन्य कोई राशि हो, आवेदन राशि वापस कर देगा । आवश्यक परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताओं का अनुपालन किए जाने के बाद राशि वापस की जाएगी ।

(5) यूनिट जारी होने से पहले आवेदक को योजना के अंतर्गत अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा ।

योजना के अंतर्गत यूनिटों के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी जैसे ट्रस्ट द्वारा आवेदन करने पर न्यास विलेख, यूनिट खरीदने के लिए प्रबंध निकाय का संकल्प, समितियों द्वारा आवेदन करने पर उप-नियम और प्रबंध समिति का संकल्प आदि। यह निवेशकों की श्रेणी पर निर्भर होगा । ट्रस्ट की संतुष्टि के लिए ऐसी अपेक्षाओं का पालन करना या न करना ट्रस्ट के पूर्ण स्वविवेक पर निर्भर होगा ।

कोई संस्था गलत घोषणा कर यूनिट रखेगी तो वह सदस्यता निरस्त किए जाने की भागी होगी और उसका नाम यूनिट धारकों की पूंजी से काट दिया जाएगा ।

ऐसी स्थिति में ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह 25% जुर्माने के तौर पर घटाकर यूनिटों की पुनर्खरीद सममूल्य पर या ऐसे मूल्य पर कर ले जो ट्रस्ट द्वारा तय किया जाए और गलती से किए गए आय वितरण के भुगतान की वसूली पुनर्खरीद राशि से कर ले और शेष राशि वापस कर दे ।

इस राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, चाहे ट्रस्ट को पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि प्रेषित करने में कितना भी समय लगे ।

7. राशि जुटाने का न्यूनतम लक्ष्य

योजना के अंतर्गत एकत्र की जाने वाली लक्ष्य राशि का लक्ष्य 50 करोड़ रुपए होगा । अत्यभिदान यदि कोई हो तो उसे ट्रस्ट द्वारा रखा जाएगा । यदि राशि का 60% का अभिदान नहीं होता है तो ट्रस्ट आवेदकों को खाता चैक/प्रत्यर्पण आदेश द्वारा योजना के अंतर्गत संग्रहीत पूरी राशि को यूनिटों की बिक्री समाप्ति तिथि से 6 हफ्तों या उसके पहले वापस करेगा ।

उक्त अनुबद्ध अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में बिक्री बंद होने की तिथि से 6 सप्ताहों की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदक को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा ।

8. खर्चों पर सीमा

योजना के अंतर्गत एकत्र निधि का निर्गम पूर्व व्यय 3.5% से अधिक नहीं होगा । योजना के प्रारंभिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :—

व्यय का शीर्षक	
मुद्रण और डाक	0.75%
प्रचार और विपणन	0.75%
कमिशन/प्रोत्साहन भुगतान	1.00%
प्रशासनिक व्यय	0.50%
विविध	0.50%
योग	3.50%

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपये का कम से कम 96.5 पैसा इस योजना में निवेश किया जाएगा। प्रारंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य का 2% से अधिक नहीं होगा। अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार हैं :-

व्यय का शीर्षक	
प्रशासनिक व्यय	1.0%
अभिरक्षण शुल्क	0.5%
विकास आरक्षित निधि	0.1%
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.1%
लेखा शुल्क	0.2%
अन्य व्यय	0.1
योग	2.0

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों में परस्पर परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं फिर भी सेबी (म्यूचुअल फण्ड) विनियम, 1993 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि की 3.5% की सीमा के भीतर तथा आवर्ती व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान साप्ताहिक औसत शुद्ध मूल्य के 2% की सीमा के भीतर ही होगा। इसके अलावा प्रशासनिक व्यय, विकास आरक्षित निधि में अंशदान लेखा वर्ष के दौरान योजना के साप्ताहिक औसत एन ए वी के 1.25% से अधिक नहीं होगा।

9. यूनिट की बिक्री :

पंशकश अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगी।

यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री संविदा स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी। ट्रस्ट इसके बाद 50,000 यूनिटों के लाट में यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा। प्रेषित यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने या गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगी।

यूनिट ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट/सोसायटी/निगमित निकाय को जारी यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट/सोसायटी/निगमित निकाय के नाम पर ही होगा। यूनिट ट्रस्ट यूनिट प्रमाण-पत्र को यथाशीघ्र लेकिन यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से दस सप्ताहों के भीतर भेजने का प्रयत्न करेगा।

10. इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन :

(क) मूल्यांकन की तारीख को बंबई स्टाक एक्सचेंज के अंतिम मूल्यों पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया जाएगा। जो प्रतिभूतियाँ बम्बई स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध नहीं होंगी उनका मूल्यांकन उनके प्रमुख स्टाक एक्सचेन्ज के अंतिम मूल्यों पर किया जाएगा।

यदि मूल्यांकन की तारीख से पूर्व एक माह से अधिक अवधि तक प्रतिभूतियों का व्यवसाय नहीं किया गया होता तो ऐसी प्रतिभूति के मूल्यांकन की विधि ट्रस्ट द्वारा, जैसा उचित प्रतीत हो, तय की जाएगी ताकि बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन की विधि के अनुसार इसका सही प्राप्य मूल्य बताया जा सके।

(ख) मुद्रा बाजार लिखत तथा डिबेंचर सहित अन्य नियत आयवाली लिखतों का मूल्यांकन, वर्तमान आय और समतूल्य लिखतों के परिपक्वता मूल्य के आधार पर अथवा ट्रस्ट जैसा उचित समझे उस तरीके से किया जाएगा।

(ग) अन्य सभी आस्तियां जिनका मूल्यांकन पूर्वोक्तानुसार न किया जा सके, उनका मूल्यांकन बही मूल्य पर किया जाएगा और यदि वह उपलब्ध न हो तो ट्रस्ट द्वारा उचित समझी गयी विधि से किया जाएगा।

(घ) जो प्रतिभूतियां सूचीबद्ध नहीं हों उनका सही मूल्यांकन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

आस्तियों का मूल्यांकन सेबी द्वारा यथासमय निर्धारित दिशानिर्देशों और विनियम के अधीन होगा।

11. शुद्ध आस्ति मूल्य का निर्धारण :

योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन, योजना के उपचयों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य का निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा। इस एनएवी का (पूर्ववर्ती आधार पर) आरम्भ में पहले वर्ष के दौरान कम-से-कम 2 दैनिक समाचार-पत्रों में प्रत्येक 3 महीने में एक बार प्रकाशित किया जाएगा। अवरुद्ध अवधि समाप्त होने के बाद 1 अक्तूबर, 1996 से प्रत्येक सप्ताह या सेबी द्वारा अनुमोदित अंतराल में एनएवी घोषित की जाएगी। शुद्ध आस्ति मूल्य का मूल्यांकन सेबी द्वारा यथासमय निर्धारित विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

12. निवेश उद्देश्य और नीतियां :

(1) योजना के अंतर्गत संग्रहीत निधियों का अधिक से अधिक 20% इक्विटी और इक्विटी सम्बद्ध लिखतों में और शेष का ऋण और मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश किया जाएगा। उपर्युक्त में किसी बात के अन्यथा होते हुए, सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश के अंश को बढ़ाया भी जा सकता है।

(2) संविभाग की संरचना के बारे में विनिर्णय ट्रस्ट के विवेकाधीन होगा जो निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए निवेश पर प्रतिबंधों और आय वितरित करने पर निर्भर करेगा।

(3) सभी ऋण लिखतें जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाना है, उनके निवेश ग्रेड का निर्धारण सीआरआईएसआईएल/आईसीआरए/सीएआरई या समय-समय पर मान्यताप्राप्त किसी अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

परन्तु यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा ।

(4) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिया जाएगा।

(5) निजी रूप से नियोजित डिबेंचरों, प्रतिभूत ऋणों और अन्य अनुद्धृत ऋण लिखतों के जरिए किया गया निवेश योजना की कुल आस्तियों के 40% से अधिक नहीं होगा ।

(6) यह योजना अपने निकाय का 5% से अधिक किसी एक कम्पनी के शेयरों में निवेश नहीं करेगी ।

(7) इस योजना सहित यूनिट ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों का 10% से अधिक किसी एक कंपनी के शेयरों, अथवा डिबेंचरों अन्य प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा।

(8) इस योजना की यूनिट ट्रस्ट की निधियों सहित सभी योजनाओं की निधियों का 15% से अधिक किसी एक उद्योग के शेयरों अथवा डिबेंचरों में निवेश नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह प्रावधान उस योजना को लागू नहीं होगा जो एक अथवा अधिक विशिष्ट उद्योगों में निवेशों के लिए जारी की गई है और उस आशय की घोषणा प्रस्ताव-पत्र में की गई है।

(9) इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब :

(क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पष्ट आधार पर किए गए हों ।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं।

(ग) सूचीबद्ध या उधृत न किए गए निवेशों का अंतरण यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा ।

(10) यह योजना यूटीआई की किसी अन्य योजना/प्लान में निवेश नहीं करेगी अथवा उसे उधार नहीं देगी।

(11) यह योजना अपने निवेशों के वित्त पोषण के लिए निधियां उधार नहीं लेगी ।

12. यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) (1) अवरुद्ध अवधि एक वर्ष अर्थात् 30 सितम्बर, 1996 तक की होगी । योजना के पहले वर्ष के दौरान यूनिटों की कोई पुनर्खरीद नहीं की जाएगी। पुनर्खरीद मूल्य एनएवी (शुद्ध आस्ति मूल्य) आधारित मूल्य पर होगा और पहले वर्ष के दौरान प्रारंभ में प्रत्येक 3 महीने में एक बार घोषित किया जाएगा । अवरुद्ध अवधि समाप्त होने पर पुनर्खरीद मूल्य प्रत्येक सप्ताह में एक बार घोषित किया जाएगा जो 1/10/96 से आरम्भ होगा ।

आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति तभी दी जाएगी बशर्ते कि ऐसे की गई पुनर्खरीद से यूनिटधारक की यूनिटधारिता पचास हजार यूनिटों के गुणकों के अतिरिक्त किसी दूसरे रूप में न हो।

पूर्ण रूप से भरे हुए पुनर्खरीद फार्म के साथ यूनिट प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर पुनर्खरीद की जाएगी ।

(2) यूनिटधारक को यूनिटों को पुनर्खरीद के लिए पेश करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी जैसे कि ऊपर उप-खंड 1(1) में उल्लेख किया गया है और वह योजना चालू रहने के दौरान अपनी इच्छानुसार उसका धारण कर सकता है।

(2) स्वीकृति तिथि को पुनर्खरीद के लिए संविदा समाप्त मानी जाएगी।

(3) यूनिट ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद गए यूनिटों के लिए स्वीकृति तिथि के बाद जितना जल्दी हो सके भुगतान किया जाएगा । भुगतान ऐसे ढंग से किया जाएगा जैसा आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में सूचित किया गया हो। आवेदक को देय राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज अदा नहीं किया जाएगा और प्रेषण का खर्च (डाक खर्च सहित) या डाक द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट या चेक की वसूली का खर्च आवेदक द्वारा ही वहन किया जाएगा।

(4) पुनर्खरीद किए गए यूनिटों को पुनः जारी नहीं किया जाएगा ।

(5) पुनर्खरीद प्रक्रिया में परिवर्तन का अधिकार ट्रस्ट द्वारा निर्धारित निधियों और दिशानिर्देशों के अधीन होगा ।

13. यूनिटों की बिक्री और पुनर्खरीद पर प्रतिबंध

योजना के विलेख की शर्तों में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिटों की खरीद या पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा।

(1) ऐसे दिन, जो कार्य दिवस न हो, और

(2) ऐसी अवधि में जब बही और लेखों की अर्ध-वार्षिक/वार्षिक बंदी (जब ब्याज घोषित किया) के संबंध में यूनिटधारकों की पंजी बंद हो।

स्पष्टीकरण :

इस योजना के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो :

(1) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो और/या

(2) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का कार्यालय बंद रहेगा ।

15. बिक्री या पुनर्खरीद स्वीकृति तिथि को होगी :

यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की प्रत्येक बिक्री और पुनर्खरीद स्वीकृत तिथि के अनुसार उस दिन को प्रचलित मूल्य पर होगी।

16. पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन :

पुनर्खरीद मूल्य निर्धारित करने के बाद यूनिट ट्रस्ट जितना जल्दी संभव हो ऐसी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य को दो दैनिक अखबारों में प्रकाशित करेगा।

17. यूनिट प्रमाण-पत्र का फार्म :

यूनिट प्रमाण-पत्र ऐसे फार्म में होगा जैसाकि अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा निश्चित किया जाएगा। प्रत्येक यूनिट प्रमाण-पत्र पर विभेदक संख्या, यूनिटों की संख्या जिनके लिए प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो तथा यूनिटधारक का नाम होगा।

18. यूनिट प्रमाण-पत्र तैयार करने की विधि :

जैसा बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करेगा, यूनिट प्रमाण-पत्र उत्कीर्ण या लिथोग्राफ या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यांत्रिक विधि से लगाया जाएगा। जब तक यूनिट प्रमाण-पत्र इस रूप से हस्ताक्षरित नहीं होगा, तब तक वह वैध नहीं होगा। इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाण-पत्र इस बात के होते हुए भी वैध और बाध्यकारी होगा कि उसे जारी करने से पहले कोई व्यक्ति जिसका हस्ताक्षर उस पर है, ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाण-पत्र हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति न रहा हो।

परन्तु इस रूप में तैयार किया गया यूनिट प्रमाण-पत्र जिसमें प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, प्रमाण-पत्र जारी होने के समय जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो ट्रस्ट किसी तरीके से जिसे वह सबसे उचित समझता है, प्रमाण-पत्र पर विद्यमान उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को निरस्त कर सकता है और उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर करा सकता है। इस रूप में जारी यूनिट प्रमाण-पत्र भी वैध होगा।

19. जब प्रमाण-पत्र के कट-फट जाने, विरूपित हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में प्रक्रिया :

(1) यदि कोई यूनिट प्रमाण-पत्र कट-फट जाता है या घिस-पिट या विरूपित हो जाता है तो ऐसे मामलों में ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार हकदार व्यक्ति को एक नया यूनिट प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है जिसमें यूनिटों की वही संख्या हो जो कट-फट गए, घिस-पिट गए या विरूपित हो गए प्रमाण-पत्र में हो। यूनिट प्रमाण-पत्र के खो जाने, चोरी होने या नष्ट होने के मामले में, यूनिट ट्रस्ट अपने विवेकाधिकार पर, उसके बदले में हकदार व्यक्ति को नया यूनिट प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है। कोई भी नया यूनिट प्रमाण-पत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक ने पहले ही :

(1) मूल यूनिट प्रमाणपत्र के कटे-फटे होने, फटा पुराना हो जाने, विरूपित होने, खो जाने, चोरी या नष्ट हो जाने के संतोषजनक साक्ष्य यूनिट ट्रस्ट को प्रस्तुत नहीं किये हों;

(2) तथ्यों की जांच से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान कर दिया हो;

(3) कट-फट जाने या फटा-पुराना हो जाने या विरूपित होने के मामले में) कटे-फटे, फटे-पुराने या विरूपित यूनिट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत और सुपुर्द नहीं कर दिया हो, तथा;

(4) यूनिट ट्रस्ट की अपेक्षानुसार उसे क्षतिपूर्ति प्रस्तुत नहीं कर दी हो।

इस खण्ड के उपबंधों के अनुसार यूनिट ट्रस्ट सद्भावपूर्वक ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कोई देयता नहीं उठाएगा।

(2) इस खण्ड के उपबंधानुसार प्रमाण-पत्र करने के पहले ट्रस्ट यह अपेक्षा कर सकता है कि आवेदक यूनिट प्रमाण-पत्र के लिए ट्रस्ट द्वारा निर्गत प्रति यूनिट प्रमाण-पत्र के लिए पांच रुपये के शुल्क के साथ, जो ट्रस्ट की राय में कर और ऐसे प्रमाण-पत्र के निर्गम और प्रेषण के संबंध में देय डाक पंजीकरण, प्रचार सहित अन्य खर्च पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, का भुगतान करे।

20. यूनिटधारकों की पंजी :

यूनिटधारकों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :—

(1) ट्रस्ट द्वारा यूनिटधारकों की पंजी रखी जाएगी और पंजी में निम्नलिखित दर्ज किए जाएंगे :—

(क) यूनिटधारकों के नाम और पते;

(ख) हरेक ऐसे यूनिटधारकों द्वारा धारित यूनिटों की संख्या; और

(ग) वह तिथि जब ऐसा यूनिटधारक अपने नाम के यूनिटों का धारक हो गया।

(2) यूनिटधारक की ओर से उसके नाम और पते के परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जाएगी। ट्रस्ट द्वारा ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और यथापेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन करेगा।

(3) केवल पंजी बंदी को छोड़कर, इसमें इनके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्य-समय के दौरान (यूनिट ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत समुचित प्रतिबंधों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिए पंजी के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी) यूनिटधारक के निःशुल्क निरीक्षण के लिए पंजी खुली रहेगी।

(4) यूनिट ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित समय और अवधि के लिए पंजी बंद रहेगी, लेकिन एक वर्ष में 45 दिनों से अधिक समय के लिए बंद नहीं रहेगी। यूनिट ट्रस्ट समाचार-पत्रों में या अन्य माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऐसी बंदी की सूचना देगा।

(5) यूनिट धारक के सिवाय किसी व्यक्ति के किसी यूनिट से संबंधित यूनिटधारक के सिवाय कोई स्पष्ट निहित और रचनात्मक सूचना और कोई हकाधिकार पंजी में दर्ज नहीं किया जाएगा।

21. यूनिटधारक द्वारा नामांकन

यूनिटधारक द्वारा प्रदत्त राशि के लिए जारी यूनिट प्रमाण-पत्र के यूनिटों के संबंध में उसके द्वारा दिया गया रसीद ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा ।

22. यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखना/समनुदेशन :

योजना आरम्भ होने के 3 महीनों की अवरुद्ध अवधि के बाद अर्थात् 1 जनवरी, 1996 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन यूनिटों के अंतरण/गिरवी रखने/समनुदेशन के लिए अनुमति दी जाएगी :—

(1) प्रत्येक यूनिटधारक को उसकी द्वारा धारित यूनिटों अथवा कुछ यूनिटों का अंतरण करने का हक होगा और वह ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित फार्म पर लिखित रूप में लिखत द्वारा किया जाएगा। परन्तु यदि एसे पंजीकरण से अंतरणकर्ता या अंतरिती ऐसे यूनिटों के धारक बनते हैं जहां यूनिटों की संख्या 50,000 के गुणक में नहीं है तो अंतरण पंजीकृत नहीं किया जाएगा ।

परन्तु यह कि केवल खण्ड 4 में उल्लिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को छोड़कर, किसी अन्य को अंतरण नहीं किया जाएगा ।

(2) अंतरण की प्रत्येक लिखत अंतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा हस्ताक्षरित होगी और अंतरणकर्ता उस समय तक अंतरित यूनिटों का धारक होगा जब तक कि रजिस्टर में अंतरिती के नाम का प्रविष्ट नहीं हो जाती ।

(3) अंतरण की प्रत्येक लिखत संबंधित यूनिट प्रमाण-पत्रों के साथ यूनिट ट्रस्ट की किसी भी शाखा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

(4) अंतरण की प्रत्येक लिखत विधिवत रूप से स्टाम्प की जाएगी (यदि कोई की अंतरण स्टाम्प करना आवश्यक हो) और उस ट्रस्ट को पंजीकरण के लिए संबंधित यूनिट प्रमाण-पत्र/पत्रों के साथ दिया जाएगा और अंतरणकर्ता के हक के संबंध में अथवा यूनिटों का अंतरण करने के उसके अधिकार के संबंध में ट्रस्ट जैसा साक्ष्य चाहेगा, उसे भी प्रस्तुत करना होगा । ट्रस्ट ऐसे यूनिट प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने में छूट दे सकता है जो खो गए हों, चुरा लिए गए हों अथवा नष्ट हो गए हों । इसके लिए अंतरणकर्ता को उन अपेक्षाओं को पूरा करना होगा जो उनके स्थान पर जारी करने हेतु उसके द्वारा किए गए आवेदन पर उत्पन्न हुई होंगी ।

(5) यदि अंतरिती विधि के परिचालन से या आधिकारिक क्षमता के कारण यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अथवा पात्र होने पर ऐसे साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण, जिसे ट्रस्ट की शाखा पर्याप्त समझे, के अधीन ट्रस्ट की शाखा अंतरण को लागू करेगी ।

(6) जब यूनिट अधिकारिक नाम से जारी किए जाते हैं तो वे कार्यालय के प्रत्येक धारक से कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी धारक के नाम बिना किसी अंतरण लिखत के अंतरित माने जाएंगे, और यह अंतरण उस तिथि को या उस तिथि से होगा जब दूसरा धारक कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करता है ।

(7) जब कार्यालय का धारक इस प्रकार से धारित यूनिटों का अंतरण ऐसे व्यक्ति के नाम करता है जो कार्यालय में उसका उत्तराधिकारी न हो, तो अंतरण लिखत द्वारा अंतरण किया जाएगा, जो कार्यालय के धारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर कार्यालय की मोहर होगी ।

(8) अंतरण की सभी लिखतें, जो पंजीकृत हो सकती हैं, ट्रस्ट द्वारा प्रक्रिया संबंधी और परिचालनगत आवश्यकताओं को पूरा करने तक रोक ली जाएंगी ।

(9) ट्रस्ट अंतरिती संबंधी ब्यौरों को यूनिट प्रमाण-पत्र के पीछे पर इस प्रयोजन के लिए दी गयी जगह पर पृष्ठांकित करेगा ।

(10) इसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट प्रमाण-पत्र और अंतरण संबंधी लिखतें प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर अंतरण का पंजीकरण करेगा और अंतरिती को प्रमाण-पत्र वापस करेगा।

23. आवेदन और अंतरण फार्म पर अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर

यदि मुख्तारनामा पहले से ही ट्रस्ट की बहियों में पंजीकृत नहीं हो और यदि किसी आवेदन-पत्र या अंतरण-पत्र पर मुख्तारनामा रखने वाला कोई व्यक्ति जिसे ऐसा करने का अधिकार दिया गया हो, हस्ताक्षर करे तो मूल मुख्तारनामा या उसकी विधिवत् नोटरीकृत प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन-पत्र या अंतरण-पत्र के साथ जैसा भी मामला हो प्रस्तुत करनी चाहिए।

24. आय वितरण की दर

ट्रस्ट पहले वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की न्यूनतम लक्षित दर पर लाभ का भुगतान करने का प्रस्ताव करता है । यह समानुपातिक आधार पर जुलाई 1996 में देय होगा । पहले वर्ष के लिए लाभांश दैनिक आधार पर परिकलित किया जाएगा, जो सम्मिलित होने की तिथि पर निर्भर करेगा। बाद के वर्षों के लिए लाभांश का घोषणा वर्ष के अंत से पूर्व की जाएगी; जो प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई में देय होगी।

25. यूनिटधारकों को भुगतान

(1) वर्ष के दौरान अर्जित लाभों का कम से कम 90% यूनिटधारकों को लाभांश के रूप में वितरित किया जाएगा ।

लाभांश घोषित करने से पहले ट्रस्ट निवेश पर मूल्यह्रास का प्रावधान करेगा और अपने लेखा परीक्षकों को संतुष्ट करते हुए संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान भी करेगा और लेखों की टिप्पणियों में मूल्यह्रास की पद्धति भी सूचित करेगा । ट्रस्ट पहले वर्ष के लिए न्यूनतम 15% प्रति वर्ष की दर से लक्षित लाभांश समानुपातिक आधार पर जुलाई 1996 में अदा करेगा । कम मार्केटिंग तथा सेवा प्रभार और निवेश उद्देश्य और योजना की प्रचलित नीतियों तथा लिखतों से अनुमानित लाभ, जिनमें प्लान की निधियों का निवेश किया जाएगा, के आधार पर योजना पहले वर्ष में निवेशकों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से न्यूनतम लक्षित लाभांश अदा करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न कर सकेगी। वर्तमान में नियत आय प्रतिभूतियों से प्राप्त लाभ 16% से 16.5% के बीच है और "परिपक्वता पर लाभ" 18% से 19% के बीच है । ईक्विटी निवेशों से अनुमानित लाभ कम से कम 20% प्र. व. होगा । इस तरह ट्रस्ट को निवेशकों को 15% प्र. व. की दर से न्यूनतम लक्षित लाभ देना संभव होगा । बाद के प्रत्येक वर्ष के लिए लाभांश दर योजना

को आय पर और संबंधित कारकों पर निर्भर करेगा और अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रत्येक वर्ष जनवरी/जुलाई में भुगतान किया जाएगा। ट्रस्ट लाभांश घोषित करने के 42 दिनों के भीतर उसे प्रेषित करने का प्रयत्न करेगा।

(2) यूनिटों के संबंध में जिसका वह धारक है ट्रस्ट द्वारा घोषित कोई आय प्राप्त कर धारण करना यूनिट धारक के लिए वैध होगा, भले ही उसके द्वारा किसी प्रतिफल हेतु यूनिट अंतरित कर दिए गए हों तथापि जब तक अंतरिती या अंतरणकर्ता से आय का दावा करता है, आय के देय होने के 15 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र और अंतरण से संबंधित अन्य सभी दस्तावेज, जो प्रावधानों के अंतर्गत या अन्य रूप से उसके नाम में पंजीकृत करने के लिए ट्रस्ट द्वारा मांगे जाएं, उन्हें प्रस्तुत नहीं कर देगा।

स्पष्टीकरण :—इस उप-खण्ड में निर्दिष्ट अवधि निम्नलिखित मामलों में विस्तारित की जाएगी :—

(1) अंतरण विलेख के चोरी होने या अंतरणकर्ता के नियंत्रण के बाहर की परिस्थिति में अन्य किसी कारण से खो जाने की स्थिति में उसके स्थान पर दूसरा प्राप्त करने में व्यतीत हुई वास्तविक अवधि के द्वारा; और

(2) कोई प्रमाणपत्र दाखिल करने में हुए विलम्ब और अंतरण के संबंध में अन्य दस्तावेजों को डाक द्वारा देरी से पहुंचने के संबंध में हुए विलम्ब की वास्तविक अवधि के द्वारा।

(3) इसमें ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के होने के बावजूद ऐसी यूनिटों के संबंध में, जिसका वह धारक है, यूनिटधारक को देय किसी भी आय का भुगतान करने का ट्रस्ट का अधिकार प्रभावित नहीं होगा।

(4) यूनिटधारकों में वितरित की जाने वाली ऐसी आय पर ट्रस्ट द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

तथापि, ट्रस्ट योजना के अंतर्गत स्थापित प्रारक्षण निधि पर निर्भर करते हुए और उचित परिस्थितियों के होने पर यूनिट धारक द्वारा लाभांश के किसी विलम्ब पर किए दावे पर जैसा कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा उस रूप में और रीति से यूनिटधारक को मुआवजा देगा।

(5) यूनिटधारकों में वितरित की जाने वाली आय चेक या यूनिट ट्रस्ट के बैंकरों के नाम आहरित वारंट या यूनिटधारक के विकल्प पर, बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा की जाएगी। उक्त बैंक ड्राफ्ट के प्रभार यूनिटधारक द्वारा वहन किए जाएंगे।

आय वितरण वारंटों के खो जाने/गलत स्थान पर पहुंचने के कारण उनके संभावित कपटपूर्ण नकदीकरण के विरुद्ध सावधानी के तौर पर आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे रिकार्ड के लिए आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर तथा पावती रसीद वाले भाग पर अपने बैंक खाते का पूरा विवरण (अर्थात् खाते का प्रकार एवं खाता संख्या, बैंक का नाम) दें। तब आय वितरण वारंट इस प्रकार से निर्दिष्ट किए गए उनके खाते में जमा करने के लिए बैंक के पक्ष में तैयार कर उन्हें भेजे जाएंगे।

यूनिटधारक कथित बैंक में अपने खाते में जमा करने हेतु उस आय वितरण वारंट को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि बैंक सम्बंधी पूरा विवरण नहीं दिया जाता है तो आय वितरण वारंट यूनिटधारक के नाम जारी किए जाएंगे।

26. आय वितरण का और यूनिटों में पुनर्निवेश :

यूनिटों के लिए आवेदन करते समय या उसके बाद यूनिटधारक को यूनिटों के संबंध में प्राप्त होने वाली आय को और यूनिटों में पुनर्निवेश करने का विकल्प होगा। ऐसे विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में वितरित की जानेवाली पूर्ण आय खण्ड 25 में दी गयी राशि से यूनिटधारक को अदा करने जाने के बजाय, कर कटौती के बाद यदि कोई हो यूनिट ट्रस्ट द्वारा अगले/उसी वर्ष के जुलाई/जनवरी के पहले सप्ताह में प्रकाशित एन ए वी आधारित मूल्य पर यूनिटों में पुनर्निवेशित की जाएगी।

वितरण योग्य लाभांश, कर कटौती, यदि कोई है, और उसके बदले आबंटित यूनिटों का ब्यौरे सहित एक विवरणी यूनिट धारक को भेजी जाएगी। इस तरह आबंटित यूनिटों के संबंध में किसी भी यूनिटधारक का यूनिट प्रमाणपत्र जारी करने की मांग करने का हक नहीं होगा। यूनिटधारक जिसने पूर्वोक्तानुसार पुनर्निवेश सुविधा का विकल्प चुना है, उसके द्वारा लिखित आवेदन तथा अंतिम जारी विवरणी को अभ्यर्पित करने पर पुनर्खरीद की अनुमति प्रदान करने वाले खण्ड की शर्तों के अनुसार उसे उस समय पुनर्खरीद मूल्य पर यूनिटों को पुनर्खरीद की अनुमति दी जा सकती है। जिन यूनिटधारकों ने पुनर्निवेशित यूनिटों की पुनर्खरीद की हो, वे उत्तरवर्ती वर्षों के लिए वितरण योग्य आय के संबंध में पुनर्निवेश सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस खण्ड के अंतर्गत पुनर्निवेश सुविधा के अधीन आबंटित यूनिट न्यूनतम 1 लाख यूनिटों का धारण और इसके बाद 50,000 यूनिटों के गुणकों में धारण तथा 50,000 यूनिटों के गुणकों में पुनर्खरीद और अन्य मामलों के संदर्भ में नियंत्रित करनेवाली शर्तों और प्रावधानों के अधीन नहीं होगी।

27. विकास प्रारंभिक निधि (डी आर एफ) में अंशदान : प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक आस्ति शुद्ध आस्ति मूल्य के 0.10% की दर से विकास प्रारंभिक निधि में अंशदान के रूप में रखा जाएगा। डी आर एफ में अंशदान आवर्ती व्ययों का ही अंश होगा।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नयी योजनाओं को लागू करने के संदर्भ में अनुसंधान और विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं की अवधारणा के स्तर पर प्रदर्शन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, उन्हें भी करने में होने वाले व्ययों को पूरा कर सके। इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों, जो किसी योजना से जुड़े हुए न हों तथा सामान्य संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य कार्यकलापों से संबंधित हों, के लिए भी किया जा सकता है।

27.ए. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान : प्रत्येक वर्ष शुद्ध आस्ति मूल्य के साप्ताहिक आस्ति मूल्य का 10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा।

ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं।

28. योजना के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना :

जो व्यक्ति यूनिटधारक के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा यूनिटधारक के रूप में मान्य होगा और चूंकि ऐसी यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिए ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और किसी विपरीत नोटिस से या न्यास निष्पादन की नोटिस से उस बात को छोड़कर जैसा इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो या सक्षम प्राधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो कि इस योजना से संबंधित यूनिटों के हक को प्रभावित करनेवाले किसी न्यास या ईक्विटी या अन्य हित को मान्यता दी जाए, बाध्य नहीं होगा ।

29. लेखों का प्रकाशन :

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष के 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों को प्रकाशित करेगा, जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि का योजना के कार्यों का विवरण होगा। ट्रस्ट सेबी और अन्यों को विधिवत रूप से लेखा परीक्षित तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और लाभ हानि लेखा तथा अपरीक्षित अर्ध वार्षिक लेखों और एनएवी में हुए उतार चढ़ाव का एक तिमाही विवरण और पिछली अवधि में हुए परिवर्तनों सहित तिमाही पोर्टफोलिओ विवरण भेजेगा । ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पहलों के बारे में हो और जिसका सूचित किया जाना आवश्यक हो ।

ट्रस्ट, सदस्य से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित विवरणों और लेखों की एक प्रति भेजेगा ।

30. योजना में परिवर्तन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना में परिवर्तन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किए गए परिवर्तन संशोधन को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

यदि कोई संशोधन करना हो तो सेबी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

31. योजना की समाप्ति :

(क) योजना पूर्ण रूप से 30-9-2000 को समाप्त हो जाएगी। यूनिटधारकों के बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी और यूनिट धारक को उनके यूनिटों के मूल्य की अदायगी उक्त अवधि के दौरान अंतिम पुनर्खरीद के लिए निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी ।

निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के बाद की किसी अवधि के लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या लाभांश के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा ।

फिर भी ट्रस्ट लिखित रूप में सेबी की पूर्व अनुमति से इस योजना को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ऐसी स्थिति में यूनिटधारकों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे यूनिटों को वापस ट्रस्ट को बेच दें अथवा इस योजना में बने रहें । ट्रस्ट द्वारा निवेशक को यह विकल्प भी दिया जा सकता है कि वह पुनर्खरीद की राशि को धारक की गई अथवा उस समय परिचालन में रहने वाली किसी भी योजना में परिवर्तित कर सके ।

(ख) ट्रस्ट योजना को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :

(1) योजना के 5 वर्ष पूरे होने पर अर्थात् 30 सितम्बर 2000 को अथवा आगे ऐसी तारीख की समाप्ति पर जो ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित हो ।

(2) कोई ऐसी घटना घटने पर और जिससे ट्रस्ट की राय में योजना की समाप्ति आवश्यक हो, या

(3) योजना के 75% यूनिटधारकों द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर, या

(4) यूनिटधारकों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निर्देश दें ।

(ग) जहां उपर्युक्त उपखंड (ख) के अधीन, योजना की समाप्ति की जाती है, तो ट्रस्ट को योजना को समाप्त करने की परिस्थितियों की सूचना सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और बम्बई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देनी होगी ।

(घ) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट—

(1) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा ।

(2) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को निर्मित और रद्द करना बंद करेगा ।

(3) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा ।

(ङ) न्यासी मंडल यूनिटधारकों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और महावाद द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।

(च) (1) न्यासी मंडल योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के यूनिट धारकों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा ।

(2) ऊपर दिए गए उप खंड (च) (1) के अनुसार की गयी बिक्री की राशि का पहले दृष्टांत में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन को किया उपयोग किया जाएगा जो योजना के अंतर्गत उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों की चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने की तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिटधारकों के हित के समानुपात में नकद शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(छ) समाप्ति पूरी होने पर ट्रस्ट सेबी और यूनिट धारकों को समाप्ति पर एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण योजना समाप्त की गई, योजना की समाप्ति के पूर्व आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम समाप्ति के लिए किया गया व्यय, यूनिट धारकों को वितरण को लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के विवरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र होगा ।

(ज) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, सेबी (म्यूचुअल फण्ड) विनियम 1993 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे ।

(झ) खंड 31 (छ) तक संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट होता है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी ।

(ञ) ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र विधिवत् रूप से भरे हुए पुनर्खरीद फार्म के साथ यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा । पुनर्खरीद के लिए प्राप्त यूनिट प्रमाण-पत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हो, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे ।

32. यूनिट धारकों को लाभ :

योजना की समाप्ति के समय पंजी, प्रारक्षित निधि और अधिक राशि के संबंध में योजना में उपस्थित सभी लाभ केवल उन्हीं यूनिट धारकों को प्राप्त होंगे जो योजना की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिए यूनिट के धारक रहे हों ।

33. उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार :

योजना के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना के उपबंधों के अर्थ-निर्धारण का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना की मूल संरचना से विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा ।

34. उपबंधों में ढील :

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना के निर्बाध और सहज संचालन के लिए सेबी को सूचित करके इस योजना के किसी भी उपबंध में ढील दे सकता है, परिवर्तित या संशोधित कर सकता है, बशर्ते किसी यूनिट धारक या यूनिट धारक वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो ।

उपबंध में परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा ।

35. योजना का यूनिटधारकों के लिए बाध्यकारी होना :

इस योजना की शर्तें के साथ-साथ समय-समय पर उनमें किए गए संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक यूनिट धारक और उसके माध्यम से दावा करनेवाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार बाध्यकारी होंगी, मानो वह योजना के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिए बाध्य हो ।

36. यूनिधारकों के अधिकार :

1. योजना के अधीन यूनिटधारक को योजना की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा योजना द्वारा घोषित लाभांशों में समानुपातिक अधिकार है ।

2. यूनिट धारक को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो तथा यूनिटधारक को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे ।

3. लाभांश की घोषणा किए जाने के 42 दिनों के भीतर यूनिट धारक लाभांश वारण्ट को प्रेषित किए जाने के हकदार होंगे।

4. यूनिटधारक को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अन्तर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है ।

कर छूट

प्रचलित आय कर अधिनियम के अन्तर्गत ।

उन मामलों में जहां पर निवेश करने वाली संस्थाएं निम्नलिखित हैं :

(1) धर्मार्थ और धर्मादा न्यास :

धर्मार्थ और धर्मादा न्यास की आय किसी भी वर्ष में आय कर से पूरी तरह मुक्त होगी यदि जिस वर्ष आय अर्जित की गई हो उसी वर्ष उसका 75% ट्रस्ट के किसी भी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया हो (आय कर अधिनियम की धारा 11) इस प्रकार धर्मार्थ और धर्मादा न्यास वर्ष की आय का 25% को भविष्य के वर्षों में धमार्थ और धार्मिक उद्देश्यों पर खर्च करने के लिए अलग रख सकते हैं और आय कर से बच सकते हैं । यदि इस प्रकार अलग रखी गई आय उस वर्ष की आय के 25% से अधिक हो तो उस पर आय कर लगेगा । ऐसी अधिक आय, आय कर से मुक्त होगी, यदि उसका आयकर अधिनियम की धारा 11 (2) (ख) में उल्लिखित "स्वीकृत प्रतिभूतियों" में निवेश किया गया हो । यूटीआई के यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियों में से एक हैं । कोई धर्मार्थ और धर्मादा न्यास जो कि अपनी अतिरिक्त निधियों का यूनिटों में निवेश करता है, आय कर से छूट के योग्य होगा।

आय कर अधिनियम की धारा 13 के अनुसार आय कर अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत कर में छूट के लिए योग्य एक शर्त यह है कि ट्रस्ट के धन और अन्य निधि का स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहिए । यूटीआई की यूनिटें स्वीकृत प्रतिभूतियों में से एक हैं ।

(2) धारा 23 ए ए में दर्शायी गयी कोई भी संगठित निधि/अन्य संस्थाएं : से प्रचलित कर विधि के अनुसरण में होगी ।

स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं होगी

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 अथवा 12 अथवा 10(22) अथवा 10(22 ए) अथवा 10(23) अथवा 10(23 ए ए) या 10 (23 सी) के अन्तर्गत आने वाली पात्र संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रारूप में घोषणा किए जाने के आधार पर उनसे स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी ।

उपर्युक्त को छोड़कर अन्य संस्थाओं के मामले में स्रोत पर कटौती प्रचलित कर विधि के अनुसार होगी ।

धन कर

वित्तीय आस्तियां जैसे शेयर और भारतीय यूनिट ट्रस्ट और अन्य म्यूच्युअल फण्डों के यूनिट धन कर देयता से मुक्त हैं।

टिप्पणी : सांविधिक निगमों यथा आईडीबीआई और ऐसी ही अन्य संस्थाओं के संबंध में आयकर अधिनियम और धनकर अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ/छूट, अन्य बातों के साथ साथ उन्हें संचालित करने वाले विशेष अधिनियमों, यदि कोई हों, के प्रावधानों के अनुसरण में, संचालित होगी।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारत स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल चेंबर्स, बी विंग, नरीमन पाइंट, बम्बई-400021 में स्थित है।

अभिरक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत सभी योजनाओं/निधियों/प्लानों से संबंधित सम्पत्तियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अभिरक्षा खाते में धारित करें जो अभिरक्षकों तथा उनके मान्य ग्राहकों की आस्तियों से अलग हो।

अभिरक्षकों का यह प्रयास होगा कि वे योजनाओं/निधियों/प्लानों की सम्पत्तियों को ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत करें तथा वे उनकी सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करें। जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अन्तरण एवं लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर-विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा। अभिरक्षक सभी सूचनाएं, रिपोर्टें अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/निधियों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगे।

लेखा परीक्षक

मैसर्स एस० के० मित्तल एण्ड कं०, ई/29, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट 2, नई दिल्ली 110049 और मैसर्स एस० के० कपूर एण्ड कं०, 16/98 एल० आई० सी० बिल्डिंग, दी माल, कानपुर 208001 को विकास बैंक द्वारा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

निवेशकों की शिकायतें

ट्रस्ट की विभिन्न 59 योजनाओं में 48 मिलियन से भी अधिक निवेशक हैं। जुलाई 1994 से मार्च 1995 तक की अवधि के लिए प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या और जिनका निवारण किया गया उनकी योजनावार संख्या नीचे दी गई है :—

	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन शिकायतें	निवारणाधीन शिकायतों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
सतत खुली योजनाएं				
सी० सी० एफ०	511	455	56	10.96
सी० जी० जी० एफ०	10621	9611	1010	9.51
सी० जी० एस०	775	566	209	26.97
सी० आर० टी० एस०	130	42	98	67.69
गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान 94	1163	808	355	30.52
एच० यू० एस०	263	136	127	48.29
आर० बी० पी० 95	84	1	83	98.81
राजलक्ष्मी यूनिट योजना	2501	1812	689	27.55
एस० सी० यू० पी०	326	233	93	28.53
यू० लिप०	7533	5394	2139	28.40
यू० एस० 64	113576	102440	11138	9.80
कुल	137483	121498	15985	11.63

1	2	3	4	5
नियतकालीन योजनाएं				
सी० जी० यू० एस० 91	13474	13314	160	1.19
डी० आई० यू० पी० 93	4155	3794	361	8.89
डी० आई० यू० एस० 90	3203	3142	61	1.90
डी० आई० यू० एस० 91	2778	2708	70	2.52
डी० आई० यू० एस० 92	1448	1388	60	4.14
जी० सी०जी० आई०	2143	1157	986	46.01
जी० आई० यू० एस० पूल	1494	1200	294	19.68
जी० एम० आई० एस० 91	7053	6787	266	3.77
जी० एम० आई० एस० 92	3094	2950	144	4.65
जी० एम० आई० एस० 92 (II)	4546	4053	493	10.84
जी० एम० आई० एस० बी 92	2700	2504	196	7.26
जी० एम० आई० एस० बी० 92 (II)	5315	5188	127	2.39
जी० एम० आई० एस० बी० 92	2700	2504	196	7.26
जी० एम० आई० एस० बी० 92 (II)	5315	5188	127	3.39
ग्रैंड मास्टर	6825	6197	628	9.20
आई० यू० एस० 82	39	15	14	48.28
आई० यू० एस० 85	11	9	2	18.18
मास्टर ग्रोथ	26957	25265	1692	6.28
एम० इ० बी० 91	9272	8462	810	8.74
एम० इ० पी० 92	26809	25868	941	3.51
एम० इ० पी० 93	5371	4900	471	8.77
एम० इ० पी० 94	8636	7805	931	8.50
एम० इ० पी० 95	17	13	4	23.53
मास्टर ग्रैम 92	114271	95823	18448	16.14
एम० आई० पी० 93	5774	5178	596	10.32
एम० आई० पी० 94	4435	4058	377	8.50
एम० आई० पी० 94 (II)	3150	2749	401	12.73
एम० आई० पी० 94 (III)	720	694	26	3.91
एम० आई० एस० पूल	2801	1874	927	33.10
एम० आई० एस० जी० 90 (I)	1664	1080	584	35.10

1	2	3	4	5
एम० आई० एस० जी० 90 (II)	22261	20945	1316	5.91
एम० आई० एस० बी० 93	3825	3577	248	6.48
एम० आई० एस० जी० 91	17839	16969	870	4.88
मास्टर प्लस 91	32818	28844	3974	12.11
मास्टर शेयर 86	23312	1105	22207	95.26
यू० जी० एस० 2000	18656	11401	7449	38.87
यू० जी० एस० 5000	6276	4671	1605	25.57
यू० एस० 92	7546	7385	161	2.13
विविध	1530	1119	411	26.86
योग	402202	334191	68011	16.91
कुल योग	538165	454570	93585	15.53

शिकायतों के निर्णयाधीन रहने के कारण :

(1) संग्रहणकर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना ।

(2) आवेदन पत्र में निवेशक का पता, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण ।

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना ।

(4) मार्ग में ही खो जाना ।

(5) डाक सेवा में विलम्ब ।

(6) अन्तरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना ।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा ।

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना ।

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार पर भेजा जाना ।

शिकायतों/आपत्तियों के प्रकार के अनुसार ट्रस्ट निवेशक/बैंक/रजिस्ट्रार को उक्त का निवारण करने हेतु लिखता है । सभी निवेशक निवेश का पूर्ण ब्यौरा देते हुए अपनी शिकायतें निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं ।

श्री पी० पी० शास्त्री
महाप्रबन्धक
केन्द्रीय निवेशक सम्पर्क कक्ष
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय बेसमेंट
द्वार क्र. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग
बम्बई-400020
दूरभाष : 2003960/2003953
फैक्स : (022) 2003855

रजिस्ट्रार

आवेदन पत्रों का प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात सेवाएं ट्रस्ट के बम्बई मुख्य शाखा कार्यालय द्वारा कामर्स सेन्टर-1, 28वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, कफ परेड, कोलाबा, बम्बई-400005 पर प्रदान की जाएंगी ।

यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि ट्रस्ट के पास आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग करने, प्रमाणपत्रों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशकों की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त क्षमता है ।

निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केन्द्रीय निवेशक सम्पर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट, द्वार नं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, बम्बई-400020 में उपलब्ध किया जाएगा :—

*यूटीआई अधिनियम ।
*सामान्य विनियम ।
*अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और संग्रहणकर्ता बैंकों के साथ किए गए करार ।

सामान्य

सेबी (म्यूच्युअल फण्ड) विनियम 1993 के अनुसार म्यूच्युअल फण्डों की सभी नियतकालीन योजनाएं सूचीबद्ध होनी चाहिए। हमारी इस योजना की विशेष प्रकृति और प्रयोजन के मद्देनजर रखते हुए हमने सेबी को आवेदन किया है कि वह आई.आई.एस. एफ.यू.एस. 95 को सूचीबद्ध करवाने से छूट प्रदान करें । यदि हमारा अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता है तो इस योजना के एनएसई और ओटीसीईआई में सूचीबद्ध करवाया जाएगा और यूटीआई विपणन योग्य लाट में प्रमाणपत्र जारी करेगा जो हस्तांतरणीय होंगे ।

हालांकि, निवेशकों को एक वर्ष के बाद पुनर्खरीद सुविधा उपलब्ध कराया जाना जारी रहेगा भले ही योजना सूचीबद्ध हो या न हो।

संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 9193 का विवरण

आरम्भ होने की तिथि : 1-3-1993

बिक्री बन्द होने की तिथि : 1-11-1993

अर्ध वार्षिक लाभांश : 16% प्र. व.
(जुलाई और जनवरी में)

संगृहीत राशि : 1276.87 करोड़ रु०

आवेदन पत्रों की संख्या : 518

संक्षिप्त वित्तीय सूचना (रुपये लाख में)

पूर्ववर्ती प्रति यूनिट सांख्यिकी	*1992-93	1993-94	1994-95 (अनुमानित)
(क) कुल आय	612.26	20681.77	23757.49
(ख) व्यय (संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान सहित)	200.04	@877.53	1910.00
(ग) शुद्ध आय (क—ख)	412.22	19804.24	21839.49
(घ) लाभांश 16% प्र० व० (अर्ध वार्षिक आधार पर देय)	0.00	19553.23	20745.00
(ङ) शुद्ध आस्ति मूल्य (प्रति यूनिट)			
अवधि के आरम्भ में	0.00	10.20	10.49
अवधि के अंत में	10.20	10.49	10.21
(च) मासिक शुद्ध आस्तियों के औसत का व्यय (%)	--	--	--
(छ) पोर्टफोलियो कुल विक्री दर	--	--	--
(ज) बाजार मूल्य			
(1) उच्चतम	--	--	--
(2) न्यूनतम	--	--	--
(झ) पुनर्खरीद मूल्य			
(1) उच्चतम	--	--	--
(2) न्यूनतम	--	--	--
(ञ) बिक्री मूल्य			
(1) उच्चतम	--	--	--
(2) न्यूनतम	--	--	--
(ट) अवधि के अंत में बकाया यूनिटों की संख्या (रु० लाख में)	2453.00	12768.74	12982.90

*1-3-93 से 30-6-93 की अवधि के लिए

व्यय	811.99
प्रावधान	65.63
	877.53

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : कामर्स केन्द्र-1, 28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, बम्बई-400005, दूरध्वनि 2181099/2181254 पूर्वी अंचल : 2 फेयरली प्लेस, 2 मंजिल, कलकत्ता-700001, दूरध्वनि : 2209391/2205322 दक्षिणी अंचल : यूटीआई हाउस 29, राजाजी सालै, मद्रास-600001, दूरध्वनि : 517101 उत्तरी अंचल : जीवन भारती, 13वीं, मंजिल, टावर 2, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, दूरध्वनि : 3329860/332858.

पश्चिमी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

अहमदाबाद : यूटीआई हाउस, मिथाकाली रेलवे पुल के पास, आश्रम रोड के समीप, अहमदाबाद-380009, दूरध्वनि : 403864 बड़ौदा : मंगलधनुष, चौथी और पांचवी मंजिल, ट्रान्सपेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390015, दूरध्वनि : 332481 भोपाल : 1ली मंजिल, गंगाजमुना कामर्सियल काम्पलेक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल 1, स्कीम 13, हबीब गंज, भोपाल-462001, दूरध्वनि : 558308 बम्बई (1) : यूनिट सं. 2, ब्लाक 'बी' जेवीपीडी शापिंग सेन्टर, गलमोहर क्रास रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), बम्बई-400049, दूरध्वनि : 6201995 बम्बई (2) : पर्सपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आन्ध्र बैंक के ऊपर, सेक्टर 17, वाशी, नई बम्बई-400703, दूरध्वनि : 7672607 बम्बई (3) लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196 जमशेदजी टाटा रोड, बैंकवे रिक्लेमेशन, बम्बई-400020, दूरध्वनि : 2850821/822/823, बम्बई (4) : श्रद्धा शापिंग आर्केड, पहली मंजिल, एस वी रोड, बोरीवली (पश्चिम), बंबई-400092, दूरध्वनि 8020521 बंबई (5) सागर बोनांजा, पहली मंजिल, खोत लेन, घाटकोपर (पश्चिम), बम्बई-400086, दूरध्वनि : 5162256, इन्दौर : सिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम जी रोड, इन्दौर-452001 दूरध्वनि : 22796 कोल्हापुर : अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511, केएच-1/2, 'ई' वार्ड दुब्बोलकर कोरनर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416001, दूरध्वनि : 657315/657325, नागपुर : श्री मोहिनी काम्पलेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, (किंग्सवे), नागपुर-440001, दूरध्वनि : 536893 नासिक : सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम. जी. रोड, नासिक-422001, दूरध्वनि: 72166 पणजी : ई डी. सी. हाउस भूतल, डा. ए बी मार्ग, पणजी, गोवा-403001, दूरध्वनि : 222472 पुणे : सदाशिव विलास, तीसरी मंजल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-4411005, दूरध्वनि : 325954 राजकोट : लल्लूभाई सेन्टर, चौथी मंजिल, लखाजी राजरोड, राजकोट-360001, दूरध्वनि : 35112 सूरत : भूतल, सैफी बिल्डिंग, डच्च रोड नेनपुरा, सूरत-395001, दूरध्वनि : 34550 ।

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

आगरा : सी ब्लाक, भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा-282002 दूरध्वनि : 350552 इलाहाबाद : यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड इलाहाबाद-211003 दूरध्वनि : 50521, अमृतसर : श्री द्वारका धीशजी काम्पलेक्स, किन्स. रोड, अमृतसर-143001 दूरध्वनि : 210367, चंडीगढ़ : जीवन प्रकाश, एलआईसी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017 दूरध्वनि : 543623, देहरादून, दूसरी मंजिल, 59/3; राजपुर रोड, देहरादून 248001, दूरध्वनि : 26720, जयपुर : आनन्द भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर 302001, दूरध्वनि : 232501, कानपुर : 16/79इ, सिविल लाईन्स कानपुर 208001, दूरध्वनि : 317278, लखनऊ : रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ 226001, दूरध्वनि : 232501, लुधियाना : सोहन पैलेस, 455, दि माल, लुधियाना 141001, दूरध्वनि : 400373, नई दिल्ली : गुलाब भवन (पिछला ब्लाक), दूसरी मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002, दूरध्वनि : 3318638/3319786 शिमला : 3, माल, पहली मंजिल, (जानकीदास एण्ड कं. डिपार्टमेन्ट स्टोर के ऊपर), शिमला 171002, दूरध्वनि : 4203, वाराणसी : पहली मंजिल, डी/58/2ए-1, भवानी मार्केट, रथयात्रा, वाराणसी 221001, दूरध्वनि : 54306/54262/54272 ।

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : विश्व व्यापार केन्द्र, चेंबर आफ कामर्स, केम्पेगोवडा रोड, बंगलोर 560009, दूरध्वनि : 2253739 कोचीन : जीवन प्रकाश, पांचवी मंजिल, एम जी रोड, एर्णाकुलम, कोचीन : 682001, दूरध्वनि : 362354, कोयम्बतूर : 82, चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, राजकीय आर्टस् कालेज रोड, कोयम्बतूर 641018, दूरध्वनि : 214973, हुबली : कालबर्गी मेंशन, 4 थी मंजिल, लेमिंगटन रोड, हुबली5800-200, दूरध्वनि : 363963, हैदराबाद : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद 500001, दूरध्वनि : 511095 मद्रास : यू.टी.आई. हाउस, 20, राजाजी सलाई, मद्रास 600001, दूरध्वनि : 517101 मदुराई : तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परनकुन्द्रम रोड, मदुराई 625001, दूरध्वनि : 38186, मंगलोर : सिद्धार्थ बिल्डिंग, 1ली मंजिल, बालमत्ता रोड, मंगलोर-575001, दूरध्वनि : 426290, तिरुअनंतपुरम : स्वस्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम. जी. रोड, तिरुअनंतपुरम 695001, दूरध्वनि : 331415 त्रिची : 104, सलाई रोड, वोरेयूर, तिरुचिरापल्ली 620003, दूरध्वनि : 27060, त्रिचूर : 28/876/77, वेस्ट पल्लिथाम्म बिल्डिंग कारुणाकरण नंबियार रोड, राउंड नार्थ, त्रिचूर 680020, दूरध्वनि : 231259, विजयवाड़ा : 27-37-56, बंदर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा 520002, दूरध्वनि : 74434 विशाखापट्टनम् : रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47-15-6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापट्टनम् 530016, दूरध्वनि : 548121 ।

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : आशा निवास, 246, लेविस रोड, भुवनेश्वर-751014, दूरध्वनि : 56141 कलकत्ता : 2 और 4, फेयरली प्लेस, कलकत्ता 700001, दूरध्वनि : 2209391/2208-322 दुर्गापुर : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर 713216, दूरध्वनि : 4831 गुवाहाटी : जीवन दीप, मोतीलाल नेहरू रोड, पानबाजार, गुवाहाटी 781001, दूरध्वनि : 543131 जमशेदपुर : 1-ए, राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंजिल, बिस्तूपुर, जमशेदपुर 831001, दूरध्वनि: 425508 पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, एक्जिबिशन रोड, पटना 800001, दूरध्वनि : 235001 सिलीगुड़ी : जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सारनी, सिलीगुड़ी-734401, दूरध्वनि : 23275,

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS

Bombay, the 18th November, 1995

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of the 20th April, 1946 [as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February, 1990] the following list for the month ended September, 1995 is hereby advertised of securities lost etc., in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and that the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with the Chief Accountant, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government & Bank Accounts, Central Debt Division, Bombay.

The list has been divided into two parts : List 'A' being securities now advertised for the first time and list 'B' the list of securiries previous advertised.

LIST 'A'

No. of Security	Value in Rs./Gms.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
		9% Relief Bonds (Trivandrum Circle)			
1. TR-000337	2,00,000/-	P.C. Thomas	19-1-90	P. C. Thomas	File No. LN 05-02-168 Gen. Mgrs. Orders dated 21-9-95
		NDGB 1980 (Madras Circle)			
		'A' Series			
2. MS-034168	10 gms.	P. Kuppusamy Pillai (deceased)	On maturity only	K. Rani Ammal	J.M.D.Y. No. 122 dated 28-8-95
MS-036767	80 gms.				

LIST 'B'

No. of Security	Value Rs./Gms.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate/ payment of discharge value	No. and date of order issued	Date of publication under P.D. Act 9 of 1944 of list in which the security was first published
1	2	3	4	5	6	7
			Gold Bonds 1998 (Bombay Circle)			
1. BY. RBL 000051	580 gms.	Deepak Srivastava and Kamal Kishen	(On maturity only)	Deepak Srivastava and Kamal Kishen	Case No. 20-04-2008 Gen. Mgrs. Orders dated 10-7-95 C.O. Diary No. 21 dated 12-7-1995.	—
2. BY. SBL 000002	499 gms.	Sanjay K. Srivastava and Prakash K. Srivastava	(On maturity only)	Sanjay K. Srivastava and Prakash K. Srivastava	Case No. 20-04-1996 Gen. Mgrs. Order dated 12-7-95 C. O. Diary No. 23 dated 12-7-95	—

D. C. PADALKAR
(P. Chief General Manager)

URBAN BANKS DEPARTMENT

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 12th October 1995

No. URB. BR. 129/16-26-00/95-96.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 24 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949), and in supersession of its Notification UDB. BR. No. 763/B.1-84/85 dated 29th March 1985, the Reserve Bank of India hereby specifies that on and from 14th October 1995, for the purpose of Section 24 of the said Act, unencumbered approved securities (hereinafter referred to as securities), shall be valued in the manner following namely ::—

(a) securities held on 31st March, 1995, so long as they are held continuously and are still in the bank's portfolio shall be valued by adopting the same system of valuation as for the balance sheet as on that date. The valuation shall remain unchanged throughout the financial year immediately following. Further, securities acquired from April 1, 1995 ownwards upto March 31, 1996 shall be valued at face value or cost price, as on the date of acquisition, whichever is lower. These securities shall be shown at the same value till these securities remain in the portfolio of the bank or till March 31, 1996 whichever is earlier.

(b) securities held on 31st March every year thereafter so long as these are held continuously and are still in the bank's portfolio shall be valued by adopting the same system of valuation as for the balance sheet as on that date. The valuation shall remain unchanged throughout the financial year immediately following. However, the securities acquired during the ensuing financial year shall be valued at face value or cost price, as on the date of acquisition, whichever is lower. These securities shall be shown at the same value till these securities remain in the portfolio of the bank or till the end of financial year, whichever is earlier.

S. A. HUSSAIN,
Executive Director

DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS & DEVELOPMENT

Bombay-400 005, the 30th October 1995

No. BC. 127/12-01-001/95-96.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) read with proviso to sub-section (1) of Section 42 the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in partial modification of circular DBOD No. Ret. BC. 108/C. 96/(Ret)/89 dated 11th April 1989, the Reserve Bank of India hereby directs that with effect from the fortnight beginning October 28, 1995 any increase in liabilities under Non-Resident (External) Rupee (NRE) deposit Accounts over the level outstanding as on October 27, 1995 shall be exempt from maintenance of the average Cash Reserve Ratio (CRR). Banks will, however, continue to be required to maintain the average CRR of 15.0 per cent on liability under NRE deposit upto the level as on October 27, 1995.

2. The exemption stipulated obove shall be subject to the effective CRR maintained by a scheduled commercial bank at not less than 3 per cent on its total net demand and time liabilities.

B. K. PAL,
Executive Director

No. BC.128/12-01-001/95-96.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) read with proviso to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in partial modification of its Notification DBOD No. BC. 5/12-01-001/94-95 dated January 11, 1995, the Reserve Bank of India hereby specifies that with effect from the fornight beginning October 28, 1995, any increase in the liabilities under Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee (NRNR) Deposit Accounts over the level outstanding as on October 27 1995 shall be exempt from maintenance of the averange Cash Reserve Ratio (CRR). Banks will, however, continue to be required to maintain the average CRR of 7.5 per cent of liability under NRNR deposit upto the level as on October 27, 1995.

2. The exemption stipulated abeove shall be subject to the effective CRR maintained by a scheduled commercial bank at not less than 3 per cent on its total net demand and time liabilities.

B. K. PAL,
Executive Director

UCO BANK

HEAD OFFICE

PERSONNEL DEPARTMENT

Calcutta-700001, the 30th October 1995

Sl. No. OSR/1/1995.—In exercise of powers cofenrred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of UCO Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulation further to amend the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979.

Short title and commencement :

(i) These Regulations may be called the UCO Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1995

(ii) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

(iii) Existing Regulation 49 (ii) may be substituted as follows :

Text of Existing Provision	Text of amended Regulation
During the joining time an Officer shall be eligible to draw the emoluments at the place of the old or new posting, whichever are less.	During the joining time an officer shall be eligible to draw the emoluments as applicable to the place of transfer.

B. VENKATARAMAN
General Manager
(Personnel)

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 20th October 1995

No. UT/DBDM/329-A/SPD711/95-96.—The Offer Document of the Monthly Income Plan 95(II), made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the meeting held on 16th August 1995 is published herebelow.

A. G. JOSHI,
General Manager
Business Development & Marketing.

UNIT TRUST OF INDIA
MONTHLY INCOME PLAN 1995 (II)
OFFER DOCUMENT

Offer open from August 07, 1995 to August 28, 1995

The Monthly Income Plan 1995 (II) has been formulated under section 19(1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act 1963(52 of 1963), in relation to the unit scheme, the Monthly Income Scheme 1995 (II) made under section 21 of the said Act by the Board of Trustees of UTI.

* The plan particulars have bee nprepared in accordance with Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations, 1993, and the units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

Plan Objective

This is an Income oriented Plan. The Plan aims at meeting the needs of investors by providing either regular income on a monthly basis or cumulation of income over a period of 5 years

Highlights

* A five year Plan.
* Open to resident adult individuals/mentally handicapped persons/minors/HUFs/Trusts/Societies/Regd. Co.Op. Societies Bodies Corporate including Non-profit marking Companies (under Section 25 of Companies Act 1956)
* The Trust proposes to pay minimum targeted divident @ 13.5 p.a. for the first year by means of postdated monthly warrants. Dividend for the subsequent years will be declared before the end of the preceding years and paid monthly.
* Post dated monthly dividend warrants upto March 1996 will be given in advance.
* There is also an option to cumulate returns instead of monthly dividend.
* Repurchase allowed after 1st September 1996 at NAV based repurchase price.
* Scope for capital appreciation as a part of investment will be in equities.
* Tax benefits U/S 80L and U/S 48 & 112 of Income Tax Act, 1961 on dividends and capital gains from capital appreviciation.

Risk Factors

* Investments in units of the Plan are subject to market risks and the NAV of the Plan may go up or down depending on market forces.
* In the event of actual income not being sufficient to pay a minimum targeted return of 13.5% p.a. in the first year members may suffer loss of unit capital to that extent.
* Performance of the previous Schemes/Plans of the Trust not necessarily an indication of future results. There can be no assurance that the objective of the Plan will be achieved.
* Monthly Income Plan '95 (ii) is only the name of the Plan and does not in any manner indicate the quality of the Plan. Investors are urged to study the terms of the offer carefully before they invest in the Plan.

Management Perception of Risk Factors

* The Trust has been in operation for over 30 years and has built up expertise in managing funds of around Rs. 61,000 crores from over 48 million investors.

Table below indicates performance of thirteen Monthly Income Plans of the Trust that have matured till date.

Table

Sr. No.	Plans	Annual Dividend Paid	Capital Appreciation (%) on maturity		Bonus (%)
		Monthly	Assured	Actual	
1.	MIS-1	12%P.A.	—	6	—
2.	MIS-2	12%P.A.	-	7	—
3.	MIS-3	12%P.A.	—	8	—
4.	MIS-4	12%P.A.	—	8	—
5.	MIS-5	12%P.A.	—	10	—
6.	MIS-6	12%P.A.	2	5.5	1.5
7.	MIS-7	12%P.A.	2	6	1.5
8.	MIS-8	12%P.A.	2	7	1.5
9.	MIS-9	12%P.A.	2	9	1.75
10.	MIS-10	12%P.A.	2	9	2.00
11.	MIS-11	12%P.A.	2	11	2.25
12.	MIS-12	12%P.A.	2	23	2.25
13.	MIS-13	12%P.A.	2	40	3.00

Constitution of UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under UTI Act, 1963 with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India.

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees

1. Dr. S.A. Dave . Chairman, Unit Trust of India.
2. Shri S-H. Khan . Chairman, Industrial Development Bank of India.
3. Dr. Arvind Virmani Advisor, Policy Planning, Govt. of India, Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance.
4. Shri N. S. Sekhsaria Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
5. Shri P. R. Khanna . Chartered Accountants.
6. Kum. I. T. Vaz . Executive Director, Reserve Bank of India.
7. Shri J. S. Salunkhe . Chairman, Life Insurance Corporation of India.
8. Shri N. Vaghul . Chairman, ICICI Ltd.
9. Shri J. V. Shetty . Chairman & Managing Director Canara Bank

DETAILS OF THE MONTHLY INCOME

SCHEME 1995 (II)

[MIS '95 (II)]

I. Short Title and Commencement

(1) This Scheme shall be called the Monthly Income Scheme 1995 (ii) [MIS'95 (II)].

(2) The Scheme shall be for a period of five years i.e. from 1st September *1995* to *31st August, 2000.*

(3) Units will be on sale from 7th August, 1995 to 28th August, 1995 for 22 days.

Provided, however the Executive Committee of the Board of Trustees of the Unit Trust/Chairman may suspend the sale of units under the Scheme at any time in circumstances like war, *disruption of trading in Stock Exchanges and other* socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

II. Definitions :

In this scheme and plan made thereunder unless the context otherwise requires :

(a) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(b) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963; (52 of 1963).

(c) "Alternate applicant" in case of minor means the parent other than the parent who has made the application on behalf of minor.

(d) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and plan made thereunder who is not a minor and shall include the alternate applicant mentioned in the application from when units are sold for the benefit of a mentally handicapped person and makes an application under Clause III of the Plan.

(e) "Eligible institution" means an eligible trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(f) "Member" used as an expression under the Scheme and Plan made thereunder shall mean and include the applicant who has been alloted unts under the Scheme.

(g) "Mentally handicapped person" means any individual who suffers from mental disability of such a nature which prevents him from carrying out normal activities of life and is so certified by any Registered Medical Practitioner.

(h) "Number of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding.

(i) "Person" shall include an eligible institution as defined above.

(j) "Recognised stock exchange" means a stock exchange, which is for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulations) Act, 1956 (42 of 1956).

(k) "Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrars under the Scheme from time to time.

(l) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43 (1) of the Act.

(m) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

(n) "Society" means a society established under the Societies Registration Act of 1860 or any other society established under any State or Central law for the time being in force.

(o) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(p) "Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being.

(q) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(r) all other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations.

(s) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa.

The other provisions of the scheme are available from page No. 9 to page No. 11 :

DETAILS OF THE MONTHLY INCOME PLAN 1995 (II) [MIP '95 (II)] FOR MULATED UNDER THE MONTHLY INCOME SCHEME 1995 (II) [MIS '95 (II)] ARE GIVEN HEREBELOW.

I. Defination

The words not defined in the Plan and defined in Scheme and the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them in the Scheme/Act/Regulations.

II. Face value of each unit

The face value of each unit issued under the scheme shall be ten rupees.

III. Application for units

(1) Application for units may be made by residents only viz :

(a) individuals either singly or with another individual on joint/either or survivor basis.

(b) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.

(c) an eligible institution as defined under the scheme including Private Trust being irrevocable trust and created by an instrument in writing.

(d) an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person.

(e) a society as defined under the scheme.

(f) a registered co-operative society.

(g) other bodies corporate including non profit making companies formed u/s. 25 of the Companies Act, 1956 but excluding banks and other companies registered under the Companies Act, 1956.

(h) Hindu Undivided Family.

(2) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

IV. Minimum amount of investment

Application shall be made for a minimum of 200 units and thereafter in multiples of 100 units under both the options—Monthly & Cumulative. There will be no maximum limit.

An applicant should submit only one application for the total no. of units required. Two or more applications in single or joint names will be deemed to be multiple applications if sole or first applicant is the same. The Trust reserves the right to reject in its absolute discretion all or any such multiple applications.

In case of investment of Rs. 50,000/- and above, the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I T Circle address if he/she is having so.

V. Minimum target amount to be raised :

Amount of Rs. 100 crores is targeted to be raised under the scheme. Oversubscription, if any, will be retained by the Trust.

The Trust shall by A/c Payee cheque/refund order refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units the entire amount collected under the scheme, if sixty percent of the said targeted amount is not subscribed.

In the event of failure to refund the amounts within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay the interest to the applicants at a rate of 15% per annum on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of units.

VI. Limitation on expenses :

Initial issue expenses may not exceed 6% of the funds raised under the scheme. Initial issue expenses of the scheme is estimated to be as under :

Expenses	Percent
Printing & Postage	1.50
Publicity & Marketing	1.50
Commission to agents	1.25
Administrative Expenses	0.50
Registrars Charges	0.50
Miscellaneous	0.75
Total	6.00

Thups for every Rupee invested by an investor not less than 94 paise will be invested in the Scheme.

In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average weekly net asset value during any accounting year. Estimated recurring expenses are as under :

Expenses	Percent
Administrative Expenses	1.00
Custodial Fees	0.50
Development Reserve Fund	0.10
Staff Welfare Trust	1.10
Accounting Fees	0.20
Registrars Fees	0.50
Other Expenses	0.60
Total	3.00

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issue expenses and 3% of the weekly average net asset value during any accounting year for recurring expenses, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993, further administrative expenses, contribution to Development Reserve Funds and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 1.25% of the weekly average NAV of the plan during the accounting year.

VII. Mode of Payment

(1) (i) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft.

Where applications are submitted at UTI branch offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the branch office at which the application is tendered is situated.

Provided however that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft for number of units applied after deducting therefrom chaurges payable for bank draft.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the cheque is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre.

If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre within such time as may be deemed reasonable by the Trust. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant shall be issued such lower number of units as could be issued under the Scheme, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(2) (a) Right of the Trust to accept or reject application :

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the Scheme and the Plan made thereunder. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme and the Plan made thereunder shall be final.

(b) Incomplete Application Liable for Rejection

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum.

Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(3) Applicant bound to comply with requirements under the Scheme and the Plan made thereunder before being issued units :

Persons applying for units under the Scheme and the Plant made thereunder shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust such as Trust deed, Resolution by the Managing Body to buy units in case of application from Trusts, Birth Certificate in case of application on behalf of minor, Certificate from the Medical Practitioner if application is for the benefit of mentally handicapped, etc. depending on the category of the investors. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust.

Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the membership cancelled and the name deleted from the register of members.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VIII. Sale of Units:

The sale price of units during the period of offer shall be at par.

The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall as soon thereafter as possible, issue to the applicant Membership Advice evidencing that he has been admitted as a member in the scheme and the plan made thereunder. A Membership Advice issued by the Trust to the eligible institution or body corporate shall be made out in the name of the eligible institution/body corporate. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the Membership Advice so sent.

The Trust shall endeavour to send the Membership Advice not later than 10 weeks from the date of closure of sale of units under the Plan.

IX. Repurchase of units:

(1) There shall be a one year lock-in-period i.e. upto 31st August, 1996. There shall be no repurchase during the first year of the scheme and plan made thereunder. The repurchase price based on the NAV of units (on historic basis) and shall be declared initially once every three months during the first year (for settlement of claims cases). On completion of lock-in period i.e. 31-08-96, the NAV based repurchase price shall be declared once every month commencing from 01-09-1996.

(2) Monthly Income option: The Trust will offer to repurchase the units from the second year of the Scheme and the Plan made thereunder. Repurchase price will be based on historic NAV. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 5% of the NAV per unit. Repurchase will be effected on receipt of the Membership Advice alongwith a request letter on plain paper duly signed by all the holders and duly witnessed by another person giving his name, occupation and address. All the units indicated in the advice should be tendered for repurchase.

No partial repurchase of units shall be permitted.

The member while making an application for repurchase shall be bound to surrender all the unpaid Income Distribution Warrants remaining outstanding upto and inclusive of the month of repurchase to the Trust.

The Trust shall not on accepting the Membership Advice along with the request letter for repurchase be bound to pay any Income Distribution on the units for the month of acceptance or future months nor shall any interest be payable on the repurchase proceeds.

All the documents and the unpaid Income Distribution Warrants if any, received shall be retained by the Trust for cancellation.

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clauses, the Trust shall be at liberty while repurchasing the units, in the event of failure of the member to surrender the Income Distribution Warrants which are then outstanding to deduct from the repurchase proceeds such amount representing the amount of the Income Distribution Warrant payable in future as have not been surrendered and pay the balance to the member. On acceptance of the Membership Advice and the request letter for repurchase by the Trust, the members' right to receive future Income Distribution including the Income Distribution for the month of acceptance will cease and the Trust shall have a claim on the amount/s represented by such outstanding Income Distribution.

(4) A member to be entitled to a full year's Income Distribution paid out on a monthly basis should have held the units for a full year. A member who holds units for a part of the year shall be entitled to receive proportionate Income Distribution for the period of holding which shall always be full English Calendar months of holding, part of a month of whatever length being always ignored.

(5) In the event of the death of the member and on surrender to the Trust by the legal representative or nominee of the Membership Advice, the request letter for repurchase and the unpaid Income Distribution Warrants outstanding to the deceased member, the Trust shall on compliance with the requirements laid down in connection with the recognition of claim, repurchase the units in the manner prescribed in sub clause (2) and (3) hereinabove in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust and pay the outstanding proportionate monthly income distribution upto the date of the settlement of the claim.

(6) Payment for units repurchased by the Trust after the deductions if any, shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

(7) Cumulative Option

The Trust shall in case of units issued under Cumulative option offer to repurchase the units from the second year of the Scheme and the Plan made thereunder. Repurchase price will be based on historic NAV. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 5% of the NAV per unit.

No partial repurchase will be permitted.

(8) The repurchased units will not be reissued.

(9) The basis of computation of repurchase price shall be subject to Regulations, Guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.

X. Restrictions on repurchase of units:

Notwithstanding anything contained in any provision of the scheme and the plan made thereunder, the Trust shall not be under any obligation to repurchase units:

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Trust) when the register of members is closed in connection with the annual closing of the books and accounts.

Explanation:

For the purpose of this scheme and the plan made thereunder the term "working day" shall mean a day which has not been either

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices; or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

XI. Publication of repurchase price:

The Trust shall as early as possible after determining the repurchase price publish it in leading daily newspapers.

XII. Membership Advice:

No Unit/Membership Certificate shall be issued to a member in respect of his units issued under the scheme and plan made thereunder. They will, however, be given a Membership Advice evidencing admission as a member in the scheme and the plan made thereunder.

XIII. Manner of preparation of Membership Advice:

The Membership Advice shall be in such form as may be decided by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

XIV. Exchange of Membership Advice and procedure when advice is mutilated, defaced, lost etc.:

For the purpose aforesaid the member under the Scheme and the plan made thereunder shall follow such rules/guidelines/ procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

XV. Register of members:

The following provisions shall have effect with regard to the registration of members—

(1) A register of the members shall be kept by the Trust and there shall be entered in the register inter alia:

(a) the names and addresses of the members;

(b) the number of the Membership Advice and the number of units held by every such person; and

(c) the date on which such person became the holder of the units standing in his name.

(2) Any change of name or address on the part of any member shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly. Any change pursuant to the death of an applicant who had applied for units for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person shall be entered in the register accordingly.

(3) Except when the registers are closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any member without charge.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 45 days in any one year. The Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspapers or other media.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

XVI. Application by and registration of eligible institutions, minors, an applicant for the benefit of a mentally handicapped person etc.:

(1) Eligible institutions, body corporate, and societies (including co-operative societies) may be registered as members.

(2) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided, in sub-section (2A) of Section 21 of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minor. The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult in the application form without any further proof.

(3) Where an application is made by an individual for the benefit of another individual who is mentally handicapped person, the Trust shall act on the statements and the certificates furnished and in doing so the Trust shall be deemed to be acting in good faith. The Trust shall be entitled to deal only with the applicant and in the event of his death, the alternate applicant for all practical purposes and any payment in respect of the units by the Trust to the said applicant or the alternate applicant shall be a good discharge to the Trust.

(4) Eligible institutions, bodies corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandum and articles of association, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

XVII. Receipt by member to discharge Trust:

The receipt of the member for any moneys paid to him in respect of the units represented by the scheme and the plan made thereunder shall be a good discharge to the Trust.

XVIII. Nomination by members:

(1) Members may exercise the right to make or cancel a nomination to the extent provided in the regulations.

(2) Members being either parent or lawful guardian on behalf of a minor and an eligible institution, societies, bodies corporate, HUF and an applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person shall have no right to make any nomination.

Non-Resident Indians can be nominated as per the guidelines issued by the RBI from time to time.

XIX. Death of a member:

(1) In case of death of either of the joint members of units, the survivor shall be the only person recognised by the Trust as having title to or interest in the units represented by the scheme and plan made thereunder. Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survivor in respect of the said units.

(2) In the event of death of a single member, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units.

(3) In the absence of a valid nomination by a single member, the executor or administrators of the deceased member or a holder of succession certificate issued under part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units.

(4) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death of a member(s) may, upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(5) In the event the nominee is a person eligible to hold units then at the desire of the said nominee, the nominee may instead of receiving the repurchase value of all units to the credit of the deceased shall be permitted to hold the units as a member and continue to remain registered as a member and shall be issued a Membership Advice in his name indicating units so desired to be held subject to the conditions regarding minimum holdings.

(6) In the event of the death of the applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person, the Trust shall deal with the alternate applicant as if he were the applicant. Further, in the event of the death of the applicant or the alternate applicant, as the case may be, the existing applicant shall appoint another individual as his alternate applicant.

(7) In the event of death of a single member during the lock in period the Trust shall settle the claim after compliance with necessary formalities and pay the legal heir/nominee the repurchase value as detailed in the relevant clause(s) or arrived at by any other method as may be decided by the Trust.

XX. Income Distribution :

(1) The member shall have the right to exercise an option to participate in the Monthly Income option or the Cumulative Option. This shall be done at the time of investment in the scheme and the option once exercised will be final. In the absence of any specific option being exercised by the applicant it shall be treated as Monthly Income Option.

Monthly Income Option

Not less than 90— of the profits earned during the year in respect of the scheme and plan made thereunder shall be distributed to the members by way of dividend.

Before declaring dividend in the Plan, the Trust shall provide for depreciation on investments and also make a provision for bad and doubtful debts, to the satisfaction of its auditors and shall disclose the method of depreciation in the notes to the accounts. The Trust proposes to pay minimum targeted dividend @ 13.5% p.a. for the first year by means of post dated monthly warrants.

Based on the investment objectives and policies of the Plan as also prevailing and likely yields from the instruments in which funds of the scheme will be invested, the scheme would be able to generate sufficient returns to pay minimum targeted dividend @ 13.5% p.a. payable monthly in the first year for the investors. This minimum targeted return has been arrived keeping in view the rates prevailing for fixed income investments in which bulk of the investments under the plan are to be made viz. :

Government Securities—14

Corporate Debentures—16-16.5—

Rate of dividend for each subsequent year shall be decided on the basis of the income of the scheme and relevant factors and shall be declared before the end of the previous year and paid monthly. The Trust shall endeavour to despatch the Income Distribution Warrants within 42 days from the date of declaration of the rate of dividend.

(2) The income distribution for each month shall be made payable at the beginning of the following month and will be paid by the Trust under such prepayment arrangements by means of Income Distribution Warrants or any instrument encashable at par at the branches of such bank as the Trust may specify. Such of those units which have been sold under an application accepted by the Trust on or before the 15th day of a month shall be eligible for income distribution for the whole month and the units sold after the 15th day of the month shall be eligible for income distribution for that half month.

The entitlement of dividend will be as follows :

07-08-1995 to 15-08-1995 Full month's dividend

16-08-1995 to 28-08-1995 Half month's dividend

(3) The Income Distribution for the period ending December 31st, 1995 will be sent by one Income Distribution Warrant dated 1st October, 1995 and shall be forwarded to the member along with the 3 post dated Income Distribution Warrants upto March 31, 1996.

The warrants for the period April 1996 to August 1996 will be sent separately in April 1996 after taking into account any changes in tax laws.

The Trust however reserves the right to forward post dated Income Distribution Warrants for such of the members as may be applicable in such manner and for such periods as the Trust may determine.

(4) Subject to the provisions of sub-clause (3), the warrants for payment of income distribution on a monthly basis will be sent to the member in advance.

The warrants will be so dated that the member shall encash each one of the warrants on becoming mature for payment. Every warrants shall have validity for three months.

The Trust shall not be bound to pay interest in the event of any of the warrants not reaching the members before the expiry of the validity period or in the event of their becoming stale.

(5) In the event of a repurchase which shall always be in full, the member upon non-surrender of unpaid warrants shall be entitled to encash these warrants which are due for the subsequent months and remaining in the custody of the members on the dates of maturity and the amount represented by such Income Distribution Warrants shall be deducted from the repurchase proceeds.

(6) In the event of the death of the member if the nominee is eligible to hold units and desires to continue to hold the units, then the nominee shall be bound to return all the unencashed warrants for the future months for necessary rectification. However, such a nominee desiring to continue to hold the units shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased member to those in favour of the newly admitted members.

(7) In the event of death of an applicant where the application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the alternate applicant shall be bound to return all the unencashed Income Distribution Warrants for future months for necessary rectification. However, such alternate applicant shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased applicant to those in favour of the newly admitted applicant.

(8) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clause, the Trust reserves its right to make the Income Distribution on a quarterly, half yearly or annual basis as the case may be, should the reasons of expediency, cost, interest of members and other circumstances make it necessary for the Trust to do so. In such an event the Trust shall notify the members by a publication in atleast two leading English Language daily newspapers. No member shall have a right to claim Income Distribution on monthly basis after the Trust makes a notification as above.

Cumulative Option : In case an applicant opts for the Cumulative Option, one consolidated Income Distribution Warrant dated 01-10-95 will be issued for the period upto August 31, 1995. There will be no further income distribution under this option till termination of the scheme and the plan made thereunder. The income earned will be ploughed back and will be reflected in the Net Asset Value.

As a matter of precaution against possible fraudulent encashment of Income Distribution Warrants due to loss/misplacement, applicants are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature of account and account number, name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgement receipt portion for record. Income Distribution Warrants will then be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent to them. Members may deposit the Income Distribution Warrants in the said bank for credit of their account. In case the complete bank particulars are not given, Income Distribution Warrants will be issued in the name of the member.

DETAILS OF THE MONTHLY INCOME SCHEME 1995 (II) [MIS 1995 (II)] CONTINUED

III. Valuation of assets pertaining to this Scheme :

(a) Listed securities will be valued at colsing prices on the Bombay Stock Exchange on the date of valuation. Those not listed on Bombay Stock Exchange will be valued at closing prices on respective principal Stock Exchanges. If the securities have not been traded for more than three months prior to the date of valuation, then the Trust may value the securities in the manner considered by it to be fair so as to reflect its true realisable value in accordance with method of valuation approved by the Board.

(b) Money Market instruments and other fixed income bearing instruments, including debentures, will be valued on the basis of current yields and maturity value of comparable instruments or in the manner as may be considered to be fair by the Trust.

(c) All other assets, not capable of being valued as aforesaid, shall be valued at their book value or in a manner as may be considered fair by the Trust.

(d) Securities not listed shall be afir valued in accordance with the policy laid down by the Board from time to time. Valuation of assets will be subject to Regulations and Guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.

IV. Determination of Net Asset Value (NAV) :

The Net Asset value of the units issued under the scheme shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and subtracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. This NAV (on historic basis) shall be published atleast in two daily newspapers initially once every three months during the first year. On completion of lock-in-period i.e. 31-08-96, the NAV shall be declared once every month commencing from 01-09-96 or at such intervals as may be approved by SEBI. The calculation of NAV will be subject to Regulations and Guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.

V. Trusts not to be admitted and recognised for the purpose of the Scheme and the Plan made thereunder

(1) The person who is registered as the member and in whose name a Membership Advice has been issued shall be the only person to be recognized by the Trust as the member and as having any right, title or interest in or to such units and the Trust may recognise such member as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme.

(2) When an application is made by an individual for the benefit of another individual who is mentally handicapped and accepted by the Trust, the Trust shall not be deemed to be taking notice of any trust. The Trust shall deal, for all purposes, under the Scheme and the Plan made thereunder with the applicant or the person mentioned as alternate applicant in the application form in the event of the applicant's death.

VI. Transfer of Units :

Units issued under the Scheme are not Transferable Pledgeable/Assignable.

VII. Investment Objectives and Policies :

Investment objectives and policies of the Scheme are to primarily provide regular monthly income to the subscriber and also to endeavour providing capital appreciation to the subscriber on maturity of the Scheme.

Funds collected under the scheme shall after providing for all initial preoperative and operational expenses generally be invested as follows considering the objectives of the Scheme :

(i) Atleast 80% of the funds will be invested in fixed income securities.

(ii) Upto 20% of the funds will be invested in equities equity related instruments and money market instruments.

Notwithstanding the aforesaid, the proportion of investment in money market instruments could be increased consistent with SEBI Guidelines on the same.

(iii) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grade by CRISIL/CRA/CARE or any other credit rating agencies which may be recognised from time to time : Provided that if the debt instrument not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(iv) No term loans will be advanced by this scheme.

(v) Investments by way of privately placed debentures, securitised debts and other unlisted debt instruments shall not exceed 40% of the total assets of the scheme.

(vi) The scheme shall not invest more than 5% of its corpus in any one company's shares.

(vii) Not more than 10% of the funds of all the Schemes of the Trust taken together including this Scheme shall be invested in shares, debentures or other securities of a single company.

(viii) Not more than 15% of the funds under all Schemes of the Trust including this scheme shall be invested in the shares and debentures of any one industry :

Provided that provision shall not apply to a Scheme which has been floated for investments in one or more specified industries and declaration to that effect has been made in the offer letter.

(ix) Transfer of investments from this scheme to another Scheme/Plan of the Trust shall be done only if—

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to hich such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the Plan to another Scheme/Plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(x) The scheme shall not invest in or lend to another Scheme/Plan of the Trust.

(xi) The scheme shall not borrow funds to finance its investments.

VIII. Development Reserve Fund (DRF) contribution

0.10% of the weekly average Net asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year. DRF contribution will be part of recurring expenses.

The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new Schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular Scheme itself. Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific Scheme and Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities.

IX. Staff Welfare Trust Contribution

0.10% of weekly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust. The Trust has instituted the Staff Welfare Trust for the welfare of its employees which shall include relief in distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

X. Publication of Accounts :

The Trust shall as soon as may be alter the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the Scheme and the Plan made thereunder during the period ending as of that date. The Trust shall furnish to SEBI copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and the profit and loss account as also unaudited half yearly accounts and the quarterly statement of movements in NAV and a quarterly portfoilo statement including changes from the previous periods. The Trust shall make such disclosures to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments. The Trust shall, on request in writing received from a member, furnish him a copy of the accounts and statements so published.

XI. Additions and Amendments to the Scheme and the Plan made thereunder :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and the plan made thereunder and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

XII. Termination of the Scheme and Plan made thereunder :

(a) The scheme shall stand finally terminated on 31-08-2000, the outstanding units of the members shall be repurchased and the members shall be paid the value of their units at the repurchase price fixed for the final repurchase during the above period.

Besides receiving the repurchase price determined, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accrue. However, the Trust reserves with the prior approval of SEBI the right to extend the scheme beyond 5 years. In such an event the member shall be given an option to either sell back the units to the Trust or to continue in the scheme. The Trust could also give the investor the option to convert the repurchase proceeds into any other scheme launched or in operation at that time.

(b) The Trust may wind up the scheme and the plan made thereunder under the following circumstances :

(i) on the expiry of five years of the scheme i.e. on 31st August, 2000 or on the expiry of such date beyond five years as may be decided by the Trust.

(ii) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the Scheme and the Plan made thereunder to be wound up, or

(iii) if 75% of the Members pass a resolution that the scheme be wound up; or

(iv) if the SEBI so directs in the interest of the Members.

(c) Where the Scheme is wound up in pursuance of sub clause (b) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the scheme to SEBI and in two daily. newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Bombay at least before a week the termination is effected.

(d) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall—

(i) cease to carry on any busines activities in respect of the Scheme.

(ii) cease to create and cancel units in the Scheme.

(iii) cease to issue and redeem units in the Scheme.

(e) The Board of Trustees shall call a meeting of the members to consider and pass necessary resolution by simple majority of the members present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the Scheme.

(f) (i) The Board of Trustees shall dispose of the assets of the scheme in the best interest of the Members of the Scheme.

(ii) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (f)(i) above, shall, in teh first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the Scheme and after making appropriate provision for making the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the members in proportion to their respective interest in the assets of the Scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(g) On the completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the members a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the members and a certificate from the auditors of the scheme.

(h) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue.

(i) After the receipt of the report referred to in clause XII (g) of the scheme, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist.

(j) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Membership Advice along with the request letter for repurchase has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Membership Advice, the request letter for repurchase and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

XIII. Power to construe provisions :

If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of the scheme and the plan made thereunder, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and the Plan made thereunder and such decision shall be conclusive, binding and final.

The provisions of the scheme formulated hereunder and the provisions of the plan as stated in the scheme shall be read in conjunction to each other.

XIV. Relaxation of provisions :

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Scheme and the Plan made thereunder, relax any of the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder in case of any member or class of members upon such terms as may be deemed expedient under intimation to SEBI Any changes in the offer document shall be with prior approval of SEBI.

XV. Scheme and Plan made thereunder to be binding on members :

The terms of the Scheme and the Plan made thereunder including any amendments, changes thereto from time to time shall be binding on each member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder.

XVI. Benefits to the members :

All benefits accruing under the Scheme and the Plan made thereunder in respect of capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the Scheme and the Plan made thereunder shall be available only to the members who hold the units for the full term of the Scheme and the Plan made thereunder till its closure.

Deduction of Tax at source

As per the present taxation laws the Trust is required under section 194K to deduct income tax at source @ 15% from the income payable after 01-07-1995 to individual members under the plan if such income exceeds Rs. 10,000/- during the financial year.

Similarly, tax will be deducted at source from the income payable to HUFs if such income exceeds Rs. 10,000/- during the financial year.

No deduction of tax will be made for Eligible Institutions which are covered under Sections 11 or 12 or 10(22) or 10(22A) or 10(23) or 10(23AA) or 10(23C) of the Income Tax Act, 1961 on the basis of a declaration is the format provided in the application form.

Individuals, HUFs and Eligible Institutions other than above, desiring receipt of income without deduction of tax at source should furnish to the Trust a declaration under section 197A in writing, in duplicate in the prescribed form and verified in the prescribed manner to the effect that the tax on his/its estimated total income of the previous year will be nil.

No deduction of tax at source will be made where a declaration in the prescribed form No. 15(H) is filed to the effect that tax on estimated total income of the investor for the relevant year will be nil.

The form prescribed for non deduction of tax at source should be submitted atleast three months before the despatch of income distribution warrants.

Tax Concessions

Taxation for income and capital appreciation under the plan will be subject to prevalent tax laws. As per the present taxation laws income from units under all schemes of the Trust including "MIP 95(II)" will enjoy deduction from income upto an overall limit of Rs. 13,000/- under section 80L of Income Tax Act, 1961.

Any long term capital gains arising out of the plan will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961.

Value of investment in units under the plan is exempted from wealth tax.

For Eligible Trusts

Units are approved securities under section 11(2)(b) of the Income Tax Act 1961, Eligible Trusts investing in units will, therefore qualify for tax exemption in respect of income and corpus under section 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.

Rights of Members :

1. Members under the Plan have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the dividend declared by the Plan.

2. The Members have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the Members.

3. The Members are entitled to have the dividend warrants despatched to them within 42 days of the date of declaration of the dividend.

4. The Members have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection".

Custodians

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Bombay 400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all properties belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody accounts, separately from the assets of the custodians and their other clients.

The custodians will make efforts to have the properties of the Schemes/Funds/Plans registered in the name of the Trust and will deliver them only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust. Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/Funds/Plans of the Trust.

Auditors

M/s. S. K. Mittal & Co., E/29, South Extension, Part II, New Delhi 110 049 and M/s. S. K. Kapoor & Co., 16/98 LIC Bldg. The Mall, Kanpur 208 001 have been appointed as the auditors by the IDBI.

Investor Complaints

The Trust has more than 48 million investors under its 59 different Schemes. The no. of complaints received and redressed schemewise from July 1994 to March 1995 are appended below :

	Complaints Received	Compalints Redressed	Complaints Pending	% Pending
OPEN ENDED SCHEME				
CCCF	511	455	56	10.96
CGGF	10621	9611	1010	9.51
CGS	775	566	209	26.97
CRTS	130	42	88	67.69
GRIHA LAKSHMI				
U. P. 94	1163	808	355	30.52
HUS	263	136	127	48.29
RBP 95	84	1	83	98.81
RAJ LAKSHMI				
U.S.	2501	1812	689	27.55
SCUP	326	233	93	28.53
ULIP	7533	5394	2139	28.40
US 64	113576	102440	11136	9.80
TOTAL	137483	121498	15985	11.63
CLOSE ENDED SCHEMES				
CGUS 91	13474	13314	160	1.19
DIUP 93	4155	3794	361	8.89

DIUS	3203	3142	61	1.90
DIUS 91	2778	2708	70	2.52
DIUS 92	1448	1388	60	4.14
GCGi	2143	1157	986	46.01
GIUS Pool	1494	1200	294	19.68
GMIS 91	7053	6787	266	3.77
GMIS 92	3094	2950	144	4.65
GMIS 92 (II)	4546	4053	493	10.84
GMIS-B 92	2700	2504	196	7.26
GMIS-B 92 (II)	5315	5188	127	2.39
GRAND MASTER	6825	6197	628	9.20
IUS 82	29	15	14	48.28
IUS 85	11	9	2	18.18
MASTER GROWTH	26957	25265	1692	6.28
MEP 91	9272	8462	810	8.74
MEP 92	26809	25868	941	3.51
MEP 93	5371	4900	471	8.77
MEP 94	8636	7805	831	8.50
MEP 95	17	13	4	23.53
MASTER GAIN 92	114271	95823	18448	16.14
MIP 93	5774	5178	596	10.32
MIP 94	4435	4058	377	8.50
MIP 94 (II)	3150	2749	401	12.73
MIP 94 (III)	720	694	26	3.81
MIS Pool	2801	1874	927	33.10
MISG 90 (I)	1664	1080	584	35.10
MISG 90 (II)	22261	20945	1316	5.91
MISB 93	3825	3577	248	6.48
MISG 91	17839	16969	870	4.88
MASTER PLUS 91	32818	28844	3974	12.11
MASTER SHARE 86	23312	1105	22207	95.26
UGS 2000	18650	11401	7249	38.87
UGS 5000	6276	4671	1605	25.57
US 92	7546	7385	161	2.13
MISCELLANEOUS	1530	1119	411	26.86
TOTAL	402202	334191	68011	16.91
G. TOTAL	538155	454570	83585	15.53

Reasons for pending complaints are :

(1) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.

(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(3) Change of address of investor not informed/not undated.

(4) Loss in transit.

(5) Postal delay.

(6) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(7) Incomplete details while forwarding the complaints.

(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.

(9) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

Depending on the nature of complaints/objections the Trust writes to investor/bank/Registrars to resolve the same. All investors could refer their grievance giving full particulars of investment to the following address :

Shri P. P. Shastri
General Manager
Central Investors Relations Cell
Unit Trust of India
SNDT Women's University Basement

Door No. 1
Sir Vithaldas Thackersey Marg
Bombay 400 020
Phone : 2008860/2003853
Fax : (022) 2003865

Registrars

UTI Investors Service Ltd. situated at Plot No. 39. Marol Maroshi Road, Near Marol Maroshi Bus Depot, Vijay Nagar, Andheri (East), Bombay 400 069, Tel. : 8380395 has been appointed to work as Registrars :

It has been ascertained that the Registrars have adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, dispatch of certificates within the prescribed time frame and handle investor complaints.

Processing of applications and after sales services will be handled from four main branches of the Registrars:

West Zone: Plot No. 369, Marol Maroshi Road, Near Marol-Maroshi Bus Depot, Vijay Nagar, Andheri (East), Bombay 400 069.

East Zone: 2, Fairlie Place, 1st Floor, P.B. No. 60, Calcutta 700 001.

South Zone: Justice Basheer Ahmed Syed Building, 45, Second Line Beach, Madras 600 001.

North Zone: Tej Building, 3rd Floor, 8, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi 110 002.

Documents available for inspection

The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Bombay 400 020.

* The UTI Act
* The General Regulations
* The agreements with the custodians, registrars and collecting banks.

General

As per regulation 30, SEBI (MF) Regulations, 1993, all close ended Schemes of Mutual Funds are required to be listed. Considering the special nature and purpose of our Scheme we have made an application to SEBI to exempt the applicability of listing for MIP95(II). In case our request is not acceded to, the Scheme will be listed on NSE and OTCEI and UTI will issue units certificates in marketable lots which will be transferable. The repurchase facility however, will continue to be provided to the investors after one year, irrespective of whether the Scheme is listed or not.

Details of Five Previous Monthly Income Plans of UTI

Plan	MIP 93	MIP 94	MIP 94 (II)	MIP 94 (III)	MIP 95
Date of Commencement	01.11-93	01-03-94	01-07-94	01-01-95	01-07-95
Date of Termination	31-10-98	28-2-98	30-06-98	31-12-99	20-06-2002
Monthly Dividend	13·5% p.a.	13% p.a. for first two years	13% p.a. for first two years	12% p.a. for first year	13% p.a. for first year
Cumulative Option	Rs. 2000/- becomes Rs. 4000/-	Rs. 2000/- becomes Rs. 2590/- in 2 years	Rs. 2000/- becomes Rs. 2590/- in 2 years	—	—
Amount Collected	Rs. 628 Cr.	Rs. 453 Cr.	Rs. 495 Cr.	Rs. 701 Cr.	Rs. 541·77 Cr.
No. of Applications	203358	143404	134492	183000	178294*

*Provisional figures as on 30-06-95.

HISTORICAL DATA

Historical Statistics	1992-93					1993-94		
	MIS POOL	MISG 90 POOL	GMIS POOL	GMIS B 92 POOL	MISB 93 POOL	MIS POOL	MISG 90 POOL	GMIS POOL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(A) Gross Income	21976.66	52603.65	30851.93	7045.47	559.20	27496.13	51887.56	40810.07
(B) Expenses (Including provision for doubtful assets)	571.08	1135.13	1041.91	628·53	173.32	486.12	1274.92	979.94
(C) Net Income	21405.58	51468.52	29810.02	6416.94	385.88	27010.01	50612.64	39830.13
(D) Dividends	14652.92	43199.38	19278.95	5757.82	0.00	9562.46	47043.45	20441.40
(E) NAV (per unit*)								
at the beginning of the year	10.71	10.59	11.19	NA	NA	11.55	10.65	11.06
at the end of year	11.55	10.65	11.06	10.16	10.12	14.73	11.35	12.99
(F) Expenses to average monthly net assets (%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
(G) Portfolio turn over rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
(H) Market Price								
Highest	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lowest	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
(I) Repurchase Price								
Highest	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lowest	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
(J) Sale Price								
Highest	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lowest	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
(K) No. of Units O/s at the end of the period (Rs. in '000)**	104969.69	347161.23	209470.04	82323.85	43104.70	50706.67	354292.41	208431.38

MONTHLY INCOME SCHEMES

1993-94		1994-95									
GMIS B92 POOL	MIS B93 POOL	MIP 94	MIP 94 (II)	MISG 90 POOL	GMIS POOL	GMIS B 92 POOL	MIS B 93 POOL	MIP 94	MIP 94 (II)	MIP 94 (III)	MIP 95
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13301.68	13991.33	2443.14	198.33	50382.00	36865.00	15196.00	18030.00	5853.00	7227.00	3978.00	
434.66	957.44	256.01	175.07	1550.00	1000.00	500.00	980.00	2583.00	2976.00	2057.00	13.00
12867.02	13033.89	2187.13	23.26	1117.00	5234.00	2642.00	-1820.00	-2548.00	-3890.00	-2779.00	-13.00
				#	#	#	#	#	#	#	#
8247.96	11822.55	2106.70	0.00	47715.00	30361.00	12054.00	18870.00	5818.00	8141.00	4700.00	0.00
10.16	10.12	NA	NA	11.35	12.99	11.71	10.90	10.06	10.10	NA	NA
11.71	10.96	10.06	10.10	10.92	12.50	11.12	10.02	9.45	9.37	9.49	9.94
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
82286.03	133731.35	44552.46	38233.01	381368.00	205931.00	82116.00	133068.00	44552.46	61861.00	73500.00	16589.00

*NAV has been calculated considering the Capital Reserve and Total Unrealised Appreciation of the investment of the Pool

**The face value of units (Fig. in Lakhs) has been given. However, the face value of each unit all pools is Rs. 10/- and hence number of units can be worked out accordingly.

#Dividents are calculated for the current year and provisions made to that extent.

UNIT TRUST OF INDIA
CORPORATE OFFICE

ZONAL OFFICES

Western Zone : Centre-1, 28th Floor, World Trade Centre, Cuffe Parade, Colabar, Bombay-400 005. Tel : 2181099/2181254.

Eastern Zone : 2 Fairlie Place, 2nd Floor, Calcutta-700 001. Tel : 2209391/2205322.

Southern Zone : UTI House 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel : 517101.

Northern Zone : Jeevan Bharati, 13th Floor, Tower II, Connaught Circus, New Delihi-110 001. Tel : 3329860/3329858.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE
BOMBAY MAIN BRANCH

BRANCHES WHERE APPLICATIONS CAN BE TENDERED

Ahmedabad : UTI House, Near Mithakali Rly. Bridge, Off. Ashram Road, Ahmedabad-380 009. Tel : 403864. Baroda : 'Meghdhanush', 4th & 5th Floor, Transpek Circle, Race Course Road, Baroda-390 015. Tel : 332481. Bhopal : Ganga Jamuna Commercial Comp'ex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone 1, Scheme 13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001. Tel : 558308. Bombay : (1) Unit No. 2, Block 'B' Opp. JVPD Scheme, Gul Mohar Cross Road No. 9, Andheri(W), Bombay-400 049. Tel : 6201995. Bombay : (2) Persepolis Bldg., 3rd Floor, Above Andhra Bank, Sector-17, Vashi New Bombay-400 703. Tel 7672607. Bombay : (3) Lotus Court Building, 196, Jamshedji Ttata Road, Backbay Reclamation, Bombay-400 020. Tel : 2850821/822. Bombay : (4) Sharaddha Shopping Arcade, 1st Floor, S. V. Road, Borivli (West), Bombay-400092. Tel : 8020521. Bombay : (5) Sagar Bonanza, 1st Floor, Khot Lane, Ghatkopar (W), Bombay-400 086. Tel 5162256. Indore : City Centre, 2nd Floor, 570, M. G. Road, Indore-452 001. Tel : 22796. Kolhapur : Ayodhya Towers, C. S. No. 511, KH-1/2, 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Road, Kolhapur-416 001. Tel. : 657315. Nagpur : Shree Mohini Complex, 3rd Floor, 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg (Kingsway), Nagpur-440 001. Tel : 536893. Nasik : Sarda Sankul, 2nd Floor, M. G. Road. Nasik-422 001. Tel. 72166. Panaji : E.D.C. House, Ground Floor, Dr. A. B. Road. Panaji, Goa-403 001. Tel. : 222472. Pune : Sadashiv Vilas, 3rd Floor, 1183 Fergusson College Road, Shivaji Nagar, Pune-411 005. Tel. : 325954. Rajkot : Lallubhai Centre, 4th Floor, Lakhaji Raj Road. Rajkot-360 001. Tel. : 35112. Surat : Saifee Bldg., Dutch Road, Nanpura, Surat-395 001. Tel. : 34550.

BRANCH OFFICE UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra : Ground Floor, Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Road, Agra-282002. Tel : 350552. Allahabad : United Towers, 3rd Floor, 53, Leader Road, Allahabad-211 003. Tel : 50521. Amritsar : Shri Dwarka Dheeshji Complex, Queens Road, Amritsar-143001. Tel : 210367. Chandigarh : Jeevan Prakash, LIC Bldg., Sector 17 B, Chandrigarh-160 017. Tel. : 543683. Dehradun : 2nd Floor, 59/3, Rajpur Road, Dehradun-248001, Tel : 26720 Jaipur : Anand Bhuvan, 3rd Floor, Sansar Chandra Road, Jaipur-302 001. Tel. : 365212. Kanpur : 16/79-E, Civil Lines, Kanpur-208 001. Tel. : 817278. Lucknow : Regency Plaza Bldg., 5, Park Road, Lucknow-226 001. Tel. : 232501. Ludhiana : Sohan Palace, 455, The Mall, Ludhiana-141001. Tel. : 400373. New Delhi : Gulab Bhuvan, (Rear Block), 2nd Floor, 6 Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002. Tel. : 3318638/3319786. Shimla : 3, The Mall, 1st Floor, (Above Jankidas & Co, Dept Store), Shimla-171 002. Tel. : 4203. Varanasi : 1st Floor, D-58/2A-1, Bhawani Market Rathyatra, Varanasi-221 001, Tel. : 54306/54262/54272.

Bangalore : World Trade Centre, Chamber of Commerce, kempagowda Road, Bangalore-560009 Tel. : 2253739. Cochin : Jeevan Prakash, 5th Floor M. G. Road, Ernakulam, Cochin-682 001. Tel. : 362354. Coimbatore : Cheran Towers, 3rd Floor, 6/25, Arts College Road, Coimbatore-641018. Tel. : 214973. Hubli : Kalburgi Mansion, 4th Floor, Jamington Road, Hubli-580 020. Tel. : 363963. Hyderabad : 1st Floor, Surabhi Arcade 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500001. Tel. : 511095. Madras : UTI House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel. : 517101. Madurai : Tamil Nadu Sarvoday Sangha Bldg., 108, Thirupparankandram Road, Madurai-625 001. Tel. : 38186. Mangalore : Siddartha Bldg., Balmatta Road, Mangalore-575001. Tel. : 426290. Thiruvananthapuram : Swastik Centre, 3rd Floor M. G. Road, Thiruvananthapuram-695 001. Tel. : 331415. Trichy : 104, Salai Road, Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003 Tel. 27060. Trichur : 28/876/77, West Palithamam bldg., Karunakaran Nambiar Road, Round North, Trichur-680020. Tel.: 331259. Vijayawada : 27-37-156 Bunder Road, Next to Hotel Manorama, Vijayawada-520 002. Tel. : 74434. Vishakhapatnam : Ratna Arcade, 3rd Floor, 47/15/6, Station Road, Dwarkanagar, Vishakhapatnam-530 016. Tel. : 548121.

BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

Bhubhaneshwar : 1st & 2nd Floor, Orissa Co-op. Hsg. Corporation Ltd. Bldg., 24, Janapath Near Ram Mandir, Bhubhaneswar-751001. Tel. : 410995. Calcutta : 2 & 4, Fairlie Place, Calcutta-700 001. Tel. : 2209391/2208322. Durgapur: 3rd Administrative Bldg., 2nd Floor Asansol Durgapur Dev. Authority, City Centre, Durgapur-713216. Tel. : 4831. Guwahati : Hindustan Bldg., M L. Nehru Road, Pan bazar, Gawahati-781001. Tel. : 543131. Jamshedpur : 1-A Ram Mandir Area, Ground & Second Floor, Bilaspur, Jamshedpur-831 001. Tel. : 425508. Patna : Jeevan Deep Bldg., Exhibition Road, Patna-800001. Tel. : 235001. Siliguri : Jeevan Deep, Ground Floor, Gurupanak Sarani, Siliguri-734401. Tel. : 23275.

No. UT/DBDM/329-B/SPD/72D/95-96.—Offer Document of the Deferred Incom Plan 1995, made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the meeting held on 16th August 1995 is published herebelow.

A. G. JOSHI,
General Manager
Business Development & Marketing.

DEFERRED INCOME PLAN 1995

OFFER DOCUMENT

Offer open from September 01, 1995

September 25, 1995

The Deferred Income Plan 1995 has been formulated under Section 19 (1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 1963), in relation to the unit scheme, the Deferred Income Scheme 1995 made under section 21 of the said Act by the Board of Trustees of UTI.

* The Plan particulars have been prepared in accordance with Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1993, and the units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accurancy or adequacy of the Offer Document.

PLAN OBJECTIVE

This is an Income oriented Plan. The Plan aims at meeting the needs of investors by providing either higher income at a later date on quarterly basis or cumulation of income over a period of 5 years.

HIGHLIGHTS

* A Five year Plan.

* Open to resident adult individual/s either singly or with another individual on joint/either or survivor basis/minors/HUFs/Trusts, Societies/Regd. Co. Op. Societies/Bodies Corporate including Non-profit making companies (under Section 25 of Companies Act, 1956)

* UTI proposes to pay minimum targeted dividend @ 26% p.a. to be paid at the beginning of every quarter in the third year. Dividend for the 4th & 5th years will be declared before the end of the preceding years and paid quarterly.

* There is no distribution of income under the cumulative option. The income generated shall be ploughed back and will be reflected in the Net Asset Value.

* Repurchase will be allowed after the first year at NAV based repurchase price after deducting cost not exceeding 5% of NAV per unit under both the options.

* Scope for capital appreciation as a part of investment will be in equities.

* Tax benefits U/S 80L and U/S 48 & 112 of Income Tax Act 1961 on dividends and capital gains from capital appreciation.

RISK FACTORS

* Investments in units of the Plan are subject to market risks and the NAV of the Plan may go up or down depending on market forces.

* In the event of actual income not being sufficient to pay a minimum targeted return of 26% p.a. in the third year members may suffer loss on unit capital to that extent.

* Performance of the previous Scheme/Plans of UTI is not necessarily an indication of future results. There can be no assurance that the objective of the Plan will be achieved.

* Deferred Income Plan 1995 is only the name of the Plan and does not in any manner indicate the & quality of the Plan. Investors are urged to study the terms of the offer carefully before they invest in the Plan.

MANAGEMENT'S PERCEPTION OF RISK FACTORS

* UTI has been in operation for over 30 years and has built up expertise in managing funds of around Rs. 61,000 crores from over 48 million investors.

Table below indicates performance of four Deferred Income Schemes Plan launched so far :

CONSTITUTION OF UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under UTI Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to UTI from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

MANAGEMENT OF UTI

The Management of the affairs and business of UTI are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India. Besides the Board, there is a statutory. Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

BOARD OF TRUSTEES

1. Dr. S. A. Dave—Chairman, Unit Trust of India.
2. Shri S. H. Khan—Chairman, Industrial Development Bank of India
3. Dr. Arvind Virmani—Advisor, Policy Planning, Govt. of India, Depot. of Economic Affairs, Ministry of Finance.
4. Shri N. S. Sekhsaria—Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
5. Shri P. R. Khanna—Chartered Accountant
6. Kum J. T. Vaz—Executive Director, Reserve Bank of India.
7. Shri J. S. Salunkhe—Chairman Life Insurance Corporation of India.
8. Shri N. Vaghul—Chairman, ICICI Ltd.

Sr. No.	Schemes/Plan	Quarterly dividend under Deferred Income Option					Bonus dividend (payable on maturity)	Yield
		3rd yr.	4th yr.	5th yr.	6th yr.	7th yr.		
1.	DIUS' 90							
	5 year Option . .	18%	24%	30%	—	—	5%* (plus 30% Capital appreciation on maturity)	17·25%
	7 year Option .	—	24%	24%	30%	30%	7·5%	14·25%
2.	DIUS'91							
	Deferred Option	18%	24%	30%	—	—	5%* & 6%**	15·37%
	Cumulative Option						2·5%* & 3%**	15·50%
3.	DIUS'92 . .	28%	28%	28%	—	—	—	15·70%
4.	DIUP'93 . .	28%	28%	28%	—	—	—	15·19%

*Interim bonus dividend declared on 09-8-93 although there was no provision in the scheme.

**Bonus dividend declared on 16-08-94, as per the provision of the scheme for declaration of bonus dividend at the end of the third year.

9. Shri J. V. Shetty	Chairman & Managing Director, Canara Bank

DETAILS OF THE DEFERRED INCOME SCHEME 1995 (DIS '95)

I. Short Title and Commencement :

(1) This scheme shall be called the Deferred Income Scheme 1995 [DIS '95].

(2) The scheme and the plan made thereunder shall be for a period of five years i.e. from 1st October 1995 to 30th September, 2000.

(3) Units will be on sale from 1st September, 1995 for 25 days.

Provided, however the Executive Committee of the Board of Trustees of the Unit Trust/Chairman may suspend the sale of units under the scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

II. Definitions :

In this scheme and the plan made thereunder unless the context otherwise requires :

(a) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(b) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963; (52 of 1963).

(c) "Alternate applicant" in case of minor means the parent other than the parent who has made the application on behalf of minor.

(d) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and the plan made thereunder who is not a minor and makes an application under Clause III of the Plan.

(e) "Eligible institution" means an eligible trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(f) "Member" used as an expression under the scheme and the plan made thereunder shall mean and include the applicant who has been allotted units under the scheme.

(g) "Number of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding.

(h) "Person" shall include an eligible institution as defined above.

(i) "Recognised stock exchange" means a stock exchange, which is, for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(j) "Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrars under the scheme from time to time.

(k) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43 (1) of the Act.

(l) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992. (15 of 1992).

(m) "Society" means a society established under the Societies Registration Act of 1860 or any other society established under any State or Central law for the time being in force.

(n) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(o) "Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being.

(p) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(q) all other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations.

(r) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa.

The other provisions of the scheme are available from page No. 12 to page No. 16.

DETAILS OF THE DEFERRED INCOME PLAN 1995 (DIP '95) FORMULATED UNDER THE DEFERRED INCOME SCHEME 1995 ARE GIVEN HEREBELOW.

I. Definitions :

The words not defined in the Plan and defined in the scheme and Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them in the Scheme/Act/Regulations.

II. Face value of each unit :

The face value of each unit issued under the scheme shall be ten rupees.

III. Application for units :

(1) Application for units may be made by residents only viz.

(a) individuals either singly or with another individual on joint/either or survivor basis.

(b) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.

(c) an eligible institution as defined under the scheme including Private Trust being irrevocable trust and created by an instrument in writing.

(d) a society as defined under the scheme.

(e) a registered co-operative society.

(f) other bodies corporate including non profit making companies formed u/s. 25 of the Companies Act, 1956 but excluding banks Companies Act, 1956.

(g) Hindu Undivided Family.

(2) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

IV. Minimum amount of investment

Application shall be made for a minimum of 200 units and thereafter in multiples of 100 units under both the options—Deferred & Cumulative. There will be no maximum limit.

An applicant should submit only one application for the total no. of units required. Two or more applications in single or joint names will be deemed to be multiple applications if sole or first applicant is the same. The Trust reserves the right to reject in its absolute discretion all or any such multiple applications.

In case of investment of Rs. 50,000/- and above, the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I T Circle address if he/she is having so.

V. Minimum target amount to be raised :

Amount of Rs. 50 crores is targeted to be raised under the Plan. Oversubscription, if any, will be retained by the Trust.

The Trust shallby A/c Payee cheque/refund order refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units the entire amount collected under the Plan, if sixty percent of the said targeted amount is not subscribed.

In the event of failure to refund the amounts within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay the interest to the applicants at a rate of 15% per annum on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of units.

VI. Limitation on expenses :

Initial issue expenses may not exceed 6% of the funds raised under the Plan. Initial issue expenses of the Plan is estimated to be as under.

Expenses	%
Printing & Postage	1.50
Publicity & Marketing	1.50
Commission to agents	1.25
Administrative Expense	0.50
Registrars Charges	0.50
Miscellaneous	0.75
Total	6.00

Thus for every Rupee invested by an investor not less than 4 paise will be invested in the Plan.

In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the Plan on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average weekly net asset value during any accounting year. Estimated recurring expenses are as under :

Expenses	%
Administrative Expenses	1.00
Custodial Fees	0.50
Development Reserve Fund	0.10
Staff Welfare Trust	0.10
Accounting Fees	0.20
Registrars Fees	0.50
Other Expenses	0.60
Total	3.00

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issue expenses and 3% of the weekly average net asset value during any accounting year for recurring expenses, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993. Further, administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to the Staff Welfare Trust will not exceed 1.25% of the weekly average NAV of the plan during the accounting year.

VII. Mode of Payment

(1) (i) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him along with the application in cash, cheque or draft.

Where applications are submitted at the branch offices of the Trust, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the branch office at which the application is tendered is situated.

Provided however that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft for number of units applied for after deducting therefrom charges payable for bank draft. However, in case of application received alongwith local bank draft where UTI has its branch office/collection centre/franchise office bank, draft commission will have to be borne by the investor.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the cheque is received by the branch office or authorised collection centre.

If payment is made by draft, acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre such time as may be deemed reasonable by the Trust. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant shall be issued such lower number of units as could be issued under the scheme, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(2) Right of the Trust to accept or reject application :

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the scheme and plan made thereunder. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the scheme and the plan made thereunder shall be final.

Incomplete Application Liable For Rejection

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum.

Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(3) Applicant bound to comply with requirements under the scheme and plan made thereunder before being issued units :

Persons applying for units under the scheme and the plan made thereunder shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust such as Trust deed, Resolution by the Managing Body to buy units in case of application from Trusts, Birth Certificate in case of application on behalf of minor, etc. depending on the category of the investors. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust.

Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the membership cancelled and the name deleted from the register of members. The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance. The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VII. Sale of Units

The sale price of units during the period of offer shall be at par.

The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall be as soon thereafter as possible, issue to the applicant Membership Advice evidencing that he has been admitted as a member in the scheme and the plan made thereunder. A Membership Advice issued by the Trust to the eligible institution or body corporate shall be made out in the name of the eligible institution/body corporate.

The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the Membership Advice so sent.

The Trust shall endeavour to send the Membership Advice within 10 weeks from the date of closure of sale of units under the Plan.

IX. Repurchase of units :

(1) There shall be a one year lock-in-period i.e. upto 30th September, 1996. There shall be no repurchase during the first year of the Plan. Repurchase price will be based on the NAV of units (on historic basis) and shall be declared initially once every three months during the first year. On completion of lock-in period i.e. 30-09-96, the NAV based repurchase price after deducting cost and exceeding 5% of NAV per unit shall be declared once every month commencing from 1.10-96.

(2) Deferred Income option :

The Trust will offer to repurchase the units from the second year of the Plan. Repurchase price will be based on historic NAV. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 5% of the NAV per unit. Repurchase will be effected on receipt of the Membership Advice alongwith a request letter on plain paper duly signed by all the holders and duly witnessed by another person giving his name, occupation and address. All the units indicated in the advice should be tendered for repurchase. No partial repurchase of units shall be permitted. The member while making an application for repurchase shall be bound to surrender all the unpaid Income Distribution Warrants remaining outstanding upto and inclusive of the quarter of repurchase to the Trust.

The Trust shall not on accepting the Membership Advice alongwith the request letter for repurchase be bound to pay any Income Distribution on the units for the quarter of acceptance or future quarters nor shall any interest be payable on the repurchase proceeds.

All the documents and the unpaid Income Distribution Warrants if any, received shall be retained by the Trust for cancellation.

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clauses the Trust shall be at liberty while repurchasing the units, in the event of failure of the member to surrender the Income Distribution Warrants which are then outstanding to deduct from the repurchase price such amount representing the amount of the Income Distribution Warrant payable in future as have not been surrendered and pay the balance to the member. On the acceptance of the Membership Advice and the request letter for repurchase by the Trust, the members' right to receive future Income Distribution including the Income Distribution for the quarter of acceptance will cease and the Trust shall have a claim on the amount/s represented by such outstanding Income Distribution.

(4) A member to be entitled to a full year's Income Distribution paid out on a quarterly basis should have held the units for a full year. A member who holds units for a part of the year shall be entitled to receive proportionate Income Distribution for the period of holding which shall always be full quarters of holding, part of a quarter of whatever length being always ignored.

(5) In the event of the death of the member and on surrender of the Trust by the legal representative or nominee of the Membership Advice, the request letter for repurchase and the unpaid Income Distribution Warrants outstanding to the deceased member, the Trust shall on compliance with the requirements laid down in connection with the recognition of claim, repurchase the units in the manner prescribed in sub clause (2) and (3) hereinabove in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust and pay the outstanding proportionate quarterly income distribution upto the date of the settlement of the claim and such payment shall be for periods of whole quarters.

(6) Payment for units repurchased by the Trust after the deductions, if any, shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

(7) Cumulative Option

The Trust shall in case of units issued under Cumulative option offer to repurchase the units from the second year of the Plan. Repurchase price will be based on historic NAV. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 5% of the NAV per unit.

No partial repurchase will be permitted.

(8) The repurchased units will not be reissued.

(9) The basis of computation of repurchase price shall be subject to Regulations, Guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.

X. Restrictions on repurchase of units : :

Notwithstanding anything contained in any provision of the Plan, the Trust shall not be under any obligation to repurchase units : :

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Trust) when the register of members is closed in connection with the annual closing of the books and accounts.

Explanation :

For the purpose of this scheme and the plan made thereunder the term "working day" shall mean a day which has not been either :

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices; or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

XI. Publication of repurchase price :

The Trust shall as early as possible after determining the repurchase price publish it in atleast two leading daily news papers.

XII. Membership Advice :

No Unit/Membership Certificate shall be issued to a member in respect of his membership of units issued under the scheme and the plan made thereunder. They will, however, be given a Membership Advice evidencing admission as a member in the scheme and the plan made thereunder.

XIII. Manner of preparation of Membership advice :

The Membership advice shall be in the form approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

XIV. Exchange of Membership Advice and procedure when advice is mutilated, defaced, lost etc. :

For the purpose aforesaid the member under the Plan shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

XV. Register of members :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of members.

(1) A register of the members shall be kept by the Trust and there shall be entered in the register inter alia :

(a) the names and addresses of the members;

(b) the number of the Membership Advice and the number of units held by every such person; and (c) the date on

which such person the subscriber on maturity of the scheme. Funds collected under the scheme shall after providing for all initial, preoperative and operational expenses be invested as follows :

(i) Atleast 80% of the funds will be invested in fixed income securities.

(ii) Upto 20% of the funds may be invested in equities, equity related instruments and money market instruments.

Notwithstanding the aforesaid, the proportion of investment in money market instruments could be increased, consistent with SEBI Guidelines on the same.

(iii) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grade by CRISIL/ICRA/CARE or any other credit rating agencies which may be recognised from time to time. Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(iv) No term loans will be advanced by this scheme.

(v) Investments by way of privately placed debentures, securitised debts and other unlisted debt instruments shall not exceed [illegible] of the total assets of the scheme.

(vi) The scheme shall not invest more than 5% of its corpus in any one company's shares.

(vii) Not more than 10% of the funds of all the Schemes of the Trust taken together including this scheme shall be invested in shares, debentures or other securities of a single company.

(viii) Not more than 15% of the funds under all Schemes of the Trust including this scheme shall be invested in the shares and debentures of any one industry :

Provided that provision shall not apply to a Scheme which has been floated for investments in one or more specified industries and declaration to that effect has been made in the offer letter.

(ix) Transfers of investments from this scheme to another Scheme/Plan of the Trust shall be done only if :—

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment obective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the Plan to another Scheme/Plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(x) The scheme shall not invest in or lend to another Scheme/Plan of the Trust.

(xi) The scheme shall not borrow funds to finance its investments.

VIII. Development Reserve Fund (DRF) contribution :

0.10% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

DRF contribution will be part of recurring expenses.

The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new Schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular Scheme itself.

Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific Scheme and Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities.

IX. Staff Welfare Trust Contribution :

0.10% of weekly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust. The Trust has instituted the Staff Welfare Trust for the welfare of its employees which shall include relief in any distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

X. Publication of Accounts :

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board covering the working of the scheme and the plan made thereunder during the period ending as of that date. The Trust shall submit to SEBI copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and the profit and loss account as also unaudited half yearly accounts and the quarterly statement of movements in NAV and a quarterly portfolio statement indicating changes from the previous periods. The Trust shall make such disclosures to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments. The Trust shall, on request in writing received from a member, furnish him a copy of the accounts and statements so published.

XI. Additions and Amendments to the scheme and the plan made thereunder :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and the plan made thereunder and any amendment/addition thereof will be notified in the official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

XII. Termination of the scheme and the plan made thereunder :

(a) The scheme and the plan made thereunder shall stand finally terminated on 30.09.2000, the outstanding units of the members shall be repurchased and the membres shall be paid the value of their units at the repurchase price fixed for the final repurchase during the above period.

Besides receiving the repurchase price determined, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accrue. However, the Trust reserves the right to extend the scheme beyond five years with the prior approval of SEBI in writing. In such an event the member shall be given an option to either sell back the units to the Trust or to continue in the scheme. The Trust could also give the investor the option to automatically convert the repurchase proceeds into any other scheme launched or in operation at that time.

(b) The Trust may wind up the scheme and the plan made thereunder under the following circumstances :

(i) on the expiry of five years of the scheme and plan made thereunder i.e. on 30th September, 2000 or on the expiry of such date beyond five years as may be decided by the Trust.

(ii) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the scheme and the plan made thereunder to be wound up, or

(iii) if 75% of the membrs of the scheme pass a resolution that the scheme be wound up or

(iv) if the SEBI so directs in the interest of the members.

(c) Where the scheme is wound up in pursuance of sub clause (b) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Bombay at least before a week the termination is effected.

(d) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall—

(i) cease to carry on any business activities in respect of the scheme.

(ii) cease to create and cancel units in the scheme.

(iii) cease to issue and redeem units in the scheme.

(e) The Board of Trustees shall call a meeting of the members to consider and pass necessary resolutions by simple majority of the members present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the scheme.

(f) (i) The Board of Trustees shall dispose of the assets of the scheme concerned in the best interest of the Members of the scheme.

(ii) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (f) (i) above, shall in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the members in proportion to their respective interest in the assets of the scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(g) On the completion of the winding up the Trust shall forward to the SEBI and the members a report on the winding up containing particulars such as circumtances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the fund before winding up, expenses of the fund for winding up, net assets available for distribution to the and a certificate from the auditors of the scheme.

(h) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue.

(i) After the receipt of the report referred to in clause XII (g), if the SEBI is satisfied that all measures for winding up to the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist.

(j) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Membership Advice along with the request letter for repurchase has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Membership Advice, the request letter and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

XIII. POWER TO CONSTRUE PROVISIONS

If any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions of the scheme and the plan made thereunder, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the scheme and the plan made thereunder, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the scheme and the plan made thereunder and such decision shall be conclusive, binding and final.

The provisions of the scheme formulated hereunder and the provisions of the plan as stated in the scheme shall be read in conjunction to each other.

XIV. RELAXATION OF PROVISIONS

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the scheme and the plan made thereunder, relax any of the provisions of the scheme and the plan made thereunder in case of any member or class of members upon such terms as may be deemed expedient under intimation to SEBI.

Any changes in the offer document shall be with prior approval of SEBI.

XV. SCHEME AND PLAN MADE THEREUNDER TO BE BINDING ON MEMBERS

The terms of this scheme and the plan made there under, including any amendments, changes thereto from time to time, shall be binding on each member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the prfovisions of the scheme and plan thereunder.

XVI. BENEFITS TO THE MEMBERS

All benefits accruing under the scheme and the plan made thereunder in respect of capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the scheme and the plan made thereunder shall be available only to the members who hold the units for the full term of the scheme and plan made thereunder till its closure.

DEDUCTION OF TAX AT SOURCE

As per the present taxation laws the Trust is required under section 194K to deduct income tax at source @ 15% from the income payable after 01/07/1995 to individual members under the plan if such income exceeds Rs. 10,000/- during the financial year.

Similarly, tax will be deducted at source from the income payable to HUFs if such income exceeds Rs. 10,000/- during the financial year.

NO DEDUCTION OF tax will be made for Trust which are covered under Section 11 or 12 or 10(22) or 10(22A) or 10(23) or 10(23AA) or 10(23C) of the Income Tax Act, 1961 on the basis of a declaration in the format provided in the application form.

No deduction of tax at source will be made where a declaration in the prescribed form No. 15H is filed to the effect that tax estimated on total income of the investor for the relevant year will be nil.

The form prescribed for non deduction of tax at source should be submitted atleast three months before the despatch of income distribution warrants.

TAX CONCESSIONS

Taxation for income and capital appreciation under the plan will be subject to prevalent tax laws. As per the present taxation laws income from units under all scheme of the Trust including "DIP 95" will enjoy deduction from income upto an overall limit of Rs 13,000/- under section 80L of Income Tax Act, 1961.

Any long term capital gains arising out of the plan will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961.

Value of investment in units under the plan is exempted from wealth tax.

FOR ELIGIBLE TRUSTS

Units are approved securities under section 11 (2) (b) of the Income Tax Act 1961. Eligible Trusts investing in units will, therefore qualify for tax exemption in respect of income and corpus under section 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.

RIGHTS OF MEMBERS :

1. Members under the Plan have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the dividend declared by the Plan.

2. The Members have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclosed such information to the Members.

3. The Members are entitled to have the dividend warrants sent to them within 42 days became the holder of the units standing in his name.

(2) Any change of name or address on the part of any member shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(3) Except when the registers are closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any member without charge.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 45 days in any one year. The Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspapers or other media.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

XVI. APPLICATION BY AND REGISTRATION OF ELIGIBLE INSTITUTIONS, MINORS ETC. :

(1) Eligible institutions, body corporate, and societies (including co-operative societies) may be registered as members.

(2) An adult, being a perent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided in sub-section (2A) of Section 21 of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minor. The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult in the application form without any further proof.

(3) Eligible institutions, bodies corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandum and articles of association, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

XVII. RECEIPT BY MEMBER TO DISCHARGE TRUST:

The receipt of the member for any moneys paid to him in respect of the units represented by the scheme and the plan made thereunder shall be a good discharge to the Trust.

XVIII. NOMINATION BY MEMBERS :

(1) Members may exercise the right to make or cancle a nomination to the extent provided in the regulations.

(2) Members being either parent or lawful guardian on behalf of a minor and an eligible institution, societies, bodies corporate and HUF shall have no right to make any nomination.

Non-Resident Indians can be nominated as per the guideline issued by the RBI from time to time.

XIX. DEATH OF A MEMBER :

(1) In case of death of either of the joint members of units the survivor shall be the only person recognised by the Trust as having title to or interest in the units represented by the scheme and the plan made thereunder.

Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survivor in respect of the said units.

(2) In the event of death of a single member, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units.

(3) In the absence of a valid nomination by a single ,member, the executor or administrators of the deceased member or a holder of succession certificate issued under part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units.

(4) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death of a member(s) may, upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(5) In the event the nominee is a person eligible to hold units then at the desire of the said nominee, the nominee may instead of receiving the repurchase value of all units to the credit of the deceased shall be permitted to hold the units as a members and continue to remain registered as a member and shall be issue a Membership Advice in his name indicating units so desired to be held subject to the conditions regarding minimum holdings.

(6) In the event of death of a single member during the lock in period the Trust shall settle the claim after compliance with necessary formalities and pay the legal heir/nominee the repurchase value as detailed in the relevant clause(s) or arrived at by any other method as may be decided by the Trust.

XX. INCOME DISTRIBUTION :

(1) The member shall have the right to exercise an option to participate in the Deferred Income Option or the Cumulative Option. This shall be done at the time of investment in the Plan and the option once exercised will be final. In the absence of any specific option being exercised by the applicant it shall be treated as Deferred Income Option. The provisions of the scheme and the plan made thereunder will be applied to both options and where the provisions vary the relative details are given accordingly.

DEFERRED INCOME OPTION

The Trust shall not declare any dividend under the plan for the first two years.

The Trust proposes to pay minimum targated dividend @ 26% p.a. at the beginning of every quarter in the third year. Before declaring dividend under the Plan, the Trust shall provide for depreciation on investments and also make a provision for bad and doubtful debts, to the satisfaction of its auditors and shall disclose the method of dapreciation in the notes to the accounts.

Based on the investment objectives and policies of the Plan as also prevailing and likely yields from the instruments in which funds of the Plan will be invested, the Plan would be able to generate sufficient returns to pay minimum targeted dividend @ 26% p.a. payable quarterly in the third year for the investment. Current yields from fixed income securities range from 16% to 16.5% and the "yield to maturity" varies in the range 18% to 19%. The expected returns from equity can be conservatively put at 20% p.a. Thus it should be possible for the Trust to pay the minimum targeted return of 26% p.a. payble quarterly in the third year to the investors. Rate of dividend for each subsequent year shall be decided on the basis of the income of the plan and relevant factors and shall be declared before the

end of the previous year and paid quarterly. Post dated Income Distribution Warrants for the 3rd 4th and 5th years shall be sent in advance . The Trust shall endeavour to despatch the Income Distribution Warrants within 42 days from the date of declaration of the rate of dividend.

(3) The income distribution for each quarter shall be made payable at the beginning of the quter and will be paid by the Trust under such prepayment arrangements by means of Income Distribution Warrants or any instrument encashable at par at the branches of such bank as the Trust may specify. The Trust however reserves the right to forward post dated Income Distribution Warrants for such of the members as may be applicable in such manner and for such periods as the Trust may determine.

(4) Subject to the provisions of sub-clause (3), the warrants for payment of income distribution on a quarterly basis will be sent to the member and the warrants will be so dated that the member shall encash each one of the warrants on becoming mature for payment. Every warrant shall have validity for three months.

The Trust shall not be bound to pay interest in the event of any of the warrants not reaching the members before the expiry of the validity period or in the event of their becoming stale.

(5) In the event of the death of the member if the nominee is eligible to hold units and desires to continue to hold the units, then the nominee shall be bound to return all the uncncashed warrants for the future months for necessary rectification.

However, such a nominee desiring to continue to hold the units shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased member to those in favour of the newly admitted member.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clause, the Trust reserve its right to make the Income Distribution on a monthly, half yearly or annual basis as the case may be, should the reasons of expediency, cost, interest of members and other circumtances make it necessary for the Trust to do so.

In such an event the Trust shall notify the members by a publication in two leading English Language daily newspapers. No member shall have a right to claim Income Distribution on quarterly basis after the Trust makes a notification as above.

(7) CUMULATIVE OPTION

There will be no income distribution under the Comulative option. The income generated shall be ploughed back and will be reflected in the Net Asset Value.

For every Rs. 1000/- invested the indicative value would be Rs. 1260/- at the beginning of the fourth quarter of the third year.

(8) MATURITY BONUS DIVIDEND

In the event of any bonus dividend on the initial investment being declared under the plan on maturity, the bonus dividend for the cumulative option shall be 2% more than that under the deferred income option.

Post dated quarterly income distribution warrants are sent under the Deferred Income Option in the third, fourth and fifth years, such warrants are not required to be sent under the Comulative Option hence lower costs are incurred on stationary, printing, postage, bank charges, Registrar charges, administrative charges etc. These lower costs will enable the Trust to pay a bonus dividend 2% more under the cumulative option than that under the deferred income option.

As a matter of precaution against possible fraudulent encashment of Income Distribution Warrants due to loss/misplacement, applicants are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature and number of account, name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgement receipt portion for record, Income Distribution Warrants will then be made out in favour of the bank for crediting their accounts so specified and sent to them.

Members may deposit the Income Distribution Warrants in the said bank for credi of their account. In case the complete bank particulars are not given, Income Distribution Warrants will be issued in the name of the member.

DETAILS OF THE DEFERRED INCOME SCHEME 1995 (DIS '95) CONTINUED

III. VALUATION OF ASSETS PERTAINING TO THIS SCHEME:

(a) Listed securities will be valued at closing prices on the Bombay Stock Exchange on the date of valuation. Those not listed on Bombay Stock Exchange will be valued at closing prices on respective principal Stock Exchanges. If the securities have not been traded for more than three months prior to the date of valuation, then the Trust may value the securities in the manner considered by it to be fair so as to reflect its true realisable value in accordance with method of valuation approved by the Board.

(b) Money Market Instruments and other fixed income bearing instruments, including debentures, will be valued on the basis of current yields and maturity value of comparable instruments or in the manner as may be considered to be fair by the Trust.

(c) All other assets, not capable of being valued as aforesaid, shall be valued at their book value or in a manner as may be considered fair by the Trust.

(d) Securities not listed shall be fair valued in accordance with the policy laid down by the Board from time to time.

Valuation of assets will be subject to Regulations and Guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.

IV DETERMINATION OF NET ASSET VALUE (NAV):

The Net Asset value of the units issued under the scheme and the plan made thereunder shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and subtracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the units under the schome by the total number of units issued and outstanding on that date. This NAV (on historic basis) shall be published atleast in two daily newspapers initially once every three months during the first year. On completion of lock-in-period i.e. 30/09/96, the NAV shall be declared once every month commencing from 01-10-96 or at such intervals as may be approved by SEBI. The calculation of NAV will be subject to Regulations and Guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.

V. TRUST NOT TO BE ADMITTED AND RECOGNISED FOR HE PURPOSE OF THE SCHEME AND THE PLAN.

The person who is registered as the member and inwhose name a Membership Advice has been issued shall be the only person to be recognized by the Trust as the member and as having any right, title or interest in or to such units; and the Trust may recognise such member as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of competent juridiction ordered, to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme.

VI. TRANSFER/PLEDGE/ASSIGNMENT OF UNITS :

Units issued under the scheme are not transferable pledgeable/Assignable.

VII. INVESTMENT OBJECTIVES AND POLICIES :

Investment objectives and policies of the scheme are to primarily provide regular quarterly income to the subscriber and also to endeavour providing capital appreciation to days of the date of declaration of the dividend.

4. The Members have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection".

CUSTODIANS

Stock-Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Bombay 400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all properties belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody accounts, separately from the assets of the custodians and their other clients.

The custodians will make efforts to have the properties of the Schemes/Funds/Plans registered in the name of the Trust and will deliver them only as per instructions, from the Trust and on receipt of the consideration. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for dis-charge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust. Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/Funds/Plans of the Trust.

AUDITORS

M/s S. K. Mittal & Co., E/29, South Extension, Part II, New Delhi 110 049 and M/s S. K. Kapoor & Co., 16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur 208 001 have been appointed as the auditors by the IDBI.

INVESTOR COMPLAINTS

The Trust has more than 48 million investors under its 59 different Schemes. The no. of complaints received and redressed schemewise for the period July 1994 to March 1995 are appended below :

	Complaints			
	Received	Redressed	Pending	% Pending
1	2	3	4	5
OPEN ENDED SCHEME				
CCCF	511	455	56	10.96
CGGF	10621	9611	1010	9.51
CGS	775	566	209	26.79
CRTS	130	42	88	67.69
GRIHA LAKSHMI	1163	808	355	30.52
U. P. 94				
HUS	263	136	127	48.29
RBP 95	84	1	83	98.81
RAJLAKSHMI U. S.	2501	1812	689	27.55
SCUP	326	233	93	28.53
ULIP	7533	5394	2139	28.40
US 64	113576	102440	11136	9.80
TOTAL	137483	121498	15985	11.63
CLOSE ENDED SCHEMES				
CGUS 91	13474	13314	160	1.19
DIUP 93	4155	3794	361	8.89
DIUS 90	3203	3142	61	1.90
DIUS 91	2778	2708	70	2.52
DIUS 92	1948	1888	60	4.14
GCGI	2143	1157	986	46.01
GIUS Pool	1494	1200	294	19.68
GMIS 91	7053	6787	266	3.77
GMIS 92	3094	2950	144	4.65
GMIS 92 (II)	4546	4053	493	10.84
GMIS-B 92	2700	2504	196	7.26
GMIS-B 92 (II)	5315	5188	127	2.39
GRAND MASTER	6825	6197	628	9.20
IUS 82	29	15	14	48.28
IUS 85	11	9	2	18.18
MASTER GROWTH	26957	25265	1692	6.28
MEP 91	9272	8462	810	8.74
MEP 92	26809	25868	941	3.51
MEP 93	5371	4900	471	8.77
MEP 94	8636	7805	831	8.50
MEP 95	17	13	4	23.53
MASTER GAIN 92	114271	95823	18448	16.14
MIP 93	5774	5178	596	10.32
MIP 94	4435	4058	377	8.50
MIP 94 (II)	3150	2749	401	12.73
MIP 94 (III)	720	694	26	3.81
MIS Pool	2801	1874	927	33.10
MISG 90 (I)	1664	1080	584	35.10
MISG 90 (II)	22261	20945	1316	5.91
MIS-B 93	3825	3577	248	6.48
MISG 91	17839	16969	870	4.88
MASTER PLUS 91	32818	28844	3974	12.11
MASTER SHARE 86	23312	1105	22207	95.26
UGS 2000	18650	11401	7249	38.87
UGS 5000	6276	4671	1605	25.57
US 92	7546	7385	161	2.13
MISCELLANEOUS	1530	1119	411	26.86
TOTAL	402202	334191	68011	16.91
G. TOTAL	538155	454570	83585	15.53

REASONS FOR PENDING COMPLAINTS ARE

(1) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.

(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(3) Change of address of investor not informed/not updated.

(4) Loss in transit.

(5) Postal delay.

(6) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(7) Incomplete details while forwarding the complaints.

(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.

(9) Letters/Documents sent to the wrong tffice/Registrars.

Depending on the nature of complaints/objections the Trust writes to investor/bank/Registrars to resolve the same.

All Investors could refer their grievance giving full particulars of investments to the following address :

Shri P. P. Shastri
General Manager
Central Investors Relations Cell
Unit Trust of India
SNDT Women's University Basement
Door No. 1
Sir Vithaldas Thackersey Marg
Bombay-400 020
Phone : 2003860/2003853
Fax : (022) 2003865.

REGISTRARS

UTI Investors Service Ltd. situated at Plot No. 369, Marol Maroshi Road, Near Marol Maroshi Bus Depot, Vijay Nagar, Andheri (East), Bombay 400 069 Tel. No. 8380395 has been appointed to work as Registrars :

It has been ascertained that the Registrars have adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, dispatch of certificates within the prescribed time frame and handle investor complaints.

Processing of applications and after sales services will be handled from four main branches of the Registrars :

West Zone : Plot No. 369, Marol Maroshi Road, Near Maroshi Bus Depot, Vijay Nagar, Andheri (East) Bombay-400 069.

East Zone : 2, Fairlie Place, 1st Floor, P.B. No. 60, Calcutta-700 001.

South Zone : Justice Basheer Ahmed Syed Building, 45, Second Line Beach Madras-600 001.

North Zone :: Tej Building, 3rd Floor, 8 Bahadurshah Zaffar Marg, New Delhi-110 002.

Documents available for inspection

The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Bombay-400 020.

*The UTI Act

*The General Regulations

*The agreements with the custodians, registrars and collecting Banks.

General

As per regulation 30 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993, all close ended schemes of mutual funds are required to be listed. Considering the special nature and purpose of our scheme we have made an application to SEBI to exempt the applicability of listing for "DIP 95." In case our request is not acceded to the scheme will be listed on NSE and OTCEI and UTI will issue unit certificates in marketable lots which will be transferable. The repurchase facility however will continue to be provided to the investors after one year, irrespective of whether the scheme is listed or not.

Details of Four Previous Deferred Income Schema/Plan of UTI

Name of the Scheme/ Plan	DIUS 90 (5 years)	DIUS 90 (7 Years)	DIUS 91	DIUS 92	DIUS 93
Date of Commencement	16-08-90	16-08-90	01-08-91	10-08-92	01-10-93
Date of Termination	15-08-95 01-09-95 01-10-95	16-08-97 01-09-97 01-10-97	01-09-96	31-08-97	30-09-98
Dividend	No Div. for 1st 2 yrs. 18%, 24% & 30%p.a. on quarterly basis in 3rd, 4th & 5th yr. resp.	No Div. for 1st 3 yrs. 24% p a on qtrly basis in 4th & 5th yr. & 30% in 6th & 7th yr.	No Div. for 1st 2 yrs. 18%, 24% & 30%p a on qtrly basis in 3rd, 4th & 5th yr. resp.	No Div. for 1st 2 yrs. 28% p.a. on qtrly basis in 3rd, 4th & 5th yr.	No Div. for 1st 2 yrs. 28% p. a on qtrly basis in 3rd, 4th & 5th yr.
Cumulative Option	N.A.	N.A.	At the end of 5 yrs. units will be repurchased at Repurchase Price not less than Rs. 20/- per unit.	At the end of 5 yrs units will be repurchased at Repurchase Price not less than Rs. 21/- per unit.	Rs. 2000/- becomes Rs. 4075/-
Amount Collected	105·31*		205·23	128·70	376·56
No. of Applications	46,904*		1,89,465	95,930	2,46,830

*Includes amount collected/applications received under 7 year option also.

HISTORICAL DATA FOR DIUS SERIES

DIUS '90

(Rs. in lacs)

Particulars	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (Provisional)
A. Net Asset Value (Face Value—Rs. 10/-)	11.10	15.33	17.81	18.75	16.63
B. (i) Gross Income other than profit on sale/transfer of investments	977.00	1754.14	3222.12	2716.63	834.00
(ii) Gross Income from profit on inter-scheme sale/transfer of investment	Nil	2674.65	12.39	222.52	Nil
(iii) Gross income from profit on sale/ redemption of investments to third party	Nil	226.76	Nil	0.91	Nil
(iv) Transfer of revenue account from years reserve	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(v) Depreciation Provision written back as no longer required	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
B=(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)	977.00	4655.55	3234.51	2940.06	834.00
C. Expenses (including provision for doubtful assets)	69.75	61.45	54.92	56.87	120.00
D. NET INCOME (B)—(C)	907.25	4594.10	3179.59	2883.19	714.00
E. Unrealised appreciation in value of investments not accounted for	149.43	111.55	150.83	411.98	234.00
F. Depreciation in value of investments not accounted for	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
G. Repurchase price : @ ————Highest	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
————Lowest					
H. Resale price : @ ————Highest	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
————Lowest					
I. Price Earning Ratio @	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Source : Annual Report.

: As there is neither Repurchase/Resale under this scheme nor are they listed on Stock Exchanges, there is no Price Earning Ratio.

HISTORICAL DATA FOR DIUS SERIES

DIUS '91

(Rs. in lacs)

Particulars	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (Provisional)
1	2	3	4	5
A. Net Asset Value (Face Value—Rs. 10/-)	13.17	14.75	18.47	19.63
B. (i) Gross Income other than profit on sale/transfer of investments	2565.84	5555.43	5047.24	4710.00
(ii) Gross Income from profit on interscheme sale/transfer of investment	2123.94	Nil	Nil	Nil
(iii) Gross income from profit on sale/ redemption of investments to third party	82.86	Nil	321.80	Nil
(iv) Transfer of revenue account from past years reserve	Nil	Nil	Nil	Nil
(v) Depreciation Provision written back as no longer required	Nil	Nil	140.83	Nil
B=(i)+(ii)(+iii)+(iv)+(v)	4772.64	5555.43	5509.87	4710.00

1	2	3	4	5
C. Expenses (including provision for doubtful assets)	157.17	291.75*	128.68*	200.00
D. NET INCOME (B)—(C)	4615.47	5263.68	5381.19	4510.00
E. Unrealised appreciation in value of investments not accounted for	1869.20	Nil	2365.56	751.00
F. Depreciation in value of investments not accounted for	Nil	140.83	Nil	Nil
G. Repurchase price : @	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
————Highest				
————Lowest				
H. Resale price ; @				
————Highest	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
————Lowest				
I. Price Earning Ratio@	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Source : Annual Report.

@ As there is neither Repurchase/Resale under this scheme nor are they listed on Stock Exchanges, there is no Price Earning Ratio.

	1992-93	1993-94
*Expenses	150.92	128.68
Provn. for doubtful asset	140.83	—
	291.75	128.68

HISTORICAL DATA FOR DIUS SERIES

DIUS '92

(Rs. in lacs)

Particulars	1992-93	1993-94	1994-95 (Provisional)
1	2	3	5
A. Net Asset Value (Face Value—Rs. 10/-)	10.28	14.81	14.77
B. (i) Gross Income other than profit on sale/transfer of investments	1276.49	1635.04	2241.06
(ii) Gross Income from profit on interscheme sale/ transfer of investment	50.56	1488.76	Nil
(iii) Gross income from profit on sale/redemption of investments to third party	Nil	Nil	45.94
(iv) Transfer of revenue account from past years reserve	Nil	Nil	Nil
(v) Depreciation Provision written back as no longer required	Nil	422.25	Nil
B=(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)	1327.05	3546.05	2287.00
C. Expenses (including provision for doubtful assets)	557.39*	79.24*	175.00
D. NET INCOME (B)—(C)	769.66	3466.81	2112.00
E. Unrealised appreciation in value of investments not accounted for	Nil	1967.61	696.00
F. Depreciation in value of investments not accounted for	422.25	Nil	Nil
G. Repurchase price : @	N.A.	N.A.	N.A.
————Highest			
————Lowest			

1	2	3	4
H. Resale Price@			
————Highest	N.A.	N.A.	N.A.
-- ————Lowest			
1. Price Earning Ratio@	N.A.	N.A.	N.A.

Source : Annual Report

@As there is neither Repurchase/Resale under this scheme nor are they listed on Stock Exchanges, there is no Price Earning Ratio

	1992-93	1993-94
*Expenses	135.14	79.24
Provn. for doubtful asset	422.25	—
	557.39	79.24

HISTORICAL DATA FOR DIUS SERIES

DIUS '93

(Rs. in lacs)

Particulars	1993-94	1994-95 (Provisional)
A. Net Asset Value (Face Value—Rs. 10/-)	11·84	12·42
B. (i) Gross Income other than profit on sale/transfer on investments	3410·66	5366·0 4
(ii) Gross Income from profit on interscheme sale/transfer of investment	Nil	359·46
(iii) Gross income from profit on sale/redemption of investments to third party	5·76	58·50
(iv) Transfer of revenue account from past years reserve	Nil	Nil
(v) Depreciation Provision written back as to no longer required	Nil	Nil
B=(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)	3416·52	5774·00
C. Expenses (Including provision for doubtful assets	386·11	250·00
D. NET INCOME (B)—(C)	3030·31	5524·00
E. Unrealised appreciation in value of investments not accounted for	3877·30	551·00
F. Depreciation value of investments not accounted for	Nil	Nil
G. Repurchase price : @ ————Highest ————Lowest	N.A.	N.A.
H. Resale price : @ ————Highest ————Lowest	N.A.	N.A.
I. Price Earning Ratio : @	N.A.	N.A.

Source : Annual Report

@ As there is neither Repurchase/Resale under this scheme nor are they listed on Stock Exchanges, there is no Price Earning Ratio.

ZONAL OFFICES

Western Zone : Centre-1, 28th Floor, World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Bombay-400 005. Tel. : 2181600. Eastern Zone : 2 Fairlie Place, 1st Floor, Calcutta-700 001. Tel. : 2209391/2205322. Southern Zone : UTI House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel. : 517 101. Northern Zone : Jeevan Bharti (Mega Centre), 13th Floor, Tower II, Cannaught Circus, New Delhi-100 001. Tel. : 3329860/ 3329858.

Branch Offices Under Western Zone Jurisdiction

Ahmedabad : UTI House, Near Mithakali Rly. Bridge, Off. Ashram Road, Ahmedabad-380 009. Tel. : 403864. Baroda : Meghdhanush, 4th & 5th Floor, Transpek Circle, Race Course Road, Baroda-390 015. Tel. : 332481. Bhopal 1st Floor, Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Prtap Nagar, Zone-I, Scheme 13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001, Tel. : 558308, Bombay (A) : Unit No. 2, Block 'B', JVPD Scheme, Gul Mohar Cross Road No. 9 Andheri (W), Bombay-400 049. Tel. : 6201995. Bombay (B) : Perscpolis Bldg., 3rd Floor, Sector 17, Vashi, New Bombay-400 703. Tel. : 7672607. Bombay (C) : Lotus Court Bldg., 196 Jamshedji Tata Road, Backbay Reclamation, Bombay-400 020. Tel. : 2850821/822/823. Bombay (D) : Shardha Shopping Centre, 1st Floor, S.V. Road, Borivli (West), Bombay-400 092. Tel. : 8020521. Bombay (E) : Sagar Bonanza, 1st Floor, Khot Lane, Ghatkopar (W) Bombay-400 086. Tel. : 5162256, Kolhapur : Ayodhya Towers, C.S. No. 511, KH-1/2, 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Road, Kolhapur-416 001. Tel. : 65 73 15. Indore : City Centre, 2nd Floor, 570, M.G. Road, Indore-452 001. Tel. : 22796. Nagpur : Shree Mthini Complex, 3rd Floor 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg, Tel. : 65 73 15 (Kingsway), Nagpur-440 001. Tel. : 536893, Nasik : 2nd Floor, Sardar Sankul, M.G. Road, Nasik-422 001. Tel. : 72166. Panaji : E.D.C. House, Ground Floor, Dr. A.B. Road, Panaji, Goa-403 001. Tel. : 222472. Pune : 3rd Floor, Sadashiv Vilas, 1183 Fergusson College Road, Shivaji Nagar, Pune-411 005. Tel. : 325954. Rajkot : 4th Floor, Lallubhai Centre, Lakhaji Raj Road Rajkot-360 001. Tel. : 35112. Surat : Saifee Bldg., Dutch Road, Nanpura, Surat-395 001. Tel. : 34550.

Branch Offices under Northern Zone Jurisdiction

Agra : Ground Floor, Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Road, Agra-282 002. Tel. : 350552. Allahabad : United Towers, 3rd Floor, 53, Leader Road, Allahabad-211 003. Tel. : 50521. Amritsar :: Shri Dwarka Dheeshji Complex, queens Road, Amritsar-143001. Tel. : 64463 Chandigarh : Jeevan Prakash, LIC Bldg., Sector 17-B, Chandigarh-160 017. Tel. : 543683. Dehradun : 2nd Floor, 59/3, Rajpur Road, Dehradun-248 001. Tel. : 26720. Jaipur : Anand Bhavan (3rd Floor), Sansar Chandra Road, Jaipur-302 001. Tel. : 365212. Kanpur : 16/79E, Civil Lines, Kanpur-208 001. Tel. : 317278. Lucknow : Regency Plaza Bldg., 5, Park Road, Lucknow-226 001. Tel. : 232501. Ludhiana : Sohan Palace, 455, The Mall, Ludhiana-141 001. Tel. : 400373. New Delhi : Gulab Bhavan (Rear Block), 2nd Floor, 6, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002. Tel. : 3318638/3319786. Shimla : 3, Mall Road, 1st Floor (above Jankidas & Co. Dept. Store), Shimla-171 002. Tel. : 4203. Varanasi : 1st Floor, D-58/2A-1, Bhawani Market Rathyatra, Varanasi-221 001. Tel. : 54306/54262/54272.

Branch Offices Under Southern Zone Jurisdiction

Bangalore : World Trade Centre, Chamber of Commerce, Kempegowda Road, Bangalore-560 009. Tel. : 2253739. Cochin : Jeevan Prakash, 5th Floor, M.G. Road, Eranakulum, Cochin-682 011. Tel. : 362354. Coimbatore : Cheran Towers' 3rd Floor 6/25 Arts College Road Ctimbatore-641 018. Tel. : 214973. Hubli : Kalburgi Mansion, 4th Floor, Lamington Road, Hubli-580 020. Tel. : 363963. Hyderabad : 1st Floor, Sumbhi Arcade, 5-1-664, 665, 669 Bank Street, Hyderabad-500 001. Tel. : 511095. Madras : UTI House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel. : 517101. Madurai : Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg. 108, Thirupparankundram Road, Madurai-625 001. Tel. : 38186, Mangalore : Siddartha Bldg. Balmatta Road, Mangalore-575 001. Tel. : 426 290. Thiruvananthapuram : Swastik Centre, 3rd Floor, M.G. Road, Thiruvananthapuram-695 001. Tel. : 331415. Trichy : 104, Salai Road, Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003. Tel. : 27060. Trichur :: 28/876/77 West Palithamam Bldg., Karunakaran Nambiar Road, Round North, Trichur-680 020. Tel. : 331259. Vijayawada : 27-37-156, Bundar Road, Next to Hotel Manorama, Vijayawada-520 002. Tel. : 74434. Vishakhapatnam : Ratna Arcade, 3rd Floor, 47/15/6, Station Road, Dwarkangar, Vishakhapatnam-530 016. Tel. : 548121.

Branch Offices under Eastern Zone Jurisdiction

Bhubaneshwar : Asha Niwas, Lewis Road, Bhubaneshwar-751 014. Tel. : 56141. Calcutta : 2 & 4, Fairlie Place, Calcutta-700 001. Tel. : 2209391/2208322. Durgapur : 3rd Administrative Bldg., 2nd Floor, Asansol Durgapur Dev. Authority, City Centre, Durgapur-713 216. Tel. : 4831. Guwahati Hindustan Bldg., M. L. Nehru Road, Panbazar, Guwahati-781 001. Tel : 543131. Jamshedpur : 1-A, Ram Mandir Area, Ground & Second Floors, Bistupur, Jamshedpur-831 001. Tel. : 425508. Patna : Jeevan Deep Bldg., Exhibition Road Patna-800 001. Tel. : 235001. Siliguri : Jeevan Deep, Ground Floor, Gurunanak Sarani, Siliguri-734401. Tel. : 23275.

No. UT/DBDM/329C/SPD89/95-96.—The Offer Document of the Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1995, made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the meeting held on 16th August 1995 is published herebelow.

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development & Marketing

INSTITUTIONAL INVESTORS' SPECIAL FUND UNIT SCHEME 1995 (IISFUS 1995)

OFFER DOCUMENT

OFFER OPEN FROM 21ST AUGUST TO 30TH SEPTEMBER 1995

This unit scheme has been formulated in accordance with section 21 of the Unit Trust of India Act 1963, (52 of 1963) by the Board of Trustees of UTI.

The scheme particulars have been prepared in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1993, and the units offered subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, not has SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

Objective of the Scheme

This is a five year close ended income oriented scheme which allows exit at NAV based price. The scheme is for institutional investors who want to invest large amounts in an exclusive scheme.

Highlights

*Minimum investment is One Lakh units and in multiples of 50,000 units thereafter. Face value of units is Rs. 10/-.

*Open to eligible Trusts including Charitable and Religious Trusts, Societies registered under Societies Registration Act, 1860, any other body either established or contrtlled by or under a State or Central Act for charitable purposes Army/Airforce/Navy/Paramilitary Fund, Any other institution/Corporate Body (excluding companies).

*The Trust proposes to pay a minimum targeted rate of return of 15% p.a. for the first year, to be paid on prorata basis in July 1996. The dividend for the subsequent years will be declared before the end of the previous year and paid half yearly in January and July each year.

* Option for re-investment of dividend.

*Repurchase allowed after the first year from the date of commencement of the scheme at NAV based price.

RISK FACTORS

*Investments in the unit of the scheme are subject to market risks and the NAV of the scheme may go up or down depending on factors and forces affecting the capital market.

*In the event of actual income not being sufficient to pay a minimum targeted return of 15% p.a. in the first year, unitholders may suffer loss of unit capital to that extent.

*Performance of the previous schemes/plans of the Trust is not necessarily an indication of future results. There can be no assurance that the objective of the scheme will be achieved.

*Institutional Investors' Special Fund Unit Scheme 1995 is only the name of the scheme and does not in any manner indicate the quality of the scheme. Investors are urged to study the terms of the offer carefully before they invest in the scheme.

Management's perception of risk Factors

*The Trust has been in operation for over 30 years and has built up expertise in managing funds of around Rs. 61000 crores from over 48 million investors.

CONSTITUTION OF UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under UTI Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

MANAGEMENT OF UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India.

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. The Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

BOARD OF TRUSTEES

1.	S. A. Dave	Chairman, Unit Trust of India
2.	Shri S. H. Khan	Chairman, Industrial Development Bank of India
3.	Dr. Arvind Virmani	Advisor, Policy Planning Govt. of India, Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance
4.	Shri N. S. Sekhsaria	Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
5.	Shri P. R. Khanna	Chartered Accountant
6.	Kum. I. T. Vaz	Executive Director, Reserve Bank of India
7.	Shri J. S. Salunkhe	Chairman, Life Insurance Corporation of India
8.	Shri N. Vaghul	Chairman, ICICI Ltd.
9.	Shri J. V. Shetty	Chairman & Managing Director Canara Bank

The detailed features of the Scheme are as given below:

1. Short title and commencement:

(i) This Scheme shall be called the Institutional Investors' Special Fund Unit Scheme 1995 (IISFUS 1995).

(ii) It shall come into force on the 21st day of August, 1995.

(iii) The scheme shall be for a period of five years i.e. from 1st October 1995 to 30th September 2000.

(iv) Units will be on sale from 21st August 1995 to 30th September 1995 for 41 days.

Provided, however the Executive Committee of Board of Trustees of the Trust/Chairman may suspend the sale of units under the scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

II. Definitions:

In this Scheme, unless the context otherwise requires

(1) "acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Unit Trust for sale or repurchase of units by the Unit Trust means the day on which the Unit Trust after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(2) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963);

(3) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and who makes an application under Clause IV of the scheme.

(4) "Eligible Trust" means a Trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(5) "Number of units in issue" means the number of units sold and outstanding;

(6) "Person" shall include an eligible trust as defined above.

(7) "Regulations" means the Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) of the Act;

(8) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

(9) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees Ten in the unit capital pertaining to this Scheme;

(10) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(11) all other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations.

III. Face value of each unit:

The face value of each unit shall be ten rupees.

IV. Application for units:

(1) Applications for units under this Scheme may be made by:

(i) All Eligible Trusts including Charitable and Religious Trusts.

(ii) Societies registered under Societies Registration Act, 1860.

(iii) Any other body either established or controlled by or under a State or Central Act for charitable purposes.

(iv) Army Airforce/Navy/Paramilitary Fund.

(v) Any other Institution/Corporate body. (excluding companies) as may be decided by the Trust.

(2) Applications shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Unit Trust.

(3) Eligible Institutions, Bodies corporate or Societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants competence to invest in units, such as memorandum and Articles of Association(Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

V. Minimum amount of investment

The minimum investment under the scheme is 1 lakh units and thereafter in multiples of fifty thousand units with no maximum limit.

An applicant should submit only one application for the total number of units required. Two or more applications will be deemed to be multiple applications if applicant is the same. The Trust reserves the right to reject in its absolute discretion all or any such multiple applications.

The investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./ G.I.R. number and I.T. Circle Office address if they are having so.

VI. Mode of Payment

(i) All payments for units applied for shall be made by the applicant along with the application by way of draft (bank draft commission to be borne by the investor), cheque, inclusive of the cost of realising the cheque or draft. Cheques and drafts should be drawn only on branches of banks within the city where the Branch Office of the Trust at which the application is tendered is situated.

(ii) If payment is made by cheque, the acceptance date will subject to such cheque being realised, be the date on which the cheque is received by the branch office of the Trust. If payment is made by draft, the acceptance date will subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust within such time as may be deemed reasonable by the Trust. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for and other charges payable, the applicant shall be issued the number of units, being a multiple of fifty thousand units (subject to a minimum of 1 lakh units) nearest to the number applied for and the balance, if any, due to the applicant shall be refunded to the applicant at the applicant's cost.

(iii) Right of the Trust to accept or reject application:

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the Scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme shall be final.

(iv) Incomplete application liable for rejection

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum.

Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(v) Applicant bound to comply with requirements under the scheme before being issued units:

Institutions applying for units under the scheme shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust such as Trust deed Resolution by the Managing Body to buy units in case of application from Trusts Bye-Laws and resolution by the Managing Committee etc. in case of application by Societies etc. depending on the category of the investors. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust.

An institution who holds units under a false declaration shall be liable to have the unitholding cancelled and the name deleted from the register of Unitholders.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VII Minimum target amount to be raised:

Amount of Rs. 50 crores is targeted to be raised under the Scheme. Oversubscription, if any, will be retained by the Trust. The Trust shall by A/c Payee cheque/refund order, refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units under the Scheme the entire amount collected under the Scheme, if sixty percent of the said targeted amount is not subscribed.

In the event of failure to refund the amount within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay the interest to the applicants at a rate of 15% per annum on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of units under the Scheme.

VIII. Limitation on Expenses:

Initial issue expenses may not exceed 3.5% of the funds raised under the scheme. Initial issue expenses of the Scheme are estimated to be as under:

Expenses head	
Printing and Postage	0.75 %
Publicity and Marketing	0.75 %
Commission/Incentive Payment	1 00 %
Administrative Expenses	0.50 %
Miscellaneous	0 50 %
Total	3.50 %

Thus for every rupee invested by an investor not less than 96.5 paise will be invested in the scheme. In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 2% of the average weekly net asset value during any accounting year. Estimated recurring expenses are as under:

Expenses Head	
Administrative Expenses	1.0 %
Custodial Fees	0.5 %
Development Reserve Fund	0.1 %
Staff Welfare Trust	0.1 %
Accounting Fees	0.2 %
Other Expenses	0.1 %
Total	2.0 %

The above expenses are estimates and are subject to change inter-se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 3.5% of the funds collected for initial issue expenses and 2% of the weekly average net asset value during any accounting year for recurring expenses, in accordance with the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993. Further, administrative expenses and contribution to DRF will not exceed 1.25% of the weekly average Net Asset Value of the Scheme during the accounting year.

IX. Sale of units:

The sale price of units during the period of offer shall be at par.

The contract for sale of units by the Unit Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. The Unit Trust shall thereafter issue Unit Certificates in lots of 50,000 units each. The Unit Trust will not incur any liability for the loss, damage, mis-delivery or non-delivery of the unit certificates, so sent.

A unit certificate issued by the Unit Trust to a Trust/Society/Body Corporate shall be made out in the name of such Trust/Society/Body Corporate. The Unit Trust shall endeavour to send the unit certificate as soon as possible but not later than ten weeks from the date of closure of sale of units under the scheme.

X. Valuation of assets pertaining to this Scheme :

(a) Listed securities will be valued at closing prices on the Bombay Stock Exchange on the date of valuation. Those not listed on Bombay Stock Exchange will be valued at closing prices on respective principal Stock Exchanges.

If the securities have not been traded for more than three months prior to the date of valuation, then the Trust may value the securities in the manner considered by it to be fair so as to reflect its true realisable value in accordance with method of valuation approved by the Board.

(b) Money Market instruments and other fixed income bearing instruments, including debentures, will be valued on the basis of current yields and maturity value of comparable instruments or in the manner as may be considered to be fair by the Trust.

(c) All other assets, not capable of being valued as aforesaid, shall be valued at their book value or in a manner as may be considered fair by the Trust.

(d) Securities not listed shall be fair valued in accordance with the policy laid down by the Board from time to time.

Valuation of assets will be subject to Regulations and Guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.

XI. Determination of Net Asset Value (NAV) :

The Net Asset Value of the Scheme shall be calculated by determining the value of the Scheme's assets and subtracting the liabilities of the Scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the Scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. This NAV (on historic basis) shall be published atleast in two daily newspapers initailly once every three months during the first year. On completion of the lock-in-period the NAV shall be declared once every week commencing from 1st October 1996 or at such intervals as may be approved by SEBI. The calculation of NAV will be subject to Regulations and Guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.

XII. Investment objectives and policies :

(i) Not more than 20% of the funds mobilised under the Scheme will be invested in equities and equity based instruments and the remaining in fixed income securities and money market instruments.

Notwithstanding the aforesaid, the proportion of investment in money market instruments could be increased, consistent with SEBI Guidelines on the same.

(ii) It shall be the discretion of the Trust to decide about the composition of portfolio subject to restriction on investment and making income distribution having regard to the interest of the investors.

(iii) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grade by CRISIL/ICRA/CARE or any other credit rating agencies which may be recognised from time to time :

Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(iv) No term loans will be advanced by this scheme.

(v) Investments by way of privately placed debentures, securitised debts and other unlisted debt instruments shall not exceed 40% of the total assets of the scheme.

(vi) The scheme shall not invest more than 5% of its corpus in any one company's shares.

(vii) Not more than 10% of the funds of all the schemes of the Unit Trust taken together including this scheme shall be invested in shares, debentures or other securities of a single company.

(viii) Not more than 15% of the funds under all schemes of the Unit Trust including this scheme shall be invested in the shares and debentures of any one industry :

Provided that provision shall not apply to a scheme which has been floated for investments in one or more specified industries and a declaration to that effect has been made in the offer letter.

(ix) Transfers of investments from this scheme to another scheme/plan of the Trust shall be done only if—

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) the securities so transferred are in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the scheme to another scheme/plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(x) The scheme shall not invest in or lend to another scheme/plan of the Trust.

(xi) The scheme shall not borrow funds to finance its investments.

XIII. Repurchase of units :

(1) (i) There shall be a one year lock-in-period i.e. upto 30th September 1996. There shall be no repurchase of units during the first year of the scheme. Repurchase price shall be at NAV (historic) based price and shall be declared initially once every three months during the first year. On completion of the lock-in-period, the repurchase price shall be declared once every week commencing from 01-10-96.

Partial repurchase shall be allowed provided that the repurchase so made should not result in the unitholder holding units other than in multiples of fifty thousand units.

Repurchase shall be effected on receipt of the Unit Certificate with the form of repurchase duly filled in.

(ii) The unitholder shall be under no obligation to offer its units for repurchase as provided in subclause 1(i) above and it will be free to hold them as long as it desires during the currency of the Scheme.

(2) The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date.

(3) Payments for units repurchased by the Unit Trust shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant, and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Unit Trust shall be borne by the applicant.

(4) The repurchased units will not be re-issued.

(5) The basis of computation of repurchase price shall be subject to regulations and guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.

XIV. Restrictions on sale and repurchase of units :

Notwithstanding anything contained in any provision of this Scheme, the Unit Trust shall not be under an obligation to sell or repurchase units—

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Unit Trust) when the register of unitholders is closed in connection with the half yearly/annual closing of the books and accounts.

Explanation :

For the purposes of this Scheme, the term "working day" shall mean a day which has not been either :

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Unit Trust has its Offices; or

(ii) notified by the Unit Trust in the Gazette of India as a day on which the Office of the Unit Trust will be closed.

XV. Sale or repurchase to be as on the acceptance date :

Every sale or repurchase of units by the Unit Trust shall be as on the acceptance date at the respective prices prevailing on that day.

XVI. Publication of repurchase price :

The Unit Trust shall, as early as possible after the determination of the repurchase price, publish it in two leading daily newspapers.

XVII. Form of Unit Certificate :

Unit Certificates shall be in such form as may be decided by the Chairman/Executive Trustee of the Trust. Each Unit Certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the Certificate and the name of the unitholder.

XVIII. Manner of preparation of Unit Certificate :

The Unit Certificate may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Unit Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No Unit Certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign Unit Certificates on behalf of the Unit Trust.

Provided that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate, the Unit Trust may by a method considered by it as most suitable, cancle the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.

XIX. Procedure when the Unit Certificate is mutilated, defaced, lost etc. :

(1) In case any Unit Certificate shall be mutilated or worn out or defaced the Unit Trust in its discretion, may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same number of units as the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate. In case any Unit Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Unit Trust may, at its discretion issue to the person entitled a new Unit Certificate in lieu there of. No such new Unit Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have —

(i) furnished to the Unit Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss, theft or destruction of the original Unit Certificate;

(ii) paid all expenses in connection with the investigation of the fact;

(iii) (in case of mutilation or wearing out or defacement) produced and surrendered to the Unit Trust the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate; and

(iv) furnished to the Unit Trust such indemnity as it may require.

The Trust shall not incur any liability for issuing such Unit Certificate in good faith under the provisions of this clause.

(2) Before issuing any Unit Certificate under the provisions of this clause, the Unit Trust may require the applicant for the Unit Certificate to pay a fee of Rupees five per Unit Certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover any charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and dispatch of such Unit Certificate.

XX. Register of Unitholders

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unitholders :

(1) A register of the unitholders shall be kept by the Unit Trust and there shall be entered in the register inter alia :

(a) the names and addresses of the unitholders;

(b) the number of units held by every such unitholder; and

(c) the date on which such unitholder became the holder of the units standing in its name.

(2) Any change of name or address on the part of any unit holder shall be notified to the Trust, which on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(3) Except when the register is closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Unit Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any authorised representative of the unitholder, without charge.

(4) The register will be closed at such times and for such period as the Unit Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 45 days in any one year. The Unit Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspapers or other media.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive, and no lien shall be entered on the register in respect of any unit relating to any person other than the unitholder.

XXI. Receipt by Unitholder

The receipt of the unitholder for any moneys paid to it in respect of the units represented by the Unit Certificate shall be a good discharge to the Unit Trust.

XXII. Transfer/Pledge/Assignment of Units

Transfer/pledge/assignment shall be allowed after a lock-in-period of 3 months from the date of commencement of the scheme i.e. from 1st January 1996 subject to the following terms :

(1) Every unit holder shall be entitled to transfer the units or any of the units held by it by an instrument in writing in a form approved by the Chairman of the Trust provided that no transfer shall be registered if the registration thereof would result in the transferor or the transferee being a holder of a number of units not being a multiple of 50,000.

Provided that no transfer shall be made except to the persons in the classes mentioned in Clause IV.

(2) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of the units transferred until the name of the transferee is entered in the register in respect thereof.

(3) Transfer instruments with the relative unit certificates shall be lodged with any of the branches of Unit Trust.

(4) Every instrument of transfer shall be duly stamped (if under the law it requires to be stamped) and left with the Trust for registration along with the relative Unit Certificate or Certificates and such other evidence as the Unit Trust may require in support of the title of the transferor or its right to transfer the units. The Trust may dispence with the production of any Unit Certificates which shall have become lost, stolen or destroyed, upon compliance by the transferor with the like requirements to those arising in the case of an application by him for the replacement thereof.

(5) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity or by operation of law then the branch of the Trust, shall subject to production of such evidence which in their opinion is sufficiant, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units

(6) When the units are issued in the official name, they shall be deemed to be transferred without any instrument of transfer from each holder of the office to the succeeding holder of the office on and from the date on which the latter takes charge of the office.

(7) When the holder of the office transfers the units so held to a person not being his successor in office the transfer shall be made by an instrument of transfer signed by the holder of the office and in the name of the office.

(8) All instrument of transfer, which may be registered, shall be retained by the Trust for such period as may be necesary keping in view procedural and operational requirements.

(9) The Trust shall endorse the details of the transferee on the reverse of the Units Certificate in the space provided for the purpose.

(10) Subject to the provision contained herein above the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate to the transferee within 30 days from the date of lodgement of the Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.

XXIII. APPLICATION AND TRANSFER FORMS SIGNED BY ATTORNEYS :

If any application or transfer form is signed by a person holding a power of attorney empowering him to do so, the original power of attorney or a notarially certified copy of the same should be submitted along with the application or the transfer from, as the case may be unless the power of attorney has already been registered in the books of the Trust.

XXIV. RATE OF INCOME DISTRIBUTION :

The Trust proposes to pay a minimum targeted rate of return of 15% p.a., for the first year, to be paid on pro rata basis in July 1996. The dividend for the first year will be calculated on a day to day basis depending on the date of joining. The dividend for the subsequent years will be declared before the end of the previous year and paid half yearly in January and July each year.

XXV. PAYMENT TO UNITHOLDERS :

(1) Not less than 90% of the profits earned during the year shall be distributed to the unitholders by way of dividend.

Before declaring dividend in the scheme, the Trust shall provided for depreciation on investment and also make a provision for bad and doubtful debts, to the satisfaction of the Auditors and shall disclosed the method of depreciation in the notes to the accounts. The Trust proposes to pay minimum targeted dividend @ 15% payable on a pro rata basis in July 1996 for the first year.

Based on low marketing and servicing costs and the investment objective and policies of the Scheme as also prevailing and likely yields from the instruments in which funds of the scheme will be invested, the scheme would generate sufficient returns to pay the minimum targeted return of 15% in the first year. The current yields from fixed income securities range from 16% to 16.5% and the 'yield to maturity' varies in the range 18% to 19%. The expected returns from equity investments can be conservatively put at 20% p.a. Thus it should be possible for the Trust to pay the minimum targeted return of 15% p.a. to the investors. Rate of dividend for each subsequent year shall be decided on the basis of the income of the scheme and relevant factors and shall be paid out half-yearly in January/July each year. The Trust shall endeavour to despatch the Income distribution warrants within 42 days from the date of declaration of the rate of dividend.

(2) It shall be lawful for a unit holder to receive and retain any income declared by the Trust in respect of units of which it is such holder, notwithstanding that the units have already been transferred by it for consideration unless the transferee who claims the income the transferor as within fifteen days of the date on which the income became due, lodged the Certificate and all other documents relating to the tranfer which may, under the provisions or otherwise, be required by the Trust, for being registered in its name.

Explanation : The period specified in this sub-clause shall be extended—

(i) in case of loss of the transfer deed by theft or any other cause beyond the control of the transferee by the actual period taken for the replacement thereof; and

(ii) in case of delay in the lodging of any Certificate and other documents relating to the transfer connected with the transit through the post, by the actual period of the delay.

(3) Nothing contained hereinabove shall affect the right of the Trust to pay to the unit holder any income which has become due, in respect of units of which it is such a holder.

(4) No interest shall be payable by the Trust on such income distributable among the unit holders.

However, the Trust, depending upon the reserves built under the Scheme and if circumstances permit, shall compensate the unitholder to the extent possible in such form and manner as approved by the Executive Committee on any delayed claim of dividend by the unit holder.

(5) The income distributable among the unitholders shall be paid by cheque or warrant drawn on the Unit Tusrt's bankers, or, at the option of the unitholder, by a bank draft, the charges for such bank draft being borne by the unitholder.

As a matter of precaution against possible fradulent encashment of Income Distribution Warrants due to loss/misplacement applicants are requested to give the fully particulars af their bank account (i.e. nature and number of account, name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgement receipt portion for record. Income Distribution Warrants will than be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent to them.

(6) Unitholders may deposit the Income Distribution Warrants in the said bank for credit of their account. In case the complete bank particulars are not given, Income Distribution Warrants will be issued in the name of the unitholder.

XXVI. Reinvestment of income distribution in further units.

The unitholder shall while applying for units or thereafter have the option to reinvest the income receivable in respect of the units so held in further units. In the event of an exercise of such an option the whole of the income distributable instead of being paid to the unitholder in the manner provided in Clause XXV hereof shall, after deduction of tax, if any, be reinvested in further units at the NAV based price prevailing in the first week of July/January of the subsequent/same year.

A statement detailing the dividend distributable, tax deducted, if any, and the units allocated in lieu thereof shall be forwarded to the unitholder. No unitholder shall be entitled to call for the issue of a Unit Certificate in respect of the units so allotted. A unitholder who has opted for the reinvestment facility as aforesaid shall on an application in writing and on surrender of the last statement issued be permitted to have the units to its credit repurchased at the repurchase price prevailing then. A unitholder who has repurchased the reinvested units may continue to avail of the reinvestment facility in respect of the income distributable for the subsequent years. The units allotted under the reinvestment facility under this clause are not subject to the conditions and stipulations governing the parent units in respect of the minimum holding of 1 lakh units and in multiples of 50,000 units thereafter, repurchase in multiples of 50,000 units and other matters.

XXVII. Development Reserve Fund (DRF) contribution :

0.10% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards DRF of the Trust every year. DRF contribution will be part of recurring expenses.

The Unit Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional and developmental work not related to or linked with any particular schame itself. The Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific scheme and Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities.

XXVIIA. Staff Welfare Trust Contribution

0.10% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution to the Staff Welfare Trust every year.

The Staff Welfare Trust was instituted by the Trust for the welfare of its employees which shall include relief in any distress, medical relief, health relief or for similar other purposes etc.

XXVIII. Trusts not to be admitted and recognised for the purpose of the scheme

The person who is registered as the Unitholder and in whose name a Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognized by the Trust as the unitholder and as having any right, title or interest in or to such units; and the Trust may recognise such unitholder as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme.

XXIX. Publication of Accounts :

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the scheme during the period ending as of that date. The Trust shall furnish to the SEBI and others concerned copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and the profit and loss account as also unaudited half yearly accounts and the quarterly statement of movements in NAV and a quarterly portfolio statement including changes from the previous periods. The Trust shall make such disclosures to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments.

The Trust shall, on request in writing received from a unitholder, furnish him a copy of the accounts and statements so published.

XXX. Additions and Amendments to the Scheme :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette.

In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

XXXI. Termination of the Scheme :

(a) The scheme shall stand finally terminated on 20-09-2000. The outstanding units of the unitholders shall be repurchased and the unitholders shall be paid the value of their units at the repurchase price fixed for the final repurchase during the above period.

Besides receiving the repurchase price determined, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accrue.

However the Trust reserves the right, with the prior approval of SEBI in writing, to extend the scheme beyond five years. In such an event the unitholder will be given an option to either sell back the units to the Trust or to continue in the scheme. The Trust could also give the investor the option to convert the repurchase proceeds into any other scheme launched or in operation at that time.

(b) The Trust may wind up the scheme under the following circumstances :

(i) on the expiry of five years of the scheme i.e. on 30th September 2000 or on the expiry of such date as may be decided by the Trust.

(ii) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the Scheme to be wound up, or

(iii) if 75% of the unitholders pass a resolution that the scheme be wound up or

(iv) if the SEBI so directs in the interests of the Unitholders

(c) Where the scheme is wound up in pursuance of sub clause (b) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Bombay at least before a week the termination is effected.

(d) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall

(i) cease to carry on any business activities in respect of the scheme.

(ii) cease to create and cancel units in the scheme.

(iii) cease to issue and redeem units in the scheme.

(e) The Board of Trustees shall call a meeting of the unitholders to consider and pass necessary resolutions by simple majority of the unitholders present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the Scheme.

(f) (i) The Board of Trustees shall disposed of the assets of the Scheme concerned in the best interest of the Unitholders of the Scheme.

(ii) The proceeds of sale made in pursuance of subclause.

(f) (i) above, shall, in the first instance be utilised

towards discharge of such liabilities as are properly due under the Scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up; the balance shall be paid to the Unitholders in proportion to their respective interest in the assets of the Scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(g) On the completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the unitholders a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up net assets available for distribution to the unitholders and a certificate from the auditors of the Scheme.

(h) Notwithsanding anything contained herein above, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue.

(i) After the receipt of the report referred to in clause XXXXI (g) if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the Scheme have been completed the Scheme shall cease to exist.

(j) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Unit Certificate along with the form of repurchase duly completed has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Unit Certificate and other forms if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

XXXII. Benefits to the unitholders

All benefits accruing under the scheme in respect of the capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the scheme shall be available only to the unitholders who hold the units for the full term of the scheme till its closure.

XXXIII. Power to construe provisions :

If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of the scheme, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and such decision shall be conclusive, binding and final.

XXXIV. Relaxation of provisions :

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Scheme relax any of the provisions of the Scheme in case of any unitholder or class of unitholders upon such terms as may be deemed expedient under intimation to SEBI .

Any changes in the offer document shall be with prior approval of SEBI.

XXXV. Scheme to be binding on Unitholders :

The terms of the scheme including any amendments, changes thereto from time to time shall be binding on each unitholder and every other person claiming through it as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the provisions of the Scheme.

XXXVI. Rights of unit holders :

1. Unitholders under the scheme have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the dividend declared by the scheme.

2. The Unitholders have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclosure such information to the unitholders.

3. The unitholders are entitled to have the dividend warrants despatched to them within 42 days of the date of declaration of the dividend.

4. The Unitholders have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection".

TAX EXEMPTION :

Under the prevailing Income Tax Act.

In those cases where the investing institutions are :

(i) Charitable and Religious Trusts :

The income of Charitable and Religious Trust in any year is totally exempt from tax if atleast 75% of the Trust's income is spent towards any of the objectives of the Trust in the year in which it is earned (Section 11 of Income Tax Act). Thus a Charitable and Religious Trust can set apart upto 25% of a year's income for application to charitable and religious purposes in future years, without attracting income tax. If, the income so set apart in a year is in excess of 25% of that year's income, such excess would attract income tax. However, such excess income will be exempt from income tax if is invested in "approved securities" mentioned in Section 11(2)(b) of the Income Tax Act. Units of UTI are one of the approved securities. A charitable and Religious Trust investing its "excess" funds in units qualifies for exemption from Income Tax.

In terms of Section 13 of the Income Tax Act, one of the conditions of eligibility for exemption under Section 11 of Income Tax Act is that the corpus and other funds of the Trust should be invested in approved securities. Units of UTI are one of the approved securities.

(ii) Any Regimental Fund referred to in Section 23 AA/ Other Institutions : It will be in accordance with prevalent tax laws.

No deduction of Tax at source

No deduction of tax will be made for institutions which are covered under Section 11 or 12 or 10(22) or 10(22A) or 10(23) or 10(23AA) or 10(23C) of Income Tax Act, 1961 on the basis of a simple declaration in the format provided in the application form.

In respect of Institutions other than above deduction of income tax at source from the income will be in accordance with prevalent tax laws.

Wealth Tax

Financial Assets like shares and units of Unit Trust of India and Mutual Funds are excluded for the purpose of assessing wealth tax liability.

NOTE : In respect of Statutory Corporation viz. IDBI and similar other organisations, the tax benefits/exemptions under the Income Tax Act and Wealth Tax Act may be governed, inter alia, in accordance with the provisions of their Special Acts, if any, governing them.

Custodians

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Bombay-400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all properties belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody accounts, separately from the assets of the custodians and their other clients.

The custodians will make efforts to have the properties of the Schemes/Funds/Plans registered in the name of the Trust and will deliver them only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodian functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust. Custodians shall provide all information reports of any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliaton of Securities belonging to the Schemes/Funds/Plans of the Trust.

Auditors

M/s. S. B. Mittal & Co., 1/29, South Extension, Part II, New Delhi 110 049 and M/s S. K. Kapoor & Co., 16/98 LIC bldg., The Mall Kanpur 208 001 have been apointed as the auditors by the IDBI

Investor Complaints

The Trust has more than 48 million investors under its 59 different Schemes. The no. of complaints received and redressed schemewise for the period July 1994 to March 1995 are appended below :

	Complaints Received	Complaints Redressed	Complaints Pending	% Pending
Open Ended Scheme				
CCCI	511	455	56	10.96
CGGI	10621	9611	1010	9.51
CGS	775	566	209	26.97
CRTS	130	42	88	67.69
GRIHA LAKSHMI				
U. P. 94	1163	808	355	30.52
HUS	263	136	127	48.29
RBP 95	84	1	83	98.81
RAJ LAKSHMI				
U. S.	2501	1812	689	27.55
SCUP	326	233	93	28.53
ULIP	7533	5394	2139	28.40
US 64	113576	102440	11136	9.80
TOTAL	137183	121498	15985	11.63
CLOSE ENDED SCHEMES				
CGUS 91	13474	13314	160	1.19
DIUP 93	4155	3794	361	8.89
DIUS 90	3203	3112	61	1.90
DIUS 91	2778	2708	70	2.52
DIUS 92	1448	1388	60	4.14
GCGI	2143	1157	986	46.01
GIUS Pool	1494	1200	294	19.68
GMIS 91	7053	6787	266	3.77
GMIS 92	3094	2950	144	4.65
GMIS 92 (II)	4546	4053	493	10.84
GMIS-B 92	2700	2504	196	7.26
GMIS-B 92 (II)	5315	5188	127	2.39
GRAND MASTER	6825	6197	628	9.20
IUS 82	29	15	14	48.28
IUS 85	11	9	2	18.18
MASTER GROWTH	26957	25265	1692	6.28
MEP 91	9272	8462	810	8.74
MEP 92	26809	25868	941	3.51
MEP 93	5371	4900	471	8.77
MEP 94	8636	7805	831	8.50
MEP 95	17	13	4	23.53
MASTER GAIN 92	114271	95823	18448	16.14
MIP 93	5774	5178	596	10.32
MIP 94	4435	4058	377	8.50
MIP 94 (II)	3150	2749	401	12.73
MIP 94 (III)	720	694	26	3.81
MIS Pool	2801	1874	927	33.10
MISG 90 (I)	1664	1080	584	35.10
MISG 90 (II)	22261	20945	1316	5.91
MISB 93	3825	3577	248	6.48
MISG 91	17839	16969	870	4.88
MASTER PLUS 91	32818	28841	3974	12.11
MASTER SHARE 86	23312	1105	22207	95.26
UGS 2000	18650	11401	7249	38.87
UGS 5000	6276	4671	1605	25.57
US 92	7546	7385	161	2.13
MISCELLANEOUS	1530	1119	411	26.86
TOTAL	402202	334191	68011	16.91
G. TOTAL	538155	454570	83585	15.53

Reasons for pending complaints are :

(1) Non-receipt of application/funds from the collecting banks

(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(3) Change of address of investor not informed/not updated.

(4) Loss in transit.

(5) postal delay.

(6) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(7) Incomplete details while forwarding the compaints.

(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.

(9) Letters/Documents sent to the worng office/Registrars.

Depending on the nature of complaints/objections the Trust writes to investor/bank/Registrars to resolve the same. All Investors could refer their grievance giving full particulars of investment to the following address :

Shri P. P. Shastri

General Manager

Central Investors Relations Cell

Unit Trust of India

SNDT Women's University Basement

Door No. 1

Sir Vithaldas Thackersey Marg

Bombay-400 020

Phone : 2003860/2003853

Fax : (022) 2003865

Registrars

The processing of applications and after sales services will be handled by the Bombay Main Branch Office of the Trust at Commerce Centre-1, 28th Floor, World Trade Centre, Cuffe Parade Colaba, Bombay-400 005.

The Trust has adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, dispatch of certificates within the prescribed time frame and handle investor complaints.

Documents available for inspection

The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Bombay-400 020.

* The UTI Act
* The General Regulations
* The agreements with the custodians, registrars and collecting banks.

General

As per regulation 30 of SEBI (Mutual Funds) Regulations 1993, all close ended schemes of mutual funds are required to be listed. Considering the special nature and purpose of our scheme we have made an application to SEBI to exempt the applicability of listing for IISFUS '95. In case our request is not acceded to, the scheme will be listed on NSE and OTCEI. UTI will issue Unit Certificate in marketable lots which will be transferable.

The repurchase facility however, will continue to be provided to the investors irrespective of whether the scheme is listed or not

Details of Institutional Investors' Special Fund Unit Scheme 1993

Date of Commencement :	01-03-1993
Date of Suspension of sales :	01-11-1993
Half year dividend : (In July and January)	16% p.a.
Account Collected :	Rs. 78..E.87 Crores
No. of applications :	518

Condensed Financial Information

(Rs. in Lakh)

Historical Per Unit Statistics	*1992-93	1993-94	1994-95 (Estimated)
(a) Gross Income	612·26	20681·77	23257·49
(b) Expenses (including provision for doubtful assets)	200·04	@877·53	1918·00
(c) Net Income (a—b)	412·22	19804·24	21839.49
(d) Dividend @ 16% p.a. (Payable Half Yearly)	0·00	18553·23	20745·00
(e) Net Asset Value (per unit)			
Beginning of the period	0·00	10·20	10·49
End of the period	10·20	10·49	10·21
(f) Expenses to average monthly net assets (%)			—
(g) Portfolio Turnover Rate		—	—
(h) Market Price ;			
(1) Highest		—	—
(2) Lowest		—	—
(i) Repurchase Price			
(1) Highest		—	—
(2) Lowest		—	—
(j) Sale Price			
(1) Highest		—	—
(2) Lowest		—	—
(k) No. of Units o/s at the end of the period (In Lakhs)	2453·00	12768·74	12982·90

*For the period 01-03-93 to 30-06-93.

@Expenses	811·90
@Provision	65·63
	877·53

UNIT TRUST OF INDIA

Corporate Office

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg (New Marine Lines), Bombay-400 020

Zonal Offices

Western Zone : Commerce Centre-1, 28th Floor, World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Bombay-400 005. Tel. : 2181600. Eastern Zone : 2, Fairlie Place, 1st Floor, Calcutta-700001. Tel. : 2209391/2205322. Southern Zone : 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel. : 517 101. Northern Zone : Jeevan Bharti, 13th Floor, Tower II, Connaught Circus, New Delhi-110 001. Tel. : 3329860/3329858.

Branch Offices under Western Zone Jurisdiction

Ahmedabad : U.T.I. House, Near Mitakhali Rly. Bridge, Off. Ashram Road, Ahmedabad 380009, Tel. : 403864 Baroda : Meghdhanush, 4th Floor, Transpek Circle, Race Course Road, Baroda 390 015. Tel. : 332481. Bhopal : 1st Floor, Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone 1, Scheme 13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001. Tel. : 558308 Bombay : (1) Unit No. 2, Block 'B' JVPD Shopping Centre, Gul Mohar Cross Road No. 9, Andheri (W), Bombay-400 049. Tel. : 6201995. (2) Persepolis Bldg., 3rd Floor, Above Andhra Bank Sector-17 Vashi, New Bombay-400 703. Tel. : 7672607. (3) Lotus Court Building, 196, Jamshetji Tata Road, Backbay Reclamation, Bombay-400 020. Tel. : 2850821/822/823 (4) Shraddha Shopping Arcade, 1st Floor, S.V. Road, Borivli (West), Bombay-400 092. Tel. : 8020521 (5) : 1st Floor, Sagar Bonanza, Khot Lane, Ghatkopar (West) Bombay-400 086. Tel. : 5162256. Indore : City Centre, 2nd Floor, 570, M.G. Road, Indore-452001. Tel. : 22796. Kolhapur : Ayodhya Towers, C.S. No. 511 KH-1/2, 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Road, Kolhapur-416001. Tel. : 657315/657325 Nagpur : Shree Mohini Complex, 3rd Floor, 345 Sardar Vallabhbhai Patel Marg, M.G. Road, (Kingsway) Nagpur 440001. Tel. : 536893. Nasik : 2nd Floor, Sarda Sankul, M.G. Road, Nasik-422 001. Tel. : 72166. Panaji : E.D.C. House, Ground Floor, Dr. A.B. Road, Panaji Goa-403 001. Tel. : 222472. Pune : 3rd Floor, Sadashiv Vilas, 1183 Fergusson College Road, Shivaji Nagar, Pune-411 005. Tel. : 325954. Rajkot : 4th Floor, Lullubhai Centre, Lakhaji Raj Road, Rajkot-360 001. Tel. : 35112. Surat : Saifee Bldg., Dutch Road, Nanpura, Surat 395001. Tel. : 34550.

Branch Offices under Northern Zone Jurisdiction

Agra : Ground Floor, Jeevan Prakash, Sanjay place, Mahatma Gandhi Road, Agra-282 002. Tel. : 350552 Allahabad : United Towers, 3rd Floor, 53 Leader Road, Allahabad-211 003 Tel. : 50521 Amritsar : Shri Dwarka Dheeshji Complex, Queens Road, Amritsar 143001. Chandigarh : Jeevan Prakash, LIC Building, Sector 17-B, Chandigarh-160 017. Tel. : 543683. Dehradun : 2nd Floor, 59/3, Rajpur Road, Dehradun-248 001. Tel. : 26720. Jaipur : Anand Bhavan (3rd Floor) Sansar Chandra Road Jaipur-302 001. Tel. : 365212 Kanpur : 16/79-E, Civil Lines Kanpur-208 001. Tel. : 317278. Lucknow : Regency Plaza Building, 5, Park Road, Lucknow-226 001. Tel. : 232501. Ludhiana : Sohan Palace, 455, The Mall, Ludhiana 141 001 Tel. : 400373. New Delhi : Gulab Bhavan (Rear Block), 2nd Floor, 6, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002. Tel. : 3308638/3319786. Shimla : 3, Mall Road, 1st Floor (Above Jankidas & Co., Dept. Store) Shimla-171 002. Tel. : 4203. Varanasi : 1st Floor, D-58/2A-1, Bhawani Market Rathyatra, Varanasi-221 001. Tel. : 54306/54262/54272.

Branch Offices under Southern Zone Jurisdiction

Bangalore : World Trade Centre, Chamber of Commerce, Kempegowda Road, Bangalore-560 009 Tel. : 2253739 Cochin : Jeevan Prakash, 5th Floor, M.G. Road, Ernakulam, Cochin-682 011. Tel. : 362354. Coimbatore : Cheran Towers, 3rd, Floor, 6/25 Arts College Road, Coimbatore-641 018. Tel. : 214973. Hubli : Kalburgi Mansion, 4th Floor, Lamington Road, Hubli-580 020(Tel. : 363963. Hyderabad : 1st Floor, Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500 001. Tel. : 511095. Madras : UTI House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel. : 517101. Madurai : Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Thirupparankundram Road, Madurai-625 001. Tel. : 38186. Mangalore : Siddhartha Building, 1st Floor, Balmatta Road, Mangalore-575 001. Tel. : 426258. Thiruvananthapuram : Swastik Centre, 3rd Floor, M.G. Road. Thiruvananthapuram-695 001. Tel. : 331415 Trichy : 104 Salai Road, Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003. Tel. : 27060. Trichur : 28/876/77 West Pallithamam Building Karunakaran Nambiar Road, Round North, Trichur-680 020. Tel. : 331259. Vijayawada : 27-37-156, Bundar Road, Next to Hotel Manorama, Vijayawada-520 002. Tel. : 74434. Vishakhapatanam : Ratna Arcade, 3rd Floor, 47/15/6, Station Road, Dwarkanagar, Vishakhapatanam-530 016. Tel. : 548121.

Branch Offices under Eastern Zone Jurisdiction

Bhubaneshwar : Asha Niwas 246, Lewis Road, Bhubaneshwar-751 014. Tel. : 56141. Calcutta : 2 & 4, Fairlie Place, Calcutta-700 001. Tel. : 2209391/2208322. Durgapur : 3rd Administrative Bldg., 2nd Folor, Asansol Durgapur, Dev. Authority, City Centre, Durgapur-713 216. Tel. : 4831. Guwahati : Jeevan Deep, M.L. Nehru Road, Panbazar, Guwahati-871 001. Tel. : 543131 Jamshedpur : 1-A Ram Mandir Area, Ground & Second Floor, Bistupur, Jamshedpur-831 001. Tel. : 425508. Patna : Jeevan Deep Building, Exhibition Road, Patna-800 001. Tel. : 235001. Siliguri : Jeevan Deep, Ground Floor, Gurunanak Sarani, Siliguri-734 401.

PUNJAB WAKF BOARD

Ambala Cantt-133 001, the 1995

No. 1(36)/92.—WHEREAS, a request has been received from Shri Fateh Ali, Secretary to Mohtarma Sajeda Sultan Begum, of Bhopal vide his letter dated 18th July, 1995 for handing over the responsibility of Managing the affairs of the Pataudi Wakfs, to Mr. Mohd. Mansoor Ali Khan Pataudi and for his appoint as Mutawalli of Wakfs, owing to the serious illness of Begum Sajeda Sultan Saheba and her inability to manage the affairs of the Pataudi Wakf.

I, S. Y. Quraishi, IAS Administrator, Punjab Wakf Board in exercise of the powers conferred under-section 42 of the Wakf Act, 1954 (29) of 1954) hereby appoint Mohd. Mansoor Ali Khan Pataudi S/o Nawab Sajeda Sultan Begum Sahiba resident of 1-Kamraj Marg New Delhi-110 011 to perform all function and duties of the Mutawalli of following wakfs.

1. Wakf Syed Rashid Ali Pataudi.
2. Wakf Peer Mohd. Gazi Pataudi.
3. Wakf Syed Sadaruddin, Noorgarh.
4. Wakf Syed Shahabuddin Sherpur.
5. Wakf Peer Murad Ali Mauzamnabad.
6. Nawab Masjid, Railway Station, Pataudi.

It is clarified that it will be duty of the Mutawalli to abide by, and follow all relevant provisions of the Wakf Act, 1954 Wawf Act, 1954 (29 of 1954) hereby appoint Mohd. and the Rules & Regulations framed thereunder.

S. Y. QURAISHI
IAS
Administrator
Punjab Wakf Board
Ambala Cantt.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1995

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1995